35

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

25 फरवरी, 2014

खण्ड-1, अंक -2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 25 फरवरी, 2014

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	2(1)
हत्या संबंधी मामला उठाना	2(1)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	2(2)
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	2(42)
ध्यानाकर्षण सूचना की स्वीकृति/बैठक का स्थगन	2(78)
वॉक-आउट	2(84)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना/वॉक-आउट	2(84)
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	2(85)
बैठक का स्थगन	2(85)
सदस्यों का निलम्बन	2(89)
निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण की निंदा	2(92)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा	2(95)
निलम्बित सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन/वॉक-आउट	2(97)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	2(105)

मूल्य : 760

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 25 फरवरी, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या-1776

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य राव बहादुर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

हत्या संबंधी मामला उठाना

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में एक व्यापारी का दिन-दहाड़े कत्ल कर दिया गया। उसका नाम विनोद मलिक था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Majra Ji, are you sure his name was Vinod Malik?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, उसका नाम राकेश मलिक था। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Rampal Majra : Sorry Sir, उसका नाम राकेश मलिक था और उसका कत्ल कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या इनको मालूम है कि उस व्यापारी को किसने मरवाया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कांग्रेस की एक मंत्री ने गवर्नर साहब को लैटर भी लिखा है कि उसको कांग्रेस के लोग ही इस कत्ल के लिए फंसा रहे हैं , यह अखबार में लिखा हुआ है। जो पीड़ित परिवार है उसके सदस्यों ने यह भी कहा है कि यदि उनको न्याय नहीं मिलता है तो सारे का सारा परिवार आत्महत्या कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का अन्याय आज प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है और दिन-दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। उसके परिवार के सदस्यों का आरोप है कि इसमें एक कांग्रेसी मंत्री का हाथ है और मंत्री जी कह रही हैं कि सरकार उनको फंसा रही है। इस बारे में सरकार अपना वक्तव्य सदन में रखे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, you can raise this issue after the Question Hour. (Interruptions) Please sit down.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नकाल का समय सभी सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान) प्रश्नकाल के बाद ये अपनी बात कह लें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Silence please. Please sit down. Col. Raghbir Singh may ask his question.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, can they disrupt the Question Hour in this fashion. (Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please sit down. (Interruption)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Construction of Sheds in the Grain Market of Badhra

***1912 Col. Raghbir Singh :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct sheds in the Grain Market of Badhra; if so, the time by which aforesaid sheds are likely to be constructed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : No, Sir, there is no proposal to construct sheds.

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों के प्रति मौजूदा सरकार कितनी सचेत है इस बात की जानकारी मंत्री जी के जवाब से हमें मिल गई है। बाढड़ा अनाज मण्डी में गेहूं और सरसों की फसलें आती हैं। बरसात के दिनों में किसानों का अनाज खुले में पड़े रहने के कारण खराब हो जाता है जिसके कारण किसानों को बहुत नुक्सान होता है। वहां ओपन में मण्डी लगती है। बार-बार मंत्री जी से पूछने पर यही जवाब मिलता है कि 'No proposal' मेरा यह कहना है कि सरकार किसानों के प्रति सचेत रहे। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार किसानों के प्रति सचेत क्यों नहीं है?

Mr. Speaker : This is not a question. You are giving a suggestion. You should ask a supplementary.

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी ही पूछ रहा हूं कि बाढड़ा अनाज मण्डी में शैडों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाये ताकि वहां किसानों को नुक्सान न हो।

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्पेस 25 कनाल है जो कि बहुत कम है। हमें कुछ स्पेस अनाज सुखाने के लिए भी चाहिए होता है। यह एक सबयार्ड है। इसके अतिरिक्त वहां पर अनाज की अराईवल भी कम है इसलिए वहां पर शैड बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में पहले तो यह कहा कि वहां पर स्पेस की कमी है और दोबारा कहते हैं कि अनाज की अराईवल भी कम है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यदि स्पेस कम है तो वहां स्पेस को बढ़ाया जाये, इसलिए मंत्री जी अपने जवाब को दुरूस्त करें।

सरदार परमवीर सिंह: स्पीकर सर, दोनों बातें हैं। लेकिन स्पेस वाकई ही कम है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1797

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम निवास घोड़ेला सदन में उपस्थित नहीं थे)

To Open a Medical College in Jind

***1800 Dr. Hari Chand Middha :** Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical College in Jind City; if so, the time by which the aforesaid Medical College is likely to be opened; and

(b) the number of Medical Colleges opened in the State during the period from 2009 to 2014 togetherwith the districtwise list of Medical College in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान् जी,

(क) और (ख) : एक स्टेटमैन्ट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैन्ट

(क) श्रीमान् जी, नहीं।

(ख) श्रीमान् जी, वर्ष 2009 से 2014 के दौरान चार (04) मैडिकल कॉलेज खोले गए हैं और एक मैडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है।

राज्य में जिलावार मैडिकल कॉलेजों की सूची इस प्रकार है :—

क्रमांक	जिला जिसमें स्थित है	कॉलेज का नाम	सरकारी/ निजी
1.	रोहतक	पं० बी०डी० शर्मा, पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक	सरकारी
2.	हिसार	महाराजा अग्रसैन मैडिकल कॉलेज, अग्रोहा	सरकारी सहायता प्राप्त
3.	अम्बाला	महर्षि मारकेन्डेश्वर इन्स्टीच्यूट ऑफ मैडिकल साईंस एंड रिसर्च, मुलाना	निजी
4.	गुड़गांव	एस०जी०टी० मैडिकल कॉलेज, बुडहेड़ा	निजी
5.	फरीदाबाद	गोल्ड फिल्ड इन्स्टीच्यूट ऑफ मैडिकल साईंस, गांव छांयसा	निजी
6.	सोनीपत	बी०पी०एस० राजकीय महिला मैडिकल कॉलेज, खानपुर कलां	सरकारी
7.	मेवात	एस०एच०के०एम० राजकीय मैडिकल कॉलेज, नलहड़	सरकारी
8.	करनाल	कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज, करनाल	सरकारी (निर्माणाधीन)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जीन्द में घोषणा करके आये थे कि जीन्द के सामान्य अस्पताल को 200 बैड का बनाया जायेगा। आज इस घोषणा को दो साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से शुरू की जायेगी और क्या वहां पर खाली पदों को भी भरा जायेगा? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्या जीन्द का अस्पताल जो खुद बीमार है उसका इलाज किया जायेगा?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, यह एक सैपरेट सवाल है इसलिए माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस दें। इसके अलावा जहां तक मैडीकल कालेज का सम्बंध है उसके बारे में मैंने डॉ. सिद्धा जी के क्वैश्चन के जवाब में बता दिया है।

Sanctioned Budget for the Kalpana Chawla Medical College

***1979. Smt. Sumita Singh :** Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) the amount of Budget sanctioned by the Haryana Government for construction of Kalpana Chawla Medical College at Karnal togetherwith the percentage of the amount released from the sanctioned budget for the initial construction of the building at the aforesaid college; and

(b) the total capacity of the aforesaid college togetherwith the proposed modern medical facilities likely to be provided therein?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान् जी

(क) कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल के प्रोजैक्ट की कुल लागत 645.77 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से पैकेज-एक और दो के कार्य हेतु 424.30 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। कॉलेज का निर्माण कार्य हाल ही में आरम्भ हुआ है। चालू वर्ष में 51.58 करोड़ रुपये खर्च होने के सम्भावना है। कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य के बजट में प्रर्याप्त फण्ड रखे गए हैं।

(ख) कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल प्रतिवर्ष 100 एम०बी०बी०एस० छात्रों को दाखिला देने वाला तथा 500 बिस्तरों वाला स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाया जायेगा जिसमें भविष्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधायें जैसेकि मोडयुलर ओप्रेशन थियेटर, एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन, कम्प्यूटराईज प्रयोगशालाएं, सुसज्जित इन्टैसिव केयर यूनिट और अन्य आधुनिक उपकरणों की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने करनाल में कल्पना चावला मैडीकल कालेज का काम शुरू किया। अब

इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस मैडीकल कालेज की कम्पलीशन के लिए जो वर्ष 2015 का टाईम-फ्रेम दिया गया है इस निर्धारित टाईम-फ्रेम में ही इस मैडीकल कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण होकर इसमें एडीमिशन शुरू हो जायें और इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक डिले न हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह केवल एक सुजेशन है इसलिए कृपया इसे नोट कर लें।

श्री भारत भूषण बतरा : सर, मैं आपके माध्यम से पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक के बारे में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं।

Mr. Speaker : It is a separate question.

New Policy to Regularize Marriage Palaces

***1788. Prof. Sampat Singh :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :—

(a) whether the State Government has formulated any new policy to regularize existing marriage palaces and banquet halls and also for the construction of new marriage palaces and banquet halls in the State together with the details of such policy;

(b) the number of marriage palaces/banquet halls existing in the State at present;

(c) the number of such existing marriage palaces which have been regularized; and

(d) the action taken against violators of the policy together with the number of such palaces against whom action have been taken ?

Urban Local Bodies Minister (Smt. Savitri Jindal) :— Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

Statement referred to in reply to the starred question No. 1788 put up by Sh. Sampat Singh, MLA

(a) Yes, Sir. The policy for new marriage palaces/banquet halls, within municipal limits, was issued on 22-10-2013 and the policy for regularization of existing marriage palaces/ banquet halls, situated within municipal limits, was issued on 20-01-2014. These policies aim to ensure availability of adequate approach road width, parking spaces, fire safety, structural stability, etc. for marriage palaces/ banquet halls. The copies of the policy instructions issued are placed as Annexures '1' and '2'.

(b) As per the information available with the Department, 577 marriage palaces/banquet halls exist within the municipal limits of the State.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(c) Since the policy for regularization of existing marriage palaces/ banquet halls has been issued on 20-01-2014 and the owners are required to apply for regularization within 60 days of issuance of the policy, no regularization has been done, so far.

(d) Action against unauthorised marriage palaces/banquet halls whose owners do not apply for regularization within the stipulated period or which do not qualify regularization norms, shall be initiated as per law.

Annexure—"1"

Policy regarding Marriage Places/Banquet Halls in Municipal Areas of the State of Haryana.

At present the Urban Local Bodies Department has a policy dated 30-1-2007 covering conversion of existing houses or vacant lands into shops/ shopping complexes, professional establishments, private hospitals, nursing homes, creches, clinics, banquet halls, marriage halls, hostels, motels, lodges, guest houses, information technology enabled services and petrol pumps in old municipal town areas, to meet the requirements regarding parking and other amenities. The existing policy does not cover details regarding setting up of new marriage palaces/banquet halls. In CWP No. 1418 of 2013 titled as Guru Partap Public Welfare Association Vs State of Haryana, the Hon'ble Punjab and Haryana High Court desired, vide orders dated 24-07-2013, that a comprehensive policy for marriage palaces be framed by the Haryana State and to be placed on record at least three days prior to the next date of hearing.

The Department of Town and Country Planning, Haryana already has formulated a policy, dated 8-11-2007, for Banquet Halls. Marriage palaces/ banquet halls are used, primarily, to hold social gatherings/functions. Keeping in view the policy framed by the Town and Country Planning Department, Haryana and the policy framed by Punjab State, the Urban Local Bodies Department, Haryana has now formulated a new policy for marriage palaces and banquet halls. This policy covers the procedure for granting permission for new marriage palaces and banquet halls in municipal areas.

The buildings regerred to in the building bye-laws/rules/ instructions have been mainly categorized as Residential, Commercial and Institutional. With the change of social set up and owing to scarcity of common spaces, marriage palaces have become a social necessity, wherein different strata of the society can hold social getherings/ functions with dignity and ease. Not only marriages are solemnized in these marriage palaces but social, religious and similar functions are being performed in these palaces. Keeping in view the nature and usage of buildings for marriage palaces/banquet halls, they need to be properly defined and specific building norms laid down for the establishment and running to ensure public safety, convenience and provision of adequate parking, etc.

Policy Guidelines :

This policy covers procedure/norms for granting permission for construction of new marriage palaces/banquet halls, within municipal limits in the State of Haryana.

1. Applicability/Permissible Zone

(i) This policy shall be applicable in all the municipal areas of the state of all zones, except areas reserved for open spaces/greens, residential public utilities, public & semi public and restricted zones around defence establishments. This policy shall not be applicable within the areas covered under approved Town Planning schemes, areas developed by HUDA, Housing Board, Improvement Trust and any other Government Department/Board/Corporation/Authority.

(ii) In case of any existing violation of any Act, Rules, etc., permission for establishing a marriage palace/banquet hall would be considered only after the offences are compounded by the competent authority.

2. Minimum area requirement for new Marriage Palaces/Banquet Halls.

The plot area shall be minimum 2 acres and maximum up to 5 acres.

3. Approach

The approach road to the site should be at least 18 metres wide or 12 meters wide service road abutting the sector road.

4. Sanctioning of building plans

The construction shall be raised only after obtaining necessary permission and approval from the competent authority as per the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963/the Haryana Municipal Corporation Act, 1994/the Haryana Municipal Act, 1973 & Rules framed there under, whichever is applicable.

5. Building norms

(i) Ground Coverage

The maximum permissible ground coverage shall be 33%.

(ii) Permissible Floor Area Ratio (F.A.R.)

The permissible F.A.R. shall be 0.70 (for main building) and upto 0.05 (for ancillary building).

(iii) Parking

The minimum area for parking shall be not less than 50% of the site area. In case of provision of full basement for the purpose of parking, then surface parking can be 33% of the site area (equivalent to permissible ground coverage).

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(iv) Basement

A basement, excluding the minimum setbacks and intended to be used only for parking, services (public health and electricity) and storage, may be allowed if it satisfies public health and structural requirements.

(v) Height

Maximum height of the building, measured from the centre of the road abutting it, shall not exceed 21 metres.

(vi) Lifts and ramps

In addition to provision of staircases as per rules,provision of lifts and ramps (as per National Building Code) shall be compulsory for buildings with height above 15 metres. For continuous running of lifts, 100% stand by generators, along with automatic switchover, shall be essential.

(vii) Bar on sub division of plots

The site for which permission is granted shall not be sub divided into two or more plots and not used for any purpose, other than permitted.

(viii) Solar water heating system

Solar water heating system shall be installed in the building as envisaged in the Haryana Government Notification No. 22/52/05-5P, dated the 29th July, 2005. The capacity of the system shall be decided based on the average expected occupancy of the building.

(ix) Fire safety

The building shall conform to the provisions of Part IV of the National Building Code with adequate arrangement to overcome fire hazards, to the satisfaction of the competent officer of the municipality.

(x) Structural safety certificate

The application for sanction of building plans shall be accompanied with a certificate issued by a qualified structural engineer that the structural design has been checked and found to be in conformity with the National Building Code and Indian Standards Code, including fire safety and structural stability/earthquake resistance design.

(xi) Rainwater harvesting

Provision of roof-top rainwater harvesting system, as notified by the Haryana Government, Urban Development Department office Endst. No. 3/2/2002-R-1 dated 13 december, 2002, shall be mandatory.

(xii) Other norms

(1) Frontage of the site shall not be less than 20 metres.

(2) Toilets

	Minimum Number
(i) Water closets (up to 2 acre plot size)	7 (for men) 10 (for women) 1 (for disabled)
(ii) Urinals	10 (for men)

For every additional acre of plot area or fraction thereof, atleast three W.Cs for men and women each and four urinals for men shall be provided.

(3) Cooking space may have direct opening to the marriage hall/ banquet hall only when the doors opening into the hall are fire proof of minimum 1 hour fire resistance and self closing type to stop spread of fire/smoke into the hall.

(4) Every site should have minimum 2 gates, having minimum width of 6 metres each. If the gates are covered, then the minimum height of the gate shall be 5 metres. No direct entry/ exit from the National Highway/State Highway/Scheduled Road shall be permissible without approval of the concerned competent authority.

(5) In the covered area of the marriage/banquet hall covered by temporary ceiling or tenting, etc., travel distance from any point of the building/temporary structure/pandal to the exit shall be as per the National Building Code (NBC) applicable to Assembly Buildings. Temporary pandals shall adhere to the Indian Standards IS 8758:1993 (Recommendations for fire precautionary measures in construction of Temporary structures and Pandals), as amended from time to time.

(6) Minimum width of the marriage hall/banquet hall doors/exits shall not be less than 1.8 metres and shall open towards.

(7) The site should be at least 100 metres away from the site of a school, college and hospital, measured from the nearest point of the boundary wall.

(8) The parking of vehicles shall be provided within the premises and no vehicle shall be allowed to be parked on the road/road side berms/road reservation.

(9) Provision regarding solid waste garbage/kitchen waste disposal, prevention of air, water and noise pollution shall also be made according to the Haryana Pollution Control Board norms.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(10) The site shall be segregated by a boundary wall from the surrounding properties.

(11) Before occupying the building, the owner shall be required to obtain an occupation certificate from the competent authority.

(12) The relevant provisions contained in the "Persons with Disability (Equal Opportunities Rights & Full Participation) Act, 1995", relating to planning, design and construction of public building and space standards for barrier free environment for disabled and elderly persons shall be complied with.

(13) Applicant shall comply with all other relevant laws/ instructions, as applicable in the State of Haryana issued from time to time.

6. Annual inspection of the premises shall be carried out by the Competent Authority to ensure compliance of building bye-laws under which approval was granted and compliance with the operational parameters with regard to maintenance of public security, safety and conveniences.

7. **Fee/Charges**

(i) The fee/charges, like scrutiny fee, conversion charges, composition fee, etc., as notified for banquet halls under the rules framed under Act No. 41 of 1963 by the Town & Country Planning Department, Haryana shall be applicable.

(ii) External Development Charges will be leviable at 50% of the rates specified by the Haryana Urban Development Authority.

(iii) Labour Cess @ 1% of the estimated cost of the building is leviable under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

8. **Submission of application**

List of documents to be attached with application (5 sets) :

1. (a) Proof of ownership: Original and latest land record/fard Jamabandi. In case of lease, minimum 15 years registered lease document is required.

(b) Copy of Aks Shajra plan showing the site of marriage palace and duly signed by Halqa patwari/competent authority.

2. Location plan duly signed by the owner and a qualified Architect (with minimum degree of B. Arch).

3. Building plans of the existing building, prepared by a qualified Architect, showing :--

(i) Details of covered area, setbacks, parking space, etc.

(ii) Cross sections-longitudinal and latitudinal (one cross section each shall be drawn from staircase, toilet, kitchen), elevations (all four sides) of the building.

(iii) Fire safety measures/equipments provided in the building.

(iv) Service plans showing sewer and drainage lines, water supply lines and location of Sewerage Treatment Plant (if applicable), solid waste collection and disposal arrangements.

4. Structural safety certificate from a qualified structural engineer.

Annexure—"2"

Policy for Regulization of existing Marriage palaces/Banquet halls

The State Government has already approved the policy for new Marriage Places/Banquet halls in the State which was circulated to all concerned vide memo dated 22-10-2013. As per the directions of Hon'ble High Court the draft policy for regularization of existing Marriage Places/Banquet Halls has been formulated and circulated to all concerned offices/departments for objections/ suggestions. In addition a copy of the draft regularization policy was placed on record of Hon'ble High Court on 02-12-2013. On the basis of the representations/ suggestions received from various Marriage palaces/Banquet Halls associations and individuals, the policy for regularization has been finalized. The policy parameters are as under :

A. Policy Guidelines :

This policy covers norms/procedure for one time relaxation/regularization of existing marriage palaces/banquet halls for a prescribed period.

B. Applicability/Permissible zone :

(i) In case of any existing violation of any Act, Rules, etc., permission for regularization of a marriage palace/banquet hall would be considered only after the offences are compounded by the competent authority.

(ii) Marriage palaces/banquet halls located in restricted/prohibited zones/areas shall not be considered for regularization and action shall bt taken against them, as per law.

C. Building norms :

(i) Size of the plot

The size of the plot should not be less than 1000 sq. meters.

(ii) Approach

The width of approach road shall not be less than 12 meters.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(iii) Ground Coverage

The maximum permissible ground coverage shall be 33%.

(iv) Permissible Floor Area Ratio (F.A.R.)

The permissible F.A.R. shall be 0.70 (for main building) and upto 0.05 (for ancillary building).

(v) Parking

The minimum area for parking shall not be less than 50% of the site area. In case of provision of valet parking at the distance of 200 metres from the site of marriage palaces/banquet halls has been made then 25% parking shall be provided at the marriage palace/ banquet hall site. For this, the applicant shall submit ownership/ lease documents of valet parking plot and undertaking that he shall not convert the use of valet parking site in future in any case.

(vi) Basement

A basement, excluding the minimum setbacks and intended to be used only for parking, service (public health and electricity) and storage, may be allowed if it satisfies public health and structural requirements.

(vii) Height

Maximum height of the building, measured from the centre of the road abutting if, shall not exceed 21 metres.

(viii) Setbacks

The setbacks of the building as laid down in the Haryana Municipal Building Byelaws, 1982, as amended from time to time shall be applicable. In case no space is available for setbacks on any one side other than the front, then the owner has to submit a certificate from the concerned fire authority about fire safety. However, no relaxation shall be granted form the front setback.

(ix) Lifts and ramps

In addition to provision of staircase as per rules, provision of lifts and ramps (as per National Building Code) shall be compulsory for buildings with height above 15 metres. For continuous running of lifts, 100% stand by generatiors, along with automatic switchover, shall be essential.

(x) Bar on sub division of plots

The site for which permission is granted shall not be sub divided into two or more plots and not used for any purpose, other than permitted.

(xi) Solar water heating system

Solar water heating system shall be installed in the building as envisaged in the Haryana Government Notification No. 22/52/05-5P, dated the 29th July, 2005. The capacity of the system shall be decided based on the average expected occupancy of the building.

(xii) Fire safety

The building shall conform to the provisions of Part IV of the National Building Code with adequate arrangement to overcome fire hazards, to the satisfaction of the competent officer of the municipality.

(xiii) Structural safety certificate

The application for sanction of building plans shall be accompanied with a certificate issued by a qualified structural engineer that the structural design has been checked and found to be in conformity with the National Building Code and Indian Standards Code, including fire safety and structural stability/earthquake resistance design.

(xiv) Rainwater harvesting

Provision of roof-top rainwater harvesting system, as notified by the Haryana Government, Urban Development Department office Endst. No. 3/2/2002-R-1 dated 13 December, 2002, shall be mandatory.

D. Other norms

(i) Frontage of the site shall not be less than 20 metres.

(ii) Toilets

(a) Water closets (up to 2 acre plot size)

	Minimum Number WC
	7 (for men)
	10 (for women)
	1 (for disabled)

(b) Urinals : 10 (for men)

For every additional acre of plot area or fraction thereof, at least three W.Cs for men and women each and four urinals for men shall be provided.

(iii) Cooking space may have direct opening to the marriage hall/banquet hall only when the doors opening into the hall are fire proof of minimum 1 hour fire resistance and self closing type to stop spread of fire/smoke into the hall.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(iv) Every site should have minimum 2 gates, having minimum width of 6 metres each. If the gates are covered, then the minimum height of the gate shall be 5 metres. No direct entry/exit from the National Highway/ State Highway/ Scheduled Road shall be permissible without approval of the concerned competent authority.

(v) In the covered area of the marriage/banquet hall covered by temporary ceiling or tenting, etc., travel distance from any point of the building/temporary structure/pandal to the exit shall be as per the National Building Code (NBC) applicable to assembly Buildings. Temporary pandals shall adhere to the Indian Standards IS 8758:1993 (Recommendations for fire precautionary measures in construction of Temporary structures and Pandals), as amended from time to time.

(vi) Minimum width of the marriage hall/banquet hall doors/exits shall not be less than 1.8 metres and shall open outwards.

(vii) The site should be at least 100 metres away from the site of a school college and hospital, measured from the nearest point of the boundary wall.

(viii) The parking of vehicles shall be provided within the premises and no vehicle shall be allowed to be parked on the road/road side berms/road reservation.

(ix) Provision regarding solid waste garbage/kitchen waste disposal, prevention of air, water and noise pollution shall also be made according to the Haryana Pollution Control Board norms.

(x) The site shall be segregated by a boundary wall from the surrounding properties.

(xi) The relevant provisions contained in the "Persons with Disability (Equal Opportunities Rights & Full Participation) Act, 1995", relating to planning, design and construction of public building and space standards for barrier free environment for disabled and elderly persons shall be complied with.

(xii) Applicant shall comply with all other relevant laws/instructions, as applicable in the State of Haryana issued from time to time.

E. Annual inspection of the premises shall be carried out by the Competent Authority to ensure compliance of building bye-laws under which approval was granted and compliance with the operational parameters with regard to maintenance of public security, safety and conveniences.

F. Other conditions

(i) The applicant shall submit the application for regularization within 60 days from the date of circulation of this policy. No application for regularization will be accepted thereafter.

(ii) For an existing marriage palace/banquet hall for which application for regularization is not received in time by the competent authority, necessary action against violations/illegal constructions, shall be taken, as per law.

(iii) For an existing marriage palace/banquet hall whose request for regularization has been received but rejected by the competent authority, necessary action against violation/illegal constructions shall be taken, as per law.

G. Submission of application:

The owners of existing marriage palaces/banquet halls can apply to the Chairperson of the Committee, along with necessary documents, on the prescribed application form (Annexure"A").

H. Fee to be charged :

(i) Within original Municipal limit

(a) The fee/charges e.g. Scrutiny fee, Malba charges, composition fee shall be charged as per the Municipal Building Bye-Laws 1982 and the commercial fee/charge shall be 50% of the rates circulated vide PSULB orders dated 04-04-2012 (Annexure-B).

(b) Labour Cess@ 1% of the estimated cost of the building is leviable under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

(ii) With extended municipal limit

The fee/charges/like scrutiny fee, conversion charges, composition fee, etc., as notified for banquet halls under the rules framed under Act No. 41 of 1963 by the Town & Country Planning Department, Haryana shall be applicable.

(a) External Development Charges will be leviable at 50% of the rates specified by the Haryana Urban Development Authority.

(b) Labour Cess @ 1% of the estimated cost of the building is leviable under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

I. List of Documents to be attached with application (5 sets):

(a) Proof of ownership document such as Original frad Jamabandi (not more than two months old), intkal or in case of land under lease, a minimum 15 years registered lease deed with certified copies.

(b) copy of Aks Shajra (plan showing the site of marriage palace/banquet hall), duly signed by the Halqa Patwari.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(c) Location Plan showing the surrounding areas/road network duly signed by the owner/qualified Architect.

(d) Building Plans of the existing building, prepared by a qualified Architect, showing :--

(i) Details of covered area, setbacks, parking space, open lawns, etc.

(ii) Cross sections-longitudinal and altitudinal (one cross section each shall be drawn from staircase, toilet, kitchen), elevations (for all four sides) of the building.

(iii) Details of fire safety measures/equipments provided in the building.

(iv) Details of service plans showing sewer and drainage lines, water supply lines and location of sewerage treatment plant (if applicable), solid waste collection and disposal arrangements, etc.

(e) Structural safety certificate from a qualified structural engineer.

(f) Location of site on satellite imagery, on a scale of at least 1:50.

(g) NOC from Fire Department is mandatory.

(h) Any other NOC as required by the Chairperson of the said committee.

J. Procedure for regularization

A Committee would be constituted, in case of Municipal Council/ committee, for examining and approving proposals for regularization of unauthorized marriage palaces/banquet halls subject to fulfillment of such terms and conditions and payment of such charges/comopunding fee, as may be prescribed, under the Chairpersonship of the concerned City Magistrate with following as members:

* District Town Planner or District Town Planner (Enforcement)

* Executive Officer/Secretary of the Municipal Council/ Committee.

In case of Municipal Corporation areas, the Committee would be under the Chairpersonship of the concerned Joint Commissioner with following as members:

* Chief/Senior/District Town Planner of the Municipal Corporation

* District Town Planner/District Town Planner (Enforcement) of the Town and Country Planning Department, as members.

The committee may co-opt a representative of the technical cell of the concerned municipal authority and any other officer as member, with the approval of the Chairperson.

K. Time frame for approval/registration:

Sr.	Item	Time period
1	Submission of application to the Committee	Within 60 days from the date of circulation of this policy
2	Processing and issuance of LOI	Within 30 days from the date of receipt of application.
3	Fulfillment of the terms and conditions, payment of fee/ charges as applicable.	Within 30 days from the date of issuance of LOI.
3A	In case major alteration in the building is required to complete the conditions of LOI, committee may grant the time period of 6 months for fulfillment of the terms and conditions on the request of the applicant. The request of applicant shall be received in the office of the chairman of the regularization committee within 30 days from the date of issue of LOI.	Within 15 days from the date of compliance of the terms & conditions and deposition of requisite fee/charges.
4	Grant of final permission/rejection.	

Annexure—"A"

Application for regularization of marriage palace/banquet hall

From

Shri/Smt._____

Son/Wife of_____

House No._____

Village/Town_____

District_____

To

Commissioner/Executive Officer/Secretary, Municipal Corporation/ Council/Committee.

Subject :— **Application for regularization of existing marriage palace/ banquet hall.**

Sir/Madam,

I/We hereby apply for the regularization of our existing marriage palace/banquet hall located at_____, over an area of_____ Sq. metres operated under the name of_____.

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

I/We undertake to comply with all the term and conditions laid down under the relevant laws/rules/policy and undertake to pay to the concerned municipality all such applicable fee charges such as scrutiny fee, conversion fee, external development charges, composition fee CLU charges, labour cess, etc., as notified/prescribed.

It is requested that the permission for regularization may be granted accordingly.

I/We shall further undertake to abide by all the applicable rules, regulations and conditions as may be imposed by the competent authority in this case.

Yours faithfully,

Place : Signature of the applicant(s)

Date: Address

Annexure—"B"

To be Substituted bearing same No. and date

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

ORDER

In continuation of the order of the Government dated 20-10-2010 issued vide endorsement No. 20/35/2010-6C1, dated 02-11-2010 and order dated 3-12-2010 issued vide endorsement No. 8/64/09-6/C1, dated 16-12-2010 sanction of the Government under section88 (iii) of Haryana Municipal Corporation Act 1994 and section 70 (viii d) of the Haryana Municipal Act, 1973 is hereby accorded for revising the following fees/charges for granting permission for commercial use within the limits of Municipal Corporations/ Councils/Committees.

Sr. No.	Municipal Area	Width of the roads	Rate in Rupees Per sq. mtrs.
1	2	3	4
1.	Gurgaon	up to 30 mtrs	3000
		More than 30 mtrs	3500
2.	Panchkula, Faridabad	up to 30 mtrs	1500
		More than 30 mtrs	2000

1	2	3	4
3.	Sonepat, Panipat, Sohna, Karnal, Kurukshetra, Ambala, Yamunanagar, Bahudurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Ganaur, Palwal, Hodel, Rewari	up to 30 mtrs More than 30 mtrs	1000 1200
4.	The Municipal areas other than mentioned above.	up to 30 mtrs More than 30 mtrs	600 800

In case of regularization of unauthorized commercial establishment 25% extra charges shall be leviable.

Chandigarh:
The 3rd April, 2012

RAM NIWAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 20/35/2010-6C1, dated 4-4-2012

A copy of the above is forwarded to the following for the information and necessary action:

1. Director General, Urban Local Bodies, Haryana, Chandigarh.
2. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.
3. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.
4. All Executive Officers/Secretaries of Municipal Councils/ Committees in the State of Haryana.

Superintendent Committee–I,
For Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, पिछले साल मैंने यही प्रश्न पूछा था जिसके बाद सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है इसके लिए सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह एक बहुत अच्छी बात है। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैरिज पैलेस सड़कों पर बने हुए हैं जिससे वहां पर सारा ट्रैफिक रूक जाता है। हमारे हिसार के बारे में तो माननीय मंत्री जी स्वयं अच्छी तरह से जानती हैं क्योंकि वहां हालात बहुत ज्यादा खराब थे लेकिन अब गवर्नमैंट ने पॉलिसी बना ली है इससे सुधार हो जायेगा इसके लिए मैं सरकार का फिर से धन्यवाद करता हूं। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी 577 मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल ट्रैस आऊट हुए हैं कि इतने मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल हरियाणा प्रदेश में हैं। जहां तक मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल की रेगुलराईजेशन की बात है सरकार द्वारा उनको दो महीने का समय दिया गया है। अभी यह दो महीने का समय पूरा नहीं हुआ है फिर भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार के पास कितनी एप्लीकेशंज़ मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल की रेगुलराईजेशन के लिए आ गई हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल रेगुलराईजेशन नहीं करवायेंगे उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, अभी लास्ट डेट बाकी है इसलिए माननीय मंत्री जी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पायेंगी।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अगर माननीय मंत्री जी के पास इनफर्मेशन अवेलेबल है then it is alright otherwise I am satisfied.

श्रीमती सावित्री जिन्दल : स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगी कि अभी हमारे पास सिर्फ रोहतक से 40 एप्लीकेशंज़ आई हैं इसके अलावा अभी कहीं और से हमें कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, जो नई पॉलिसी आई है इसके तहत जो मैरिज पैलेस का 50 परसैंट पार्किंग एरिया है वह खाली छोड़ना है, जो मिनीमम फ्रंट है वह 60 फुट होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन यह भी है कि इसमें सीवरेज़ ट्रीटमैंट प्लांट भी होना चाहिए, 17 टॉयलैट्स भी बनाने होंगे और जो रेट फॉर रेगुलराईजेशन लिमिट है वह पुरानी म्युनिसिपल कमेटी के लिए 500 रुपये प्रति मीटर है और उसके बाद नई म्युनिसिपल कमेटी लिमिट 1000 रुपये प्रति मीटर है। इसके अलावा जो मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया है वह 1000 मीटर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो बैंक्वेट हॉल बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं और नये नॉर्म्स को पूरा नहीं करते क्या उनके ऊपर भी ये नियम लागू होंगे या उनको कोई छूट प्रदान की जायेगी क्योंकि वे बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं और अगर उनको बंद कर दिया जायेगा तो वे लोग बेरोजगार हो जायेंगे ?

श्रीमती सावित्री जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, जो बैंक्वेट हॉल नॉर्म्स को पूरा करते हैं उनको नियमित किया जायेगा और जिनको छूट देने की जरूरत महसूस होगी उनको छूट भी दी जायेगी।

Basic Facilities at Barara Bus Stand

***1833. Shri Rajbir Singh Barara :** Will the Transport Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is a shortage of basic amenities at the Barara Bus Stand: if so, the time by which the basic amenities at the Barara Bus Stand are likely to be provided; and

(b) the time by which the status of Sub-Depot is likely to be given to the Barara Bus Stand ?

परिवहन मन्त्री (श्री आफताब अहमद) :

(क) नहीं श्रीमान्। फिर भी सुविधाओं में और बढ़ोतरी करने के प्रयास किये जाऐंगे।

(ख) बराड़ा में हरियाणा राज्य परिवहन का सब-डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री राजवीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वहाँ पर हम सुविधायें देने का प्रयास करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वे कौन-कौन सी सुविधायें देंगे क्योंकि वहाँ पर न तो कोई अड्डा इन्चार्ज है और न ही पानी की सुविधा है और न ही साफ सफाई का कोई प्रबन्ध है।

श्री आफ़ताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर एक सब इन्सपैक्टर की पोस्टिंग की गई है तथा पानी और सफाई की व्यवस्था भी की हुई है। वहाँ पर बिजली और ट्यूबवैल की सुविधा भी दी गई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अगर वहाँ पर सुविधायें नहीं हैं तो करवा दीजिए।

श्री आफ़ताब अहमद : ठीक है सर, वहाँ पर हम सभी प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं फिर भी अगर कोई और जरूरत होगी तो हम वह भी पूरी कर देंगे।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब मंत्री जी ने 'नहीं' में दिया है, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सब-डिपो स्थापित करने का क्या क्राईटेरिया है ?

श्री आफ़ताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, सब-डिपो स्थापित करने के लिए एक मेन डिपो से सब-डिपो की दूरी और सड़क पर भीड़ को भी देखा जाता है। पिछले 13 सालों से कोई भी सब-डिपो नहीं बनाया गया है।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर दूरी की बात करें तो इधर तो अम्बाला है और उधर जगाधरी है।

श्री आफ़ताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, जिले छोटे-छोटे हो गये हैं इसलिए डिपो से सब-डिपो की दूरी भी कम रह गई है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न श्रीमती सुमिता सिंह हर बार पूछती हैं इसलिए वे भी पूछ सकती हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब तो मेरा प्रश्न भी लगना बंद हो गया है क्योंकि वह आश्वासन समिति को रैफर कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके विभाग के अधिकारी करनाल में कई बार बस अड्डे के लिए जगह देखने गये हैं और फिर अगले दिन हमें अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि अधिकारियों की टीम आई थी और जगह देख कर वापस चली गई, उसके बाद जब वे चण्डीगढ़ वापस आ जाते हैं तो वे इस बात को भूल जाते हैं। पिछले से पिछले से पिछले सैशन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने यहाँ हाउस में आश्वासन दिया था कि अगली बार करनाल में हमारे विभाग के अधिकारी जब जायेंगे तो अपने संबंधित विधायक को साथ लेकर जायेंगे और वे जगह फाइनल करके आयेंगे लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है।

Mr. Speaker : You were not in Karnal, I am sure. They came there but you were not there.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप तो गन्नौर में होते हो, आपको कैसे पता कि मैं करनाल में नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि आप गन्नौर में नहीं होते। (हंसी)

Mr. Speaker : Please sit down because so many hands are being raised for this question.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोई संतोषजनक जवाब दिया जाये। मेरी तो किसी तरह से संतुष्टि होनी चाहिए।

Mr. Speaker : Next time it will make sure that information will be sent to you well-in-advance.

Smt. Sumita Singh : I do not want to go and see any area. I just want to fulfill the assurance given by the Government.

Shri Aftab Ahmed : Speaker Sir, we would ensure that her concerns will be taken care.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के विभाग के अधिकारी कई बार वहाँ का दौरा कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अगली बार आपको एडवांस में सूचना दे दी जायेगी।

Smt. Sumita Singh : Speaker Sir, I do not want any information. I just want the Bus-stand to get constructed there.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के बारे में सरकार कितनी गम्भीर है इस बात का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में परिवहन विभाग से संबंधित पैरा ही नहीं है लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सब-डिपो बनाने के लिए कुछ नियम तय हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक सब डिपो की दूसरे सब डिपो से कितनी दूरी होनी चाहिए और यह भी बताएं कि उसके लिए उन्होंने क्या-क्या नियम बनाए हैं ?

श्री आफताब अहमद : सर, जहां तक बराड़ा डिपो की बात है उसमें पहले से ही 25-26 बसें चल रही हैं और दस बसें हमेशा बस स्टैंड पर खड़ी भी रहती हैं। अरोड़ा साहब, आपको इस महकमे के बारे में तो हमसे भी ज्यादा जानकारी रहेगी क्योंकि आप तो खुद परिवहन मंत्री रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने खुद कहा है कि एक सब डिपो की दूसरे सब डिपो से डिस्टैंस देखा जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि एक सब डिपो की दूसरे सब डिपो से कितना डिस्टैंस होता है ? स्पीकर सर, ऐसा कोई नियम नहीं है, यह तो सदन को गुमराह करने वाली बात है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, इसके लिए जगह की स्थिति देखी जाती है कि वहां पर सब डिपो बनाना जरूरी है या नहीं और एक सब डिपो की दूसरे सब डिपो से डिस्टैंस भी देखा जाता है।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा) : अरोड़ा साहब, आपको कहां चाहिए जहां मुनासिब है वहां बना दिया जाएगा।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, फिरोजपुर झिरका में भी सब डिपो बनाने की डिमांड बहुत पुरानी है पिछले बजट सैशन में भी मैंने इस डिमांड को रखा था। जिसका मुझे आश्वासन दिया गया था कि फिरोजपुर झिरका में सब डिपो जल्द से जल्द बनाया जाएगा लेकिन अब तक वहां सब डिपो नहीं बना है। यह सब डिपो बनवाने की मेवात के लोगों की भी बहुत पुरानी डिमांड है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कब तक फिरोजपुर झिरका में सब डिपो बन जाएगा ?

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, जैसे भाई नसीम अहमद जी ने कहा मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं और साथ- साथ मैं पुन्हाना हल्के के बारे में भी मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पुन्हाना में भी सब डिपो बनाने का कोई प्रोविजन कर रही है ?

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, जैसा कि अभी कहा गया है कि अभी कहीं भी कोई सब डिपोज नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि पहले ही छोटे छोटे जिले हो गये हैं इसलिए हर क्षेत्र में सब डिपो बनाना संभव नहीं है और जहां तक पुन्हाना क्षेत्र की बात है वहां बस स्टैंड बनाने के लिए महकमे ने 2 करोड 88 लाख रुपये जमीन की पेमेंट कर दी है और 5 करोड़ रुपये की सहायता से वहां पर बस स्टैंड बनाया जा रहा है। फिरोजपुर झिरके का सब डिपो जब गुड़गांव में था वह वहां की दूरी के हिसाब से था। अब यह नूंह में बन चुका है।

To Open a Girls College in Manesar

***1928. Shri Ganga Ram :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Village Manesar of Pataudi Assembly Constituency; if so, the time by which aforesaid college is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत मानेसर ने 12.8.10 को मानेसर में कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए रैजुलेशन पास किया हुआ है और डी.सी. साहब ने उसको रिकमैंड करके महकमे को भेजा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक यह काम शुरू हो जाएगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि गुड़गांव जिले में हमारे बहुत से कॉलेजिज चल रहे हैं क्योंकि वह आस पास के बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। सन् 2005 से लेकर हमारी सरकार ने तकरीबन 35 नये कॉलेज खोले हैं। अभी हमारे पास स्टाफ की एक्यूट शोर्टेज चल रही है इसलिए हमने तकरीबन 1396 स्टाफ की रिक्वीजिशन भेजी हुई है। इस समय गुड़गांव में तकरीबन 5 नये कॉलेज चल रहे हैं जो ऑनरेबल मैंबर के क्षेत्र से 15 या 20 किलो मीटर की दूरी पर हैं। अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स का निर्माण कार्य भी चल रहा है जोकि श्री राम कॉमर्स ऑफ कालेज के पैटर्न पर खोला जाएगा। तकरीबन 2 गवर्नमेंट एडिड कॉलेज इस समय गुड़गांव जिले में चल रहे हैं। मैं समझती हूं कि इस समय वहां की जरूरतें पूरी हो रही है।

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, जब भी मेरा शिक्षा के बारे में सवाल लगता है तो दूरी का जिक्र आ जाता है। सर, गुड़गांव व रिवाड़ी के बीच में कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जा सके। स्पीकर सर, जिन कॉलेजों का जिक्र मंत्री जी ने किया वे हमारे क्षेत्र से लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर हैं और वहां लड़कियों के लिए जाना संभव नहीं है। इसलिए कृपा इस पर दोबारा से विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है इस पर दोबारा से विचार करेंगे।

श्री मामू राम : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहूंगा कि क्या नीलोखेड़ी में कन्या महाविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि है तो इसे कब तक बनाये जाने की संभावना है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, फिलहाल नीलोखेड़ी में इस तरह के कालेज को बनाये जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि 24 फरवरी, 2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हल्का बावल के पाली गांव में एक गर्ल्ज कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, इस पर कब तक कार्यवाही शुरू हो जायेगी?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हल्का बावल में जो गवर्नमैंट कॉलेज है वह बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि जहां कहीं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणायें हुई हैं, उन सभी के लिए जगह देखना और उन्हें पूरा करने के लिए सभी तरह की संभावनाओं को तलाशना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

Thermal Power Plants Made Operational

***1805. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) the number of Thermal Power Plants which were made operational in the State during the years 2009 till date togetherwith the details including their location, capacity and date of commencement;

(b) the period during which any of the plants, as at (a) above, remained closed; and

(c) the reasons for shutting down the plants, as at (b) above, alongwith the amount; if any, spent for the repair of these plants ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a statement is laid on the Table of House.

Statement

(a) The information regarding power plants made operational in the State during the year 2009 till date alongwith the information regarding their location, capacity and date of commencement is as

under :

Sr. No.	Name of Thermal Power Plant	*Date on which the Units were made operational at full load	Installed capacity for Haryana State	Location
1.	2x600 MW Rajiv Gandhi Thermal Power Plant	600MW Unit-1 01-04-2010 600MW Unit-2: 01-10-2010	600 MW 600 MW	Khedar (Hisar)
2.	3x500 MW Indira Gandhi Super Tharmal Power Project, Jhajjar. (Joint venture of Govt. of Haryana, Delhi & NTPC) - Haryana's share : 50% (750MW)	500MW Unit-1: 01-11-2010 500MW Unit-2: 05-11-2011 500MW Unit-3: 07-11-2012	250 MW 250 MW 250 MW	Jharli (Jhajjar)
3.	2x660 MW Mahatma Gandhi Super Thermal Power Project, Jhajjar (under Case-2 mechanism of Govt. of India).	660MW Unit-1: 12-01-2012 660MW Unit-2: 12-04-2012	660 MW 660 MW	Khanpur Khurd (Jhajjar)
	Total Installed capacity for Haryana State		**3270 MW**	

* Date of operation (commissioning) of the Unit indicate the date on which a generating Unit achieved full rated loads on designated fuel i.e. coal.

(b) & (c) The information regarding the period during which the power plants mentioned at (a) remained closed alongwith reason for shutting down for the repair is as under :

Sr. No.	Period during which the power plants remained closed	Reason of outage
1	2	3
A.	**600 MW Unit-1 Rajiv Gandhi Thermal Power Plant :**	
1.	11-09-10 to 05-10-10 (24 days)	For modification of economizer tubes by OEM, M/s SEC China.
2.	20-11-10 to 08-12-10 (18 days)	To attend problem of high vibration at turbine bearing and also to carry out modification in Ash handling system by EPC contractor M/s R-Infra/SEC.
3.	10-03-11 to 10-04-11 (31 days)	Non availability of coal due to blockage of rail track by Pro reservation agitators.
4.	28-04-12 to 10-08-12 (104 days)	Highvibration in turbine bearing.
5.	26-10-12 to 13-11-12 (18 days)	To replace support bearing of Air Pre-heater.
6.	20-02-13 to 18-05-13 (87 days)	For attending pending works by EPC contractor Rinfra.
B.	**600 MW Unit-2 Rajiv Gandhi Thermal Power Plant :**	
1.	09-03-11 to 30-04-11 (52 days)	Non availability of coal due to blockage of rail track by pro reservation agitators.
2.	14-05-11 to 29-05-11 (15 days)	To attend Turbine Vibration problem by balancing of rotor by EPC contractor M/s R-Infra/SEC.

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
3.	31.05.11 to 15.06.11 (15 days)	Outage of coal feeding conveyor belt 8A structure.
4.	26-09-11 to 11-10-11 (15 days)	Due to failure/cracks in Main Oil Tank lube oil line.
5.	21-02-12 to 03-04-12 (42 days0	To attend Vibration problem by rotor balancing by SEC.
6.	08-12-12 to 28-12-12 (20 days)	To attend the problem of non evacuation of ash by ash handling system at designated capacity.
7.	20-02-13 to 21-04-13 (60 days)	For attending pending works by EPC contractor RInfra.
8.	since 12-10-13 (111 days upto 31-01-14)	Unit is under shutdown due to turbine vibration problem for which rotor is being sent to OEM works at SEC/Shanghai for repairs.

No money has been spent by HPGCL for attending above problems. The problems leading to outage of Units are mainly due to EPC contractor RInfra and Original Equipment Manufacturer (OEM) of Boiler Turbo-Generator i.e. SEC, as they were not able to stabilize the machines after their commissioning. The Problems are not attributable to operation/maintenance of the power plant by HPGCL.

C. 3X500 MW Indira Gandhi Super Thermal Power Project, Jhajjar. (Joint venture of Govt. of Haryana, Delhi & NTCP):

All the three Units are under commercial operation and there has been no major plant outage during the period since commercial operation of the Unit. However, the individual Units of IGSTPP remained under shut down as per grid requirements, minor repairs and planned overhauling.

D. 660 MW Unit-I Mahatma Gandhi Super Thermal Power Project, Jhajjar (under Case-2) mechanism of Government of India):

1.	02-04-12 to 19-04-12 (17 days)	Shortage of coal
2.	24-05-12 to 18-06-12 (25 days)	Shortage of coal
3.	30-06-12 to 27-07-12 (27 days)	Coal feeding and Main Steam Valve problem.
4.	04-10-12 to 30-10-12 (26 days)	Shortage of coal
5.	28-12-12 to 21-02-13 (55 days)	Shortage of coal
6.	15-05-13 to 30-05-13 (15 days)	Shortage of coal
7.	30-05-13 to 24-06-13 (25 days)	Backing down due to no demand

E. 660 MW Unit Mahatma Gandhi Super Thermal Power Project, Jhajjar (under Case-2 mechanism of Government of India):

1.	09-08-12 to 10-09-12 (32 days)	Unit stopped after carrying out pre-commissioning tests.
2.	25-10-12 to 27-12-12 (63 days)	Shortage of coal
3.	22-02-13 to 10-05-13 (77 days)	Shortage of coal
4.	13-06-13 to 02-07-13 (19 days)	Backing down due to no demand

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने अभी कहा कि the statement is laid on the table of the House तो यह ठीक है लेकिन मेरा जो प्रश्न है वह इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमारे पास बिजली सरप्लस है इसलिए जो थर्मल पॉवर प्लांट्स हैं चाहे वह कोल बेस्ड प्लॉट्स हैं या और कोई दूसरे प्लॉट्स हैं, उनको बंद कर रखा है लेकिन दूसरी तरफ सरकार प्राईवेट सैक्टर से बिजली खरीद रही है। पानीपत थर्मल पॉवर प्लॉट की टोटल 8 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स आज भी बंद हैं। जब सरकार के पास बिजली सरप्लस मात्रा में है तो फिर ऐसे में प्राईवेट सैक्टर से बिजली खरीदने का क्या औचित्य है? किस कारण से प्राईवेट सैक्टर से बिजली खरीदी जा रही है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की टोटल 8 में से 7 यूनिट्स को बंद क्यों किया गया है तो उस संबंध में मैं माननीय सदस्य को केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि वर्तमान में पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की एक यूनिट काम कर रही है जिससे आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लॉट जो हिसार के खेदड़ में स्थित है, वह भी चल रहा है अर्थात यहां से भी पर्याप्त बिजली पैदा की जा रही है तथा यमुनानगर में स्थित दोनों पॉवर प्लॉट्स भी वर्तमान में सुधारू रूप से चल रहे हैं और बिजली पैदा कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैंने तो पानीपत थर्मल पॉवर प्लॉट्स की 8 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स के बंद होने के कारणों के बारे में पूछा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1805 के संदर्भ में जो सप्लीमैंटरी प्रश्न किया गया है, उस प्रश्न का संबंधित तारांकित प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। सप्लीमैंटरी प्रश्न किसी भी सूरत में तारांकित प्रश्न संख्या 1805 से लिंक ही नहीं करता है। माननीय सदस्य ने तारांकित प्रश्न संख्या द्वारा केवल यही जानना चाहा है कि वर्ष 2009 से अब तक राज्य में कितने थर्मल पॉवर प्लॉट चलाए गए तथा उनके स्थान, क्षमता तथा शुरूआत करने की तिथि का ब्यौरा क्या है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, तारांकित प्रश्न संख्या 1805 के "ख" भाग को देखें जिसमें पूछा गया है कि "ऊपर (क)" के अनुसार यदि कोई प्लॉट बंद रहे, तो उसकी अवधि कितनी है; तथा "ग" भाग में पूछा गया है कि "ऊपर (ख)" के अनुसार प्लॉटों के बंद होने के कारण क्या हैं तथा इन प्लॉटों की मरम्मत के लिए यदि कोई राशि खर्च हुई है तो कितनी हुई है? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अरोड़ा जी, पानीपत के थर्मल पॉवर प्लॉट से संबंधित पूछा गया प्रश्न किसी भी सूरत में तारांकित प्रश्न संख्या 1805 से लिंक नहीं कर रहा है। (विघ्न) जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है कि बिजली को प्राईवेट सैक्टर से क्यों खरीदा जा रहा है तो उस संबंध में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि Adani Power Company से बिजली खरीदने का एक समझौता किया गया है और समझौते के मुताबिक 3 रुपये 26 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब बिजली खरीदी जा रही है। इस कंपनी ने सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

रेगुलेटरी कमीशन को एक सूट फाईल किया है जब तक उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक Adani Power Company से बिजली खरीदी जायेगी। यहां यह बताना भी जरूरी है कि Adani Power Company से प्रदेश को सस्ते रेट्स पर बिजली मुहैया हो रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमें बिजली सस्ती मिल रही है। बिजली सस्ती मिलने की बात नहीं है। एक तरफ तो सरकार रोजाना इस बात का दावा करती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं। कांग्रेस के मंत्रीगण तथा मुख्यमंत्री जी और सरकार के अधिकारी भी यह दावा करते नजर आते हैं। मैं उस कमेटी का मैम्बर हूँ जिसके अंडर बिजली महकमा आता है। जब इस कमेटी की मीटिंग हुई तो अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की थी कि हमारे पास बिजली सरप्लस मात्रा में उपलब्ध है। मैंने उसी वक्त मीटिंग के अन्दर कहा था अगर आप मानते हैं कि हरियाणा में बिजली सरप्लस मात्रा में है और गांवों में 24 घंटे दी जा रही है तो मैं आपको अलग-अलग बिलेजिज का नाम बता देता हूँ, कमेटी वहां पर जाये और पता लगाये कि वास्तव में क्या हकीकत है ? चौधरी संपत सिंह जी उस वक्त मौजूद थे वे भी सदन में मेरे द्वारा कही गई बात के गवाह हैं। उस समय आश्वस्त किया गया था कि कमेटी इस बात का पता जरूर लगायेगी लेकिन देखने में आया है कि कमेटी ने इस संबंध में कोई विजिट ही नहीं की है। आज प्रदेश की हालत इस तरह की हो गई है कि बिजली की समस्या से लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है और लोग अपने आपको ठगा हुआ तथा दुखी भी महसूस कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बिजली सस्ती ले रहे हैं लेकिन बिजली सस्ती लेने के साथ-साथ सरकार को अपने पॉवर प्लांट भी चलाने चाहिएं ताकि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके। सस्ती बिजली मिलना हर समय मुमकिन नहीं होता है, बिजली विभाग से संबंधित अधिकारियों ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जबकि बिजली 7 रुपये से लेकर 9 रुपये प्रति यूनिट की दर से भी खरीदनी पड़ जाती है। इस सरकार द्वारा खुद के प्लॉट न चलाकर निजी कंपनियों से बिजली खरीदना इस बात को इंगित करता है कि केवल मात्र निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह भी पूछना चाहूँगा कि पानीपत थर्मल पावर प्लॉट की टोटल 8 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स आज भी बंद पड़ी हुई है ये पानीपत थर्मल पावर प्लॉट की 7 यूनिट्स क्यों बंद की गई हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार प्राईवेट कम्पनी (निजी कम्पनी) को कोयला देने के बजाय स्वयं के थर्मल पावर प्लॉट्स प्रयोग में क्यों नहीं लाती। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या प्राईवेट कम्पनी के माध्यम से सरकार ने बिजली लेनी शुरू कर दी है या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि सरकार को जिस कंपनी से सस्ती बिजली मिलना संभव हुआ था, उसी कंपनी से वर्तमान में बिजली खरीदी जा रही है। अदानी पावर कम्पनी से बिजली सस्ती मिलती है तो सरकार ने इसी पावर कंपनी से बिजली खरीदने का निर्णय किया है। जहां तक खेदड़ के थर्मल पॉवर प्लांट का सवाल है वह नम्बर वन चल रहा है। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यमुनानगर का थर्मल पॉवर प्लांट भी चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, सिर्फ खेदड़ (हिसार) के पॉवर प्लांट में यूनिट नम्बर टू नहीं चल रही है, वह वर्किंग कंडीशन में है। (शोर

एवं व्यवधान) इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में 500 मेगावाट के तीनों पॉवर प्लांट चल रहे हैं, जिसमें दिल्ली का 50 प्रतिशत हिस्सा है और हरियाणा प्रदेश का 50 प्रतिशत हिस्सा है। स्पीकर सर, तीनों थर्मल पॉवर प्लांट चल रहे हैं। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट भी चल रहा है, स्पीकर सर, कोयले की कमी के कारण यह पॉवर प्लांट बीच में बंद था। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 7 यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बिजली मैरिट के आधार पर लेती है और जहां से बिजली सस्ती मिलेगी केवल वहीं से बिजली खरीदी जाती है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। हमारी सरकार इन्डस्ट्रीज तथा शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। गाँवों में 14 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है तथा कृषि नलकूपों को 11 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार के समय में गाँवों में तकरीबन 7 घंटे तथा शहरों में तकरीबन 20 घंटे बिजली दी जाती थी लेकिन अब प्रदेश के हालात सुधर चुके हैं। स्पीकर सर, वर्तमान सरकार ने पिलर बॉक्स स्कीम चालू की है। इस स्कीम के तहत जो गाँव पिलर बॉक्स स्कीम को अपनायेगा, उस गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी। आजकल गाँवों में लाइन लॉसिज की समस्या बहुत ज्यादा देखने में आ रही है जिसका मेन कारण बिजली की चोरी का होना है। जिस गांव में बिजली की चोरी बंद हो जाएगी सरकार उस गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का काम करेगी। (शोर एवं व्यवधान) सरकार का एक मात्र उद्देश्य पिलर बॉक्स स्कीम को चालू करके बिजली की चोरी की घटनाएं कम करना तथा लोगों को बिजली की बेहत्तर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कुछ शरारती तत्व के लोग इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी गलत काम करने की आदत जो पड़ी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पिलर बॉक्स स्कीम को जो भी गाँव अपनायेगा उस गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवायेंगें, यह सरकार का आश्वासन है। ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाऊस मैं आज यह बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी गांव पिलर बॉक्स स्कीम को अपनायेंगे उन सभी गाँवों को 24 घंटे बिजली देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let him finish please. Rameshwar Dayal Ji, please let the Minister finish his statement.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ कि पिलर बॉक्स स्कीम को जो भी गांव अपनायेगा जिसके तहत गांव में बिजली उपभोक्ताओं के घरों के बाहर बिजली मीटर लगाये जायेंगे, उस गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी। स्पीकर सर, जिन गाँवों में चोरी हो रही है ऐसे गांव में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लाइन लॉसिज देखने को मिल रही हैं, इस तरह के गांव में सरकार 24 घंटे बिजली कैसे दे सकती है? वर्तमान में सरकार शहरों तथा इन्डस्ट्रीज को 24 घंटे, गाँवों को 14 घंटे तथा कृषि नलकूपों को 11 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। स्पीकर सर, इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार के समय में शहरों में मात्र 20 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती थी और गाँवों में करीब 7 घंटे बिजली ही उपलब्ध करवाई जाती थी परन्तु इनके मुकाबले में आज हमारी स्थिति बैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Arora ji, I have already allowed two supplementaries. How many more supplementaries I will allow? We have to finish the Question Hour.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कुल 80 गांव पिलर बॉक्स स्कीम को अपना चुके हैं। उनको हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पिलर बॉक्स स्कीम भिवानी जिले में तब तक नहीं लगेगी जब तक पूरे हरियाणा प्रदेश में न लग जायें। यह बात आपके मंत्री जी ने भिवानी जिले में कही थी। उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक अरोड़ा : स्पीकर सर, सरकार के एक मंत्री से पूछ लो जिसने यह बयान दिया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि ये अपने इलाके में इस प्रोजैक्ट को लगवायें, हम इनका साथ देंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यह बहुत अहम मुद्दा है, सरकार की मंत्री महोदया खुद जवाब दे रही है कि वह इस प्रोजैक्ट को अपने इलाके में नहीं लगवाना चाहती बल्कि बाकी प्रदेश में लगवाना चाहती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रोजैक्ट को मंत्री के इलाके में लगाने में क्या गड़बड़ी है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य चेयर की अनुमति के बिना बोल रहे हैं उनकी बातें रिकार्ड न की जायें। दांगी जी आप बोलिए।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि ये घरों के बाहर बिजली के मीटर क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं ? कुंडी लगाने का काम किनके समय में शुरू हुआ? इनके नेता ने लोगों को इस काम के लिए प्रेरित किया। उसी समय से यह माहौल खराब हुआ है। इनके नेता ने बिजली के बिल भरने के लिए लोगों को रोका, उसके बाद लोग कहां तक पहुँच गए यह भी सबको पता है।

Construction of Sports Stadium

***1895. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Sports Stadium in village Moli; if so, the time which it is likely to be constructed ?

खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स नीति का सरकार बहुत जोर-शोर से प्रचार प्रसार करती है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के का मोली

गांव एक बहुत बड़ा गांव है इसके आस-पास 20-22 गांव में भी कोई स्टेडियम नहीं है। वहां पर स्टेडियम न बनाने का क्या कारण है ? इस बारे में मंत्री जी स्पष्ट करें।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एक स्टेडियम नटवाल गांव से 6 किलोमीटर दूर मोरनी में तथा दूसरा स्टेडियम मोली गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर बनाया है। ये दोनों स्टेडियम बहुत ही कम दूरी पर है, इसलिए एक ओर नया स्टेडियम बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

To Set Up an Industrial Area in Yamunanagar

***1873. Shri Dilbag Singh :** Will the Industries & Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an Industrial Area in Yamunanagar ?

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, Industrial Estate, Yamunanagar-Manakpur, Phase II is already being developed over an area of 258 acres land, where 240 Plots of different sizes are still available for allotment. Sir, it may be noted that before this, Industrial Estates have been developed in Yamunanagar in the past from time to time, which include (i) Industrial Estate comprising an area of 322 acres (1949); (ii) Industrial Estate comprising an area of 42 acres (1974), and (iii) industrial Estate Yamunanagar-Manakpur (Phase-I) comprising an area of 134 acres (1997-98).

Speaker Sir, with your kind permission I also want to tell my learned friend and to the august House that 180 industrial plots were advertised in December, 2013 against that we have only received 28 applications. So, if my learned friend can suggest anybody who is interested to take said plot, we will allot him an industrial plot immediately. Plots are available there even today.

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इण्डस्ट्रियल एरिया जहां पर बनाने की जरूरत नहीं थी वहां पर बना दिया। सर, हमारे यमुनानगर में मेन इण्डस्ट्री प्लाईवुड बोर्ड की है। उस इण्डस्ट्री से जो वेस्ट निकलती है वह थापर की पेपर मील में लगती है। जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं वह जगह मानकपुर से कम से कम 15-20 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। सर, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यदि सरकार एस.ई.जेड. रोहतक की जगह यमुनानगर में बना दे तो यमुनानगर में बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां एस.ई.जेड की जरूरत नहीं थी वहां तो बना दिये और जहां जरूरत थी वहां नहीं बनाए। आपने रोहतक और झज्जर में एस.ई.जेड बनाये हैं। जबकि यमुनानगर में जरूरत थी लेकिन वहां बनाया ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछें, स्पीच न दें।

श्री दिलबाग सिंह : सर, मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूँ स्पीच नहीं दे रहा हूं। आप हमारी बात को तो स्पीच ही बोलते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त नौजवान हैं, जोशीले हैं इसलिए संभवत: इन्हें तथ्यों की जानकारी पूर्णत: नहीं है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पहले मैं इनके सवाल के बारे में जवाब दे दूं फिर ये अपनी दो या तीन जितनी चाहे, सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। जो मनकपुर यमुनानगर का इंडस्ट्रियल एरिया है यह आज नहीं बनाया गया। इसका पहला फेज 1997-98 में बनाया गया था। माननीय सदस्य यदि पूरे प्रश्न के उत्तर का अवलोकन करते तो ये इस बारे में देख सकते थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No running comments please.

श्री दिलबाग सिंह : उस जगह पर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : 1997-98 में पहला फेज 134 एकड़ में बनाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please, let him complete.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : दूसरा इंडस्ट्रियल फेज वहां पर 258 एकड़ एरिया में डिवैल्प किया गया था।

श्री दिलबाग सिंह : वह एरिया शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वह हिस्सा साढ़े पांच किलोमीटर दूर है।

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बस स्टैण्ड से बस स्टैण्ड की दूरी की बात कर रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो बात दिलबाग सिंह जी एस.ई.जेड के बारे में कह रहे थे, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि रोहतक में कोई एस.ई.जेड नहीं आया है न ही झज्जर में आया है। इनको अपने तथ्यों की दोबारा जांच करनी चाहिए।

Facility of Drinking Water

***1865. Smt. Saroj Mor :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water facility in the Harrappan Civilization, village Rakhi Garhi in tehsil Narnaund; if so, the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : जी हां श्रीमान। गांव राखी गढ़ी में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति क्षमता वाला स्वतंत्र नहर आधारित जलघर मौजूद है गांव के ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, के लिए दो बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु 60.85 लाख रुपये का अनुमान प्रक्रिया में है। दो जगह ऐसी हैं जो कि बहुत ऊंची हैं जहां बूस्टिंग स्टेशन बनने हैं वहां फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? इसके अलावा मेरे हल्के के अन्य कई गावों में भी पानी की समस्या है जैसे बोत, कापड़ो, किन्नर, नारा, इन गांवों को भी पानी की सुविधा दी जाए, यह मेरा अनुरोध है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या मेरा जवाब जानकर खुश होंगी कि जिन गांवों के बारे में इन्होंने कहा भी नहीं था, इनके हल्के के उन 21 गांवों के लिए भी सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम अप्रूव कराई है और उन पर 103.18 लाख रुपये की राशि हम खर्च कर चुके हैं। गांव मदनहेड़ी, सिरसाय और माजरा ये तीनों इसमें कवर होंगे और जिन अन्य गांवों के लिए भी माननीय सदस्या ने अभी कहा है उन गांवों के लिए भी अलग अलग प्लान हैं और उनमें भी 20.14 लाख रुपये की राशि खर्च की जानी है। However, there is a paucity of pipes but these pipes will be bought soon. इनके लिए भी राशि पूरी तरह से निर्धारित की जा चुकी है। वैसे भी इनके हल्के में बहुत ही पुरानी हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन है इसलिए हमारी कोशिश है कि वहां के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा राशि पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उन गांवों में किसी अन्य साधन से पानी उपलब्ध करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : यह एक डिमांड है।

श्रीमती किरण चौधरी : आप उन गांवों के नाम लिखकर दे दें वहां तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई प्रोवाइड करा देंगे।

श्रीमती सरोज मोर : यह सप्लाई आप कब तक प्रोवाइड करा देंगे ?

श्रीमती किरण चौधरी : आप लिखकर दे दें हम शीघ्र ही पानी की सप्लाई टैंकर्स के जरिए प्रोवाइड करा देंगे।

Dilapidated Condition of CHC Hodel

***1825. Shri Jagdish Nayar :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact the building of CHC Hodel and the residences of Doctor and staff are in a dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new buildings as at (a) above.; if so, the time by which the construction work is likely to be started?

(स्वास्थ्य मंत्री) राव नरेन्द्र सिंह :

(क) नहीं, श्रीमान जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होडल की इमारत की हालत ठीक है। 19 निवास स्थानों में से केवल 9 निवास स्थान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

(ख) हां, श्रीमान जी। निर्माण कार्य आवश्यक स्वीकृतियों उपरान्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बड़े अच्छे शब्दों में यह जवाब दिया है कि सी.एच.सी. होडल की हालत बिल्कुल ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने होडल जाकर कितनी बार इस काम को चैक किया है? वहां पर केवल दो कमरे बड़ी मुश्किल से बने हैं। वहां का अस्पताल टूटी फूटी बिल्डिंग में काम कर रहा है। माननीय मंत्री जी आने वाली छुट्टियों में वहां जाकर असली हालत को देखें। उस सी.एच.सी. में केवल दो कमरे हैं और उसमें ओ.पी.डी. की जगह भी नहीं है। इसी तरह से सी.एच.सी. हसनपुर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की असली जानकारी प्राप्त करें क्योंकि इस बारे में इनके किसी अधिकारी ने इनको मिसलीड किया है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में दोबारा से चैक करा लूंगा। वैसे इस बारे में मेरे पास डिटेल है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बारे में बता देता हूं। सी.एच.सी. होडल की बिल्डिंग के लिए वर्ष 2008-09 में 27 लाख रुपये खर्च किए गये हैं और वर्ष 2013-14 में उस सी.एच.सी. के ऑपरेशन थियेटर और वार्ड की मरम्मत के लिए, पेन्ट और सफेदी वगैरह पर 2,42,294/- रुपये खर्च किए गये हैं। अभी भी मरम्मत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा 3 लाख 96 हजार रुपये के कार्य किए जा रहे हैं।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, मैं यह मानता हूं कि वहां पर सफेदी वगैरह का कार्य तो हुआ है लेकिन बाकी कार्य नहीं हुआ है।

To Improve the Supply of Canal Water in Haryana

***1938. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for improving the supply of canal water in Haryana, if so, the time which the supply of canal water is likely to be improved ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Yes, Sir, The canals/watercourses of Haryana Irrigation System were lined about 30-35 years ago. The system has deteriorated during this period due to normal use, resulting in seepage losses in order to reduce seepage losses and improve water supply, rehabilitation of canals and water courses have been taken up. During the last 8 years 301 canals and 2697 watercourses have been rehabilitated and this work will continue during the financial year 2014-15, 2015-16 and thereafter.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह माना है कि नहरों और जल मार्गों की हालत खराब है। इन्होंने खुद बताया है कि 301 नहरों और 2697 जल मार्गों के पुन:निर्माण का कार्य किया गया है। स्पीकर सर, आज जो नहरी पानी हरियाणा के अन्दर अवेलेबल है उसका कम से कम 40 से 50 प्रतिशत सीपेज की वजह से काफी नुक्सान हो रहा है। रिमोट सैंसिंग एजेन्सी जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट की है उसके साथ मिलकर एक एन.जी.ओ. द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि हमारे हरियाणा का 40 प्रतिशत पानी खराब है। क्या इस बात की जानकारी सरकार के पास है? क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई पॉयलेट प्रोजैक्ट पूरे हरियाणा के लिए लाई जायेगी जिससे आज का सिस्टम जो बिल्कुल खराब पड़ा है उसको

बदला जा सके? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में 301 नहरों की हालत को खराब बताया है। हमारे एरिया में तो केवल दो नहरें सुन्दर ब्रान्च और हांसी ब्रान्च ही चलती हैं जिनकी वर्ष 1996 के बाद से सफाई नहीं की गई है। हांसी ब्रान्च की कैपेसिटी 2200 क्यूसिक से ज्यादा पानी की है जबकि आज के दिन उनमें केवल 860 क्यूसिक पानी ही चल रहा है। जीन्द जिले में आज भी 100 वाटर कोर्सिज रिमॉडलिंग के लिए पड़े हुए हैं और कई सालों से वहां की नहरों की रिमॉडलिंग नहीं हो रही है। आज वहां पर नहरों पर कोई काम नहीं हो रहा है।

Mr. Speaker : Do you have any question please?

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां का जो पानी खराब हो रहा है और हांसी ब्रान्च की सफाई नहीं हो रही है क्या उस नहर की सफाई की जायेगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर सर, पूरे हरियाणा में टोटल 1505 कैनाल्ज हैं और 15404 वाटर कोर्सिज हैं। इस सारे के सारे सिस्टम को इम्प्रूव कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फैसला लिया गया है। इनमें से 300 कैनाल्ज पहले ही इम्प्रूव की जा चुकी हैं और बाकी कैनाल्ज को भी पूरी तरह रिहैबिलिटेट किया जायेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने अपने हल्के की बात कही है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री इन पर दयालू हैं उन्होंने इनके हल्के के लिए 17 करोड़ 84 लाख रुपये मन्जूर किए हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को पूरी डिटेल बता देता हूं। इनके हल्के की डिगाना माइनर पर 90 लाख रुपये लगेगा, लदाना माइनर पर 2 करोड़ 87 लाख रुपये लगेगा, बुनाना सब माइनर पर 57 लाख 32 हजार रुपये लगेगा, जमनीखेड़ा माइनर पर 3 करोड़ 31 लाख रुपये लगेगा, करसोला माइनर पर 66 लाख 46 हजार रुपये लेगेगा, न्यू क्षमदू माइनर पर 74 लाख रुपये लगेगा, जगवान माइनर पर 34.10 लाख रुपये लगेगा, इलाजफरवाला माइनर पर 4 करोड़ 56 लाख रुपये लगेगा, जींद डिस्ट्रीब्यूट्री नम्बर 7 पर 1 करोड़ 26 लाख रुपये लगेगा, निरजन माइनर पर 81 लाख रुपये लगेगा, शादीपुर माइनर पर 90 लाख 76 हजार रुपये और पाजू माइनर पर 37 लाख 42 हजार रुपये लगेगा। ये टोटल 17 करोड़ 84 लाख रुपया इनके हल्के में लगेगा। मेरे ख्याल से इतना पैसा कहीं और नहीं लगेगा। इनके हल्के को स्पेशल ट्रीटमैंट दिया गया है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, मंत्री जी ने डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया है इसलिए अब आप बैठें।

Compensation to Farmers

***1845. Dr. Ashok Kashyap :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to frame any policy to provide compensation to those farmers on whose agricultural land high voltage electricity line poles are installed; if so, the details thereof; if not, the reasons thereof ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): No, Sir.

श्री अशोक कश्यप: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज किसानी बहुत छोटी हो चुकी है। जिस किसान के खेत में हाई वोल्टेज पावर का पोल लगता है उसमें उसका 2 कनाल खेत खराब हो जाता है। सरकार किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे करती है इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों के मुद्दे पर दोबारा विचार किया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इंडियन टैलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत no land is required to be acquired. However, during erection of towers जैसे बड़े बड़े टावर जहां लगते हैं अगर वहां क्राप डैमेज हो जाती है तो उसका हम कम्पनसेशन देते हैं लेकिन जहां तक जमीन एक्वायर करने की बात है तो टावर लगाने के लिए कोई जमीन एक्वायर नहीं करनी पड़ती है। यह एक्ट पूरे देश में लागू है। जहां तक 9 मीटर और 11 मीटर के पी.सी.सी. पोल लगाने की बात है तो ये सड़क के साथ साथ लगाते हैं, कई बार खेत के बीच में भी दिए जाते हैं लेकिन कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे टावर लगाने के लिए जमीन एक्वायर करें। यह बहुत पुराना एक्ट है और पूरे देश में लागू है।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट की एक से चार यूनिट जो है उनकी जैनरेशन के बाद सुलाना और खुखलाना गांव की 55 एकड लैंड के अंदर किसान बिजाई नहीं कर सकता है क्योंकि वहां 220 के.वी.ए. लाइन लगी हुई है। वहां न तो सरकार ने कभी कोई मुआवजा दिया है और न ही उनकी जमीन को एक्वायर किया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह 55 एकड़ लैंड है क्या उसका मुआवजा देंगें या कभी एक्वायर करेंगें ?

श्री अध्यक्ष : पवार जी, आप लिखित में यह प्रश्न भेज दें, इसका जवाब आपको भिजवा दिया जाएगा।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि टैलीग्राफ एक्ट के अंदर एक्वीजिशन का प्रोसीजर एडोप्ट नहीं करना पड़ता। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इसमें जमींदार का नुकसान होता है इसलिए कम्पनसेशन देने के बारे में सरकार की कोई न कोई पोलिसी बननी चाहिए। जमींदार का जितना भी नुकसान होता है उसका उसको कम्पनसेशन देने की पोलिसी बननी चाहिए। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मार्किट रेट के हिसाब से जितना जमींदार का नुकसान हो उतना उसको कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा की पोलिसी नहीं है बल्कि यह सैन्ट्रल एक्ट है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल एक्ट में प्रोवीजन है कि there is no acquisition. जहां पर भी टैलीफोन या बिजली के खम्भे किसानों की जमीन पर लगते हैं। उनसे निश्चित रूप से किसानों की फसल का नुक्सान होता है इसलिए उसकी भरपाई कहीं न कहीं से किसान को होनी चाहिए। मेरी मंत्री जी से यही प्रार्थना है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिजली के पोल लगाते समय जो किसानों की फसल का नुकसान होता है उसका मुआवजा किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाता है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, केवल फसल के मुआवजे की बात नहीं है। जितना एरिया बिजली के टावर कवर करते हैं उससे सारी जमीन खराब हो जाती है इसलिए उसका मुआवजा भी निश्चित रूप से किसानों को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप जमीन के मुआवजे की बात कर रहे हैं या फसल के मुआवजे की बात कर रहे हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : सर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जमीन का मुआवजा भी किसान को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अब भारत सरकार द्वारा नई लैंड एक्वीजेशन पॉलिसी बनाई जा चुकी है उसमें यदि इस बारे में कोई प्रोविजन होगा तो उसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

Facilities of Roads, Street Lights and Sewerage etc.

***1934. Master Dharampal Obra :** Will the Agriculture Minister be pleased to state —

(a) the time by which the basic amenities like roads, sewerage, street lights etc. are likely to be provided by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the Behal Mandi in Loharu Constituency;and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct pucka floor of the platforme and sheds in the abovesaid Mandi of Behal town; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir,

(a) the basic amenities like roads and street lights already exist in the Behal Mandi, However, no sewerage system has been provided in the mandi. Tube-well based water supply also exists in the mandi.

(b) keeping in view low level of arrivals and existing level of facilities, there is no proposal for providing more pucca platforms. There is no proposal to construct any shed in this mandi, as of now.

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, बहल अनाज मण्डी में सरकार द्वारा किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है और निर्माण शुल्क पहले ही लगा दिया गया है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि सुविधा देने पर ही निर्माण शुल्क लगाना चाहिए, पहले नहीं लगाना चाहिए। वहां न कॉमन प्लेटफार्म है, न वाटर सप्लाई है, न बिजली है फिर किस तरह की सुविधा लोगों को दी जा रही है ?

श्री परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाकी सारी सुविधाएं वहां पर हैं।

Upgradation of Power Sub-station

***1840. Shri Kali Ram Patwari :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33 KV Power Sub-station of village Hatt in Safidon Constituency: if so, the details thereof ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, the work to augment the capacity of 33 KV Sub-station Hatt from 1x6.3/8+1x10MVA to2x10MVA 33/11KV T/f is in progress and is likely to be completed by 28-02-2014.

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हाट सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए 2x10 एम.वी.ए. 33/11 के.वी. ट्रांसफार्मर करने का कार्य प्रगति पर है। वैसे तो बिजली के मामले में सारा हरियाणा प्रदेश दुखी है लेकिन हाट गांव के पावर हाउस से लगते गांव सबसे ज्यादा दुखी हैं। उसमें 22 गांव पड़ते हैं। इन गांवों को लगातार 4 घंटे बिजली नहीं मिलती है। वहां पर 2x10 एम.वी.ए. की क्षमता बढ़ाने से काम नहीं चलेगा इसलिए वहां पर 132 के.वी. का सब स्टेशन अपग्रेड कब तक किया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सब स्टेशन अपग्रेड करने के लिए बाकायदा सर्वे होता है कि कितनी पावर की जरूरत है उसके बाद ही अपग्रेडेशन होती है। इस समय वहां पर 33 के.वी. से 132 के.वी. का सब स्टेशन अपग्रेड करना मुनासिब नहीं है और मात्र 2x10 एम.वी.ए. की अपग्रेडेशन से काम चल जायेगा। फिर भी यदि जरूरत होगी तो इसको एग्जामिन करवा लिया जायेगा।

Construction of Platform (Farh) and Shed

***1817. Shri Naresh Selwal :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that New Grain Market in village Agroha has been constructed but platforms and Sheds have not been constructed in the aforesaid Grain Market; if so, the time by which the platforms (Farh) and Sheds are likely to be constructed and the Grain Market is likely to be made functional properly; and

(b) the time by which the platforms (Farh) are likely to be constructed in the purchase centres of Pabra, Hassangarh and Shyamsukh ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir,

(a) Platforms in New Grain Market in village Agroha have been constructed but no shed has been constructed yet.

(b) Platforms already exist in purchase centres at Pabra, Hassangarh and Shyamsukh.

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो अग्रोहा की अनाज मण्डी है वहां पर शैड नहीं है, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है और अनाज मण्डी, अग्रोहा में अभी तक सचिव की नियुक्ति भी नहीं हुई है। किसान और व्यापारी हमारे पास अपनी डिमाण्ड लेकर आते हैं इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वहां पर सचिव की नियुक्ति की जाये, शैड बनवाया जाये, पीने के पानी सहित अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जायें। मेरी दूसरी मांग यह है कि परचेज़ सैंटर पाबड़ा और हसनपुर में प्लेटफार्म तो बने हुए हैं लेकिन उनका एरिया बहुत कम है इसलिए इनका एरिया बढ़ाया जाये। इसके अलावा जहां तक परचेज़ सैंटर, श्यामसुख का सम्बंध है वहां पर बिलकुल कच्चा एरिया है और वहां पर कोई प्लेटफार्म नहीं बना हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परचेज़ सैंटर पाबड़ा और हसनपुर में प्लेटफार्म का एरिया कब तक बढ़ाया जायेगा और परचेज़ सैंटर, श्यामसुख में पक्के प्लेटफार्म कब तक बनाये जायेंगे? इसके साथ-साथ मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि अनाज मण्डी, अग्रोहा को कब तक फंक्शनल बनाया जायेगा?

सरदार परमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अग्रोहा सब-यार्ड है और वहां पर अनाज की आवक भी बहुत ज्यादा कम है इसलिए अभी वहां पर शैड की आवश्कता नहीं है। जहां तक परचेज़ सैंटर पाबड़ा व हसनपुर में प्लेटफार्म का एरिया बढ़ाने का सम्बंध है और परचेज़ सैंटर, श्यामसुख में पक्का प्लेटफार्म बनाने का सम्बंध है हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो उसके मुताबिक कार्यवाही कर ली जायेगी।

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद की अनाज मण्डी में अनाज की आवक बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर शैड नहीं बने हुए हैं। क्या मंत्री जी वहां पर शैड बनवाने बारे में कोई प्रॉविज़न करवायेंगे?

सरदार परमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह सैपरेट क्वेश्चन है इसलिए इसके लिए माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें हम उसको कंसीडर कर लेंगे।

Repair of Roads

***1809. Shri Mammu Ram :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the following roads in Nilokheri Constituency are in very bad condition:—

(i) Nissing to Dacher;

(ii) Raipur Roran G.T. Road Barshalu;

(iii) Anjanthali to Raipur Roran via Barshalu;

(iv) Badshapur Taraori to Anjanthali; and

(v) Majra Roran to Bir Baralwa; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, Road wise reply is as under :—

Sr. No.	Name of road	Ownership	Length (in km)	Stretch	Condition of road	Reply
1	2	3	4	5	6	7
(i)	Nissing to Dacher	PWD (B&R)	6.00	0.00 to 6.00	Bad	The administrative approval for its repair at an estimated cost of Rs. 46.85 lakh was issued on 11-02-2014. Tenders for repair have been invited with a time limit of 6 months. However, at this juncture no time frame can be given. But I want to assure my learned friend that we will try to do it at the earliest.
(ii)	Raipur Roran G.T. Road to Barshalu	PWD (B&R)	5.90	0.00 to 5.90	Bad	Proposal for widening and strengthening with an estimated cost of Rs. 275.80 lakh is under consideration. We have put up it to Hon'ble Chief Minister. We hope to get an approvel soon. However, at this juncture no time frame can be given. But I can assure my learned friend that at the earlier opportunity we shall try to take up the work.
(iii)	**Anjanthali to Raipur Roran via Barthal**					
	(a) Anfanthali to Nilokheri Karsa Dhand road	PWD (B&R)	1.10	0.00 to 1.10	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
	(b) Nilokheri Karsa Dhand road to Barthal	PWD (B&R)	2.60	0.00 to 2.60	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
	(c) Barthal to Raipur	HSAMB	5.42	0.00 to 5.42	Bad	The administrative approval for its repair at an estimated cost of Rs. 92.70 lacs was issued on 28-01-2014. The work has been allotted to the agency on 29-01-2014.

1	2	3	4	5	6	7
						It is likely to be repaired by 30-06-2014.
iv)	Badshahpur Taraori to Anjanthali	PWD B&R	6.81	0.00 to 3.60	Bad	The administrative approval for its repair at an estimated cost of Rs. 165.60 lacs was issued on 27-07—2013. The work has been allotted to the agency on 14-02-2014. It is likely to be repaired by 30-09-2014
				3.60 to 6.81	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
v)	**Majra Roran to Bir Baralwa**					
	a) Karnal Kachhwa Sambli Kaul road to Koer	PWD (B&R)	2.15	0.00 to 2.15	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
	b) Koer to Bir Badalwa road	PWD (B&R)	3.08	0.00 to 3.08	Bad	The administrative approval has been granted on 03-12-2013 with an estimated cost of Rs. 117.87 lakh with provision of widening & strengthening. Tenders are likely to be invited in the next financial year. However, at this juncture time frame cannot be given.

Domestic Electricity Connections to Dhanies

***1923. Shri Ram Pal Majra :** Will the Power Minister be pleased to state whether any policy has been framed by the Government in the State to connect the Deras and Dhanies with domestic electricity feeders: if so, the details thereof ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां श्रीमान, कृषि (ए०पी०) फीडरों पर विशेष डिजाईन वाले ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाकर राज्य के डेरों और ढाणियों को ग्रामीण घरेलू आपूर्ति समय-सारणी की पद्धति पर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक नीति है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

अतारांकित प्रश्न एव उत्तर

Construction of Road

516. Rao Bahadur Singh : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the road from Rajasthan Border, Rai Malikpur to Dadri is likely to be constructed ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सर, इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। हलांकि सड़क का रख-रखाव 20 मि०मी० एम०एस०एस० द्वारा किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है :--

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति नं० और दिनांक	राशि	कार्य की आवंटन तिथि	कार्य शुरू होने की तिथि	कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि
1.	राय मलिकपुर से नारनौल सड़क की 20 मि०मी० एम०एस०एस० से मरम्मत	9/126/2013 -3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू०) दिनांक 12.06.2013	582.62 लाख	28.11.2013	13.12.2013	30.04.2014
2.	कुकसी से महेन्द्रगढ़ जिले की सीमा तक सड़क (राज्य मार्ग-17) कि०मी० 27.60 से 59.46 की 20 मि०मी० एम०एस०एस० से मरम्मत	9/126/2013 -3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू०) दिनांक 12.06.2013	816.00 लाख	04.10.2013	24.10.2013	30.04.2014
3.	दादरी-महेन्द्रगढ़-नारनौल (राज्य मार्ग-17) सड़क कि०मी० 59.346 से 77.05 की 20 मि०मी० एम०एस०एस० से मरम्मत।	9/126/2013 -3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू०) दिनांक 12.06.2013	456.24 लाख	21.10.2013	04.11.2013	कार्य पूरा हो चुका है।

Discharge of Water in Dabra Minor

519. Shri Sampat Singh: Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) the CCA under Dabra Minor, the discharge of water in the Dabra Minor, whether the discharge is according to the 'A' Form; if not, the reasons for not changing the 'A' Form and whether the department intends to remodel the available size of this Minor as per required size;

(b) whether it is a fact that the records of the land belonging to this Minor is missing; if so, whether any complaint have been made to the police togetherwith the result thereof; and

(c) whether the outlets on this minor ahead of Tosham road are viable; if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to close such outlets ?

वित्त मन्त्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) :

(क) श्रीमान जी, डाबड़ा माइनर का सी०सी०ए० 1007.50 एकड़ है। डाबड़ा माइनर में पानी का प्रवाह 5 क्यूसिक है। शहरीकरण होने की वजह से जल प्रवाह 'ए' फार्म के हिसाब से नहीं है क्योंकि कुछ मोघे बन्द कर दिए गए हैं। सी०सी०ए० को यू०सी०ए० में परिवर्तित करने के लिए मामलों को अपनी ओर से शुरू किया गया है। शहरीकरण होने की वजह से माइनर का सी०सी०ए० लगातार कम हो रहा है। जहाँ सी०सी०ए० कम हो गया है वहां 'ए' फार्म का संशोधन अपनी ओर से प्रक्रिया में है। वर्तमान में माइनर का पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हाँ, श्रीमान जी। यह तथ्य है कि इस माइनर से संबंधित भूमि का कुछ रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस माइनर का निर्माण 1853-54 के दौरान हुआ था और कुछ रिकार्ड 1988 में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि, डाबड़ा माइनर के तहत भूमि का इन्तकाल सरकार के नाम है। इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गैर उपलब्ध रिकार्ड फिर से उचित समय में तैयार कर लिया जायेगा।

(ग) तोशाम रोड से आगे माइनर पर मोघे कामयाब हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। वर्तमान में ऐसे मोघों को बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Installation of Transformers Under HVDS

536. Col. Raghbir Singh : Will the Power Minister be pleased to state —

(a) the circle wise detail of the transformers installed under the HVDS scheme;

(b) the circle wise amount spent for installing the abovesaid transformers under HVDS scheme; and

(c) the details of line losses of electricity occurred before the installation of these transformers togetherwith the line losses occurred after the installation of aforesaid transformers ?

बिजली मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान्, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (उ०ह०बि०वि०नि०) के चार जिलों के कृषि क्षेत्र में तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (द०ह०बि०वि०नि०) के सात सर्कलों एवं सात शहरी फीडरों (हिसार सर्कल में) के 834 गांवों के ग्रामीण घरेलू क्षेत्र में एच०वी०डी०एस० योजना लागू की गई है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	सर्कल का नाम	31.12.2013 तक स्थापित ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या
उ०ह०बि०वि०नि०		
1.	कुरुक्षेत्र	24917
2.	कैथल	12313
3.	करनाल	54263
4.	रोहतक	2808
	योग	**94301**
द०ह०बि०वि०नि०		
5.	फरीदाबाद	196
6.	गुड़गांव	1839
7.	हिसार	6150
8.	नारनौल	1704
9.	पलवल	540
10.	रेवाड़ी	7174
11.	सिरसा	2865
	योग	**20468**
	कुल योग (उ०ह०वि०बि०नि० + द०ह०बि०वि०नि०)	**114769**

(बी) 31.12.2013 तक एच०वी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए सर्कलवार खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र० सं०	सर्कल का नाम	खर्च की गई धनराशि (करोड़ों में)
उ०ह०वि०वि०नि०		
1.	कुरुक्षेत्र	390.03
2.	कैथल	132.03
3.	करनाल	625.06
4.	रोहतक	20.95
	योग	**1168.07**

क्र० सं०	सर्कल का नाम द०ह०बि०वि०नि०	खर्च की गई धनराशि (करोड़ों में)
5.	फरीदाबाद	3.32
6.	गुड़गांव	26.67
7.	हिसार	137.99
8.	नारनौल	37.29
9.	पलवल	9.14
10.	रेवाड़ी	102.72
11.	सिरसा	46.10
	योग	**363.23**
	कुल योग (उ०ह०बि०वि०नि० + द०ह०बि०वि०नि०)	**1531.30**

(सी) इन ट्रांसफार्मरों की स्थापना के पहले तथा पश्चात् लाईन लॉसिज उ०ह०बि०वि०नि० में क्रमश: 19 प्रतिशत एव 13 प्रतिशत और द०ह०बि०वि०नि० में 22.34 प्रतिशत एवं 16.96 प्रतिशत है।

Amount Spent on the Parks

527. Dr. Hari Chand Middha : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the details of the amount spent for the renovation and improvement of Parks of Jind district from the year 2009 to 2013; and

(b) the details of facilities of electricity and water in the Parks of the Jind city ?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : श्रीमान् जी, वर्ष 2009 से 2013 के दौरान 2,17,86,481/- रु० की राशि जोकि जीन्द जिले के पार्कों के सौंदर्यीकरण पर खर्च की गई है, का विवरण निम्न अनुसार है :-

(i) नगरपरिषद, जीन्द : रु० 78,57,481/-

(ii) नगरपरिषद, नरवाना : रु० 85,00,000/-

(iii) नगरपालिका, सफीदों : रु० 35,37,000/-

(iv) नगर सुधार मण्डल : रु० 18,92,000/-

(क) जीन्द शहर में 25 पार्क हैं और सभी में बिजली व पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Draining out the Water in Hodel City

535. Shri Jagdish Nayar : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a problem of draining out the water in Hodel city; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a nullah to drain out the dirty water of the city; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : हाँ, श्रीमान् जी, नगरपालिका, होडल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से गौंची नाला तक बरसात के पानी/गंदे पानी के निपटान के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिस पर कार्य सदन से मंजूरी लेने के बाद और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होने के बाद शुरु किया जायेगा।

Grant released to the Panchayats

539. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of grant released by the State Government in the financial years 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 to the village Panchayats of Julana Constituency togetherwith the village wise breakup thereof ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Village-wise detail of funds sanctioned by the State Government in the villages of Julana Assembly Constituency during 2010-11 to 2013-14 (upto 31.1.2014) is as under :—

(Amount Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of Villages	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Total (2010-14)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akalgarh	85.11	5.00	42.60	10.00	142.71
2.	Anoopgarh	0.00	6.00	10.00	53.60	69.60
3.	Ashrafgarh	0.00	1.00	1.09	0.00	2.09
4.	Assan	0.00	8.21	17.39	23.30	48.90
5.	Bahbalpur	0.00	5.00	3.00	8.00	16.00
6.	Barah Kalan	0.00	0.00	10.00	25.00	35.00
7.	Barah Khurd	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00
8.	Barar Khera	0.00	0.00	0.00	16.82	16.82
9.	Baroli	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
10.	Beerwali Dhani (Ramgarh)	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Behbalpur	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
12.	Bhairon Khera	0.00	48.92	0.00	76.24	125.16
13.	Bhambhewa	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
14.	Bheron Khera	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98
15.	Bibipur	0.00	12.00	106.72	31.50	150.22
16.	Biroli	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27
17.	Bishanpura	0.00	2.00	8.12	25.67	35.79
18.	Brah Kalan	0.00	7.27	12.85	4.25	24.37
19.	Brah Khrud	0.00	5.00	51.49	9.15	65.64
20.	Brahmanwas	0.00	73.11	51.10	30.00	154.21
21.	Brar Khera	0.00	3.00	13.64	8.05	24.69
22.	Buana	0.00	22.01	6.80	26.40	55.21
23.	Budha Khera Lathar	25.50	54.27	0.00	48.26	128.03
24.	Budha Khera Lathar	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
25.	Buradehar	0.00	2.00	11.04	20.00	33.04
26.	Buwana	0.00	3.06	4.48	0.00	7.54
27.	Chabri	0.00	6.00	14.55	49.77	70.32
28.	Desh Khera	0.00	15.62	3.16	5.00	23.78
29.	Devaror	30.00	33.09	9.10	32.90	105.09
30.	Dhani	0.00	2.00	1.26	0.00	3.26
31.	Dhigana	24.94	9.11	6.06	59.62	99.75
32.	Fatehgarh	51.00	3.00	12.33	10.00	76.33
33.	Gainda Khera	0.00	10.00		0.00	10.00
34.	Garhwali	0.00	3.00	10.00	19.41	32.41
35.	Gatauli	0.00	25.51	21.34	20.00	66.85
36.	Ghimana	0.00	43.75	52.25	41.00	137.00
37.	Gohiyan	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
38.	Gosai Khera	0.00	5.15	5.50	29.83	40.48
39.	Govindpura	0.00	3.00	12.60	49.05	64.65
40.	Gulkani	0.00	5.00	8.00	24.12	37.12
41.	Gurthali	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
42.	Hathwala	25.00	30.65	35.83	25.00	116.48
43.	Igrah	0.00	22.17	20.17	30.00	72.34

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5	6	7
44.	Jaijaiwanti	0.00	4.44	5.40	36.78	46.62
45.	Jhamola	0.00	0.10	10.35	15.40	25.85
46.	Kamach Khera	0.00	80.67	60.00	35.00	175.67
47.	Karamgarh	0.00	2.00	3.85	0.00	5.85
48.	Karela	0.00	44.51	26.58	70.00	141.09
49.	Karsola	19.31	11.40	57.44	105.00	193.15
50.	Kharainti	0.00	0.00	13.68	31.00	44.68
51.	Kharakramji	11.58	0.27	22.00	47.58	81.43
52.	Kharanti	20.00	0.00	0.00	15.00	35.00
53.	Khera Bakhta	0.00	12.30	14.10	50.00	76.40
54.	Kilazafergarh	24.92	4.75	7.45	40.00	77.12
55.	Kinana	0.00	2.50	8.95	33.41	44.86
56.	Kishanpura	0.00	5.27	4.00	14.77	24.04
57.	Lajwana Kalan	0.00	44.30	67.72	46.00	158.02
58.	Lajwana Khurd	0.00	33.87	40.83	23.63	98.33
59.	Lakhmirwala	0.00	2.00	15.35	27.81	45.16
60.	Lalit Khera	0.00	3.00	3.52	15.00	21.52
61.	Malvi	0.00	14.46	24.74	60.00	99.20
62.	Meharda	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00
63.	Mehrara	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
64.	Nandgarh	0.00	4.59	16.50	15.00	36.09
65.	Nidana	0.00	5.00	4.60	20.00	29.60
66.	Nidani	0.00	65.00	13.00	72.15	150.15
67.	Padana	0.00	0.00	16.68	31.00	47.68
68.	Pauli	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00
69.	Ponker Kheri	0.00	3.00	5.14	15.00	23.14
70.	Pouli	20.00	61.40	2.69	19.74	103.83
71.	Radhana	0.00	18.00	13.45	36.42	67.87
72.	Raj Garh	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
74.	Rajpura Bhain	0.00	0.00	0.00	33.87	33.87
75.	Ramgarh	0.00	4.00	1.66	10.00	15.66
76.	Ramkali	0.00	2.00	16.46	35.00	53.46

1	2	3	4	5	6	7
77.	Ramrai	0.00	12.72	10.00	49.00	71.72
78.	Shadipur	0.00	25.00	111.53	25.00	161.53
79.	Shamlo Kalan	0.00	159.13	58.00	93.24	310.37
80.	Shamlo Khurd	0.00	3.00	66.60	56.45	126.14
81.	Sindhve Khera	34.65	32.00	38.62	10.00	115.27
82.	Sirsa Kheri	0.00	2.00	12.73	25.00	39.73
83.	Siwaha	0.00	27.70	18.50	46.61	92.81
84.	Sunder Pur	0.00	0.00	12.00	15.00	27.00
	Grand Total	**372.03**	**1220.08**	**1460.55**	**2264.06**	**5316.72**

Repair of Roads

544. Master Dharampal Obra : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the following roads in Loharu Constituency are in completely damaged condition:—

(i) Singhani to Siwani;

(ii) Behal to Pilani road (upto Rajasthan Border)

(iii) Behal to Budhshaili *via* Bidhwan;

(iv) Behal to Jhumpa;

(v) Bidhnoi to Chehar Kalan *via* Bithan; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) व (ख) श्रीमान् जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्न है

क्र. सं.	सड़क का नाम	मालिकाना	लम्बाई (कि०मी० में)	भाग	सड़क की स्थिति	उत्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिंघानी से सिवानी	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	10.70	कि.मी. 59.36 से कि.मी. 70.06	संतोषजनक	इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है।

[मास्टर धर्मपाल ओबरा]

1	2	3	4	5	6	7
1.	सिंघानी से सिवानी	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	4.20	कि.मी. 70.06 से कि.मी. 74.26	अच्छी	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
		लो.नि.वि. (भ.व.स.)	13.10	कि.मी. 74.26 से कि.मी. 87.36	अच्छी	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
		लो.नि.वि. (भ.व.स.)	21.50	कि.मी. 87.36 से कि.मी. 108.86	अच्छी	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
2.	बहल से पिलानी सड़क (राजस्थान बार्डर तक)	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	11.78	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 11.78	खराब	इसकी निविदाऐं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II के तहत आमन्त्रित की जा चुकी हैं। आशा है कि इस कार्य को 31.05.15 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
3.	बहल से बुधशैली वाया बिधवान					
	(क) बहल से सूरपुरा कलां	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	4.20	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 4.20	खराब	इस सड़क की विशेष मरम्मत की प्रशासकीय स्वीकृति 39.96 लाख रुपए की अनुमानित लागत से दिनांक 09.01.14 को जारी कर दी गई थी। इसकी निविदाऐं आमन्त्रित की जा चुकी हैं। आशा है कि इस कार्य को 30.09.14 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
	(ख) सूरपुर कलां से मंढोली खूर्द	ह.रा.कृ.वि. बोर्ड	5.50	कि.मी. 4.20 से कि.मी. 10.70	संतोषजनक	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
	(ग) मंढोली खूर्द से बिधवान वाया सिवाच	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	5.60	कि.मी. 10.70 से कि.मी. 16.30	संतोषजनक	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
	(घ) बिधवान से गांगला	ह.रा.कृ.वि. बोर्ड	5.00	कि.मी. 16.30 से कि.मी. 21.30	अच्छी	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
	(ङ) गांगला से राष्ट्रीय राजमार्ग-65 वाया बुधसैली	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	3.80	कि.मी. 21.30 से कि.मी. 25.10	खराब	इस सड़क की विशेष मरम्मत की प्रशासकीय स्वीकृति 28.94 लाख रुपए की अनुमानित

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							लागत से दिनांक 11.02.14 को जारी कर दी गई थी। इसकी निविदाएँ आमन्त्रित की जा चुकी है। आशा है कि इस कार्य को 31.12.14 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।	
4.	बहल से झुम्पा	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	15.00	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 15.00	अच्छी		मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।	
		लो.नि.वि. (भ.व.स.)	3.30	कि.मी. 15.00 से कि.मी. 18.30	खराब		इस सड़क की विशेष मरम्मत की प्रशासकीय स्वीकृति 235.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से दिनांक 02.08.13 को जारी कर दी गई थी। इसकी निविदाएँ आमन्त्रित की जा चुकी है। आशा है कि इस कार्य को 08.08.14 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।	
5.	बिधनोई से चैहड़ कलां वाया बिठन	लो.नि.वि. (भ.व.स.)	8.25	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.25	सन्तोषजनक		मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।	

Construction of Bridges on Rivers

555. Shri Pardeep Chaudhary : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bridge across the rivers at village Khetpurali, Madlai, Rampur, Toda-Natwal and Kraiwala in Kalka Constituency ; if so, the time by which the said bridges are likely to be constructed ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी,

1. **गांव खेतपराली से टांगरी नदी पर पुल का निर्माण**

टांगरी नदी पर गांव खतेपराली के नज़दीक पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिनांक 02.02.2012 को 625.12 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सरकार के पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 29.05.2013 द्वारा अनुमोदन रद्द कर दिया है

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

क्योंकि निर्माण स्थल पर विकट परिस्थितियों के कारण पुल का निर्माण संभव नहीं है।

2. **गांव मंडलाई में बेगना नदी पर पुल का निर्माण**

इस पुल के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 11.07.2013 को 400.00 लाख रुपए की प्रदान की गई थी तथा वित्तीय स्वीकृति नाबार्ड स्कीम के तहत 07.02.2014 को 400.00 लाख रुपए की प्रदान की गई है। इसकी निविदाएं स्वीकृत कर ली गई हैं तथा मांगी जा चुकी हैं। इस पुल के निर्माण का कार्य निविदाएं आवंटित होने के 1½ वर्ष बाद पूरा कर लिया जाएगा।

3. **गांव रामपुर में स्थानीय नदी पर पुल का निर्माण**

गांव रामपुर से मीरपुर संपर्क मार्ग की लम्बाई 1364 मीटर है तथा इसका निर्माण वर्ष 2005 में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस सम्पर्क मार्ग पर गांव रामपुर से मीरपुर तक पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

4. **गांव टोडा नटवाल में टांगरी नदी पर पुल का निर्माण**

फिलहाल गांव टोडा नटवाल से नया गांव के लिए कोई सड़क संपर्क नहीं है। अत: टांगरी नदी पर पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। ये गांव पहले से ही सम्पर्क सड़क से जुड़े हुये हैं। नया गांव बरवाला-रेवाली सड़क से तथा टोडा नटवाल छज्जु-माजरा भौली सड़क से जुटा हुआ है।

5. **गांव कंडाईवाला में समीरपुर-नाला के ऊपर पुल का निर्माण**

इस पुल के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन दिनांक 11.07.2013 को 562.30 लाख रुपए जारी किये गये थे। निविदाएं सक्षम अधिकारी से मंजूर करवा ली गई हैं तथा आमंत्रित भी कर ली गई हैं। इस पुल का निर्माण कार्य निविदाएं आबंटित करने के 1½ वर्ष बाद पूरा कर लिया जाएगा।

Beneficiaries of the Apni Beti Apna Dhan Yojna

549. Shri Pirthi Singh Nambardar : Will the Women and Child Development Minister be pleased to state the number of beneficiaries in the State who have availed the benefit under the "Apani Beti Apna Dhan Yojna" during the period from 1-4-2009 to 31-12-2013 ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान् जी, राज्य में 01.04.2009 से 31.12.2013 की अवधि के दौरान अपनी बेटी अपना धन योजना के अधीन लाभानुभोगियों की संख्या शून्य है। अपनी बेटी अपना धन योजना 02.10.1994 से आरम्भ हुई थी। यह योजना 01.04.2006 को बंद कर दी गई।

Degree College for Girls in Radaur Town

550. Dr. Bishan Lal Saini : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Degree College for Girls in Radaur Town ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी।

Repair of Roads

564. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road from Sector 20 to Sector 27 and Sector 28 in Panchkula which has been damaged badly?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हाँ, श्रीमान् जी; सैक्टर-20, 21, 23, 24, 26, 27 और 28 पंचकूला की सड़कों की मुरम्मत की योजना विचाराधीन है।

Shortage of Officers and Field Staff in Haryana Police

579. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Police in Haryana is facing acute shortage of officers and field staff which is affecting efficiency in Police force;

(b) if so, the number of posts of Police Inspectors, Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors and Constables lying vacant in Haryana Police *vis a vis* their sanctioned strength togetherwith the reasons as to why these posts are lying vacant; and

(c) the steps taken by the Government to fill up the vacant posts in Haryana Police?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, सदन के पटल पर कथन रखा गया है।

कथन

(क) हाँ, श्रीमान जी कमी है। फिर भी वर्तमान में नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अत: पुलिस विभाग की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) दिनांक 1.2.2014 को हरियाणा पुलिस में पदों की मंजूरशुदा संख्या, तैनाती संख्या और रिक्तियों का विवरण इस प्रकार हैं :—

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	तैनाती संख्या	रिक्तियाँ
1.	निरीक्षक	840	646	194
2.	उप निरीक्षक	2057	1500	557
3.	सहायक उप निरीक्षक	4672	3844	828
4.	प्रधान सिपाही	9293	6821	2472
5.	सिपाही	40534	31900	8634
	कुल	**57396**	**44711**	**12685**

उपरोक्त रिक्तियाँ सेवा निवृति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा पिछले पाँच वर्षों में 9566 नए पदों के सृजन से हुई है। ये पद पुलिस आयुक्त प्रणाली, नए पुलिस थानों, पुलिस चौकियों के स्तर में वृद्धि, आई०आर०बी०, गुप्तचर विभाग की अलग शाखा, गुड़गांव में नई मैट्रो रेलवे लाइन के लिए सुरक्षाबल और महिला पुलिस थानों की स्थापना इत्यादि के लिए सृजित किए गए हैं।

(ग) हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड के पास 12,017 सिपाही (पुरुष, महिला, बेलार संचालक, खिलाड़ी और आई0आर0बी0) के पदों की भर्ती के लिए अधियाचना (मांग पत्र) भेजी गई है।

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1.	पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी) भूतपुर्व सैनिक	1347
2.	पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी)	8275
3.	महिला सिपाही (सामान्य ड्यूटी)	334
4.	पुरुष सिपाही (आई०आर० बटालियन्स)	736
5.	पुरुष एवं महिला सिपाही (खिलाड़ी)	308
6.	पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी)	460
7.	पुरुष सिपाही (वायरलैस ऑपरेटर)	557
	कुल	**12017**

हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही पदों के लिए उपरोक्त अधियाचना (मांग पत्र) दिनांक 1.10.2013 को की गई रिक्तियों की गणनानुसार भेज दी गई है, जबकि (ख) में दिखाई गई रिक्तियां दिनांक 1.2.2014 की गणना के अनुसार हैं। इसके अलावा, एक भर्तीशुदा सिपाही निरीक्षक पद तक पदोन्नति प्राप्त कर सकता है (उप निरीक्षक स्तर के 50 प्रतिशत तथा निरीक्षक स्तर के 77 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं)। शेष रिक्तियों की पूर्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी।

हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरु कर चुका है। निरीक्षक तथा उप-निरीक्षक पदों के लिए सीधे तौर पर की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया सरकार के पास विचाराधीन है।

Unmetalled Roads of Villages of Khadar Area

598. Shri Subhash Chaudhary : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister on 1.4.2012 at the Palwal rally that unmetalled roads of all the villages of Khadar area will be metalled; if so, the action taken so far on the above said announcement ; and

(b) the time by which the roads are likely to be metalled in the villages of aforesaid area ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) व (ख) श्रीमान् जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्न है

क्र. सं.	घोषणा संख्या/ दिनांक	सड़क का नाम	मरम्मत की अनुमानित तिथि	की गई कार्यवाही
1.	5707 01.04.2012	एच.एल पुल से भागपुर सड़क का निर्माण (आई.डी. 3613)	10.12.2014	कार्य 12 महीने की समय अवधि से ठेकेदार को आबंटित किया जा चुका है।
2.	5308 01.04.2012	भागपुर से शेखपुर कुराली तक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3614)	25.02.2015	कार्य शुरु करने के लिए पत्र ठेकेदार को 12.02.2014 को जारी कर दिया गया है। अनुबंध दस्तावेज में प्रस्तावित समय सीमा 12 महीने है।
3.	5309 01.04.2012	भागपुर से सोलरा तक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3615)	25.02.2015	कार्य शुरु करने के लिए पत्र ठेकेदार को 12.02.2014 को जारी कर दिया गया है। अनुबंध दस्तावेज में प्रस्तावित समय सीमा 12 महीने है।
4.	5310 01.04.2012	सोलरा से भागपुर तक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3616)	----	इस आगामी वर्ष में विचाराधीन के लिए लम्बित रखा गया है।
5.	5311 01.04.2012	राजपुर खादर तक संयोजक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3617)	----	इस आगामी वर्ष में विचाराधीन के लिए लम्बित रखा गया है।
6.	5312 01.04.2012	सोलरा से सोलरा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तक संयोजक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3618)	----	इस आगामी वर्ष में विचाराधीन के लिए लम्बित रखा गया है।
7.	5313 01.04.2012	भागपुर से माला सिंह फार्म तक संयोजक सड़क का निर्माण (आई.डी. 3619)	----	इस आगामी वर्ष में विचाराधीन के लिए लम्बित रखा गया है।

Reservation in Service and Education

517. Rao Bahadur Singh : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the percentage of reservation in Service and Education likely to be provided to those persons who have given their land for setting up the University at Mahendergarh; and

(b) the time by which the aforesaid reservation to the local residents is likely to be provided togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान् जी, केन्द्रीय विश्व विद्यालय अधिनियम, 2009 में जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा की स्थापना की गई है, ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नही है जिन्होंने महेन्द्रगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अपनी भूमि दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नही होता।

Extention of Un-starred Question No. 521

Unstarred Question No. 521 has been listed for 25th February, 2014 which involves collecting specialized information from all the private hospitals in Haryana which will not be possible in a short period of time. I would, therefore, request that extension for one month may please be granted for this question. In this regard Addl. Chief Secretary, Health has also requested to Haryana Vidhan Sabha (copy enclosed).

(Sd/-).....,
Health Minister

Secretary,
Haryana Vidhan Sabha.

Sanctioned Staff in the Office of SDE, Jhojhu Kalan and Badhra

537. Col. Raghbir Singh : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the post wise details of the sanctioned posts for the office of SDE electricity, Jhojhu Kalan and Badhra separately in the Badhra Constituency togetherwith the number of the staff working against the sanctioned posts; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to meet out the shortage of staff; if so, the time by which it is likely to be met out ?

बिजली मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) श्रीमान, बाढड़ा निर्वाचनक्षेत्र के अन्तर्गत परिचालन उपमण्डल झोझू कलां और बाढड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत अमला का पदवार विवरण अनुलग्नक-ए के अनुसार सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) हां, शीघ्र ही अमले की कमी को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव है।

अनुलग्नक -ए

बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत परिचालन उपमण्डल झोझू कलां और बाढड़ा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर तथा कार्यरत अमले की स्थिति निम्नानुसार है :--

परिचालन उपमण्डल, झोझू कलां

पद का नाम	स्वीकृत पद पद	कार्यरत स्थिति	कुल रिक्तियां
ए.ई.	1	-	1
जे.ई.-1	1	-	1
जो.ई./एफ.	4	-	4
एल.एम.	49	20	29
ए.एल.एम.	125	43	82
ए.एफ.एम.	11	8	3
सी.ए.	1	-	1
यू.डी.सी.	5	1	4
एल.डी.सी.	6	5	1
एल.डी.सी./सी.	4	2	2
कैशियर	1	-	1
एम.आर.	7	1	6
बी.डी.	5	-	5
एस.एस.ए.	4	4	0
ए.एस.एस.ए.	22	3	19
एस.ए.	12	2	10
डी.एम.	1	-	1
चालक (एफ.)	1	1	0
सेवादार (एफ.)	2	5	-3
चौकीदार (एफ.)	1	-	1
कुल	**263**	**95**	**168**

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

परिचालन उपमण्डल, बाढड़ा

पद का नाम	स्वीकृत पद पद	कार्यरत स्थिति	कुल रिक्तियां
ए.ई.	1	1	0
जे.ई-1	1	-	1
जे.ई./एफ.	2	-	2
एल.एम.	33	15	18
ए.एल.एम.	76	33	43
ए.एफ.एम.	5	2	3
सी.ए.	1	-	1
यू.डी.सी.	3	-	3
एल.डी.सी.	5	4	1
एल.डी.सी./सी.	2	-	2
कैशियर	1	-	1
एम.आर.	3	-	3
बी.डी.	3	1	2
एस.एस.ए.	4	5	-1
ए.एस.एस.ए.	13	2	11
एस.ए.	9	1	8
डी.एम.	0	0	0
चालक (एफ.)	1	-	1
सेवादार (एफ.)	2	1	1
चौकीदार (एफ.)	1	1	1
कुल	**166**	**66**	**100**

Functioning of PHC in Village Lohchab

528. Dr. Hari Chand Middha : Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the time by which the Health services are likely to be started in Primary Health Centre of village Lohchab of Jind Constituency; and

(b) the total number of Primary Health Centres and Community Health Centres in Jind Constituency ?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) श्रीमान् जी, जीन्द निर्वाचनक्षेत्र के गांव लोहचब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(ख) जींद निर्वाचनक्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

Desilting and Cleaning of Minors

534. Shri Jagdish Nayar : Will the Irrigation Minister be pleased to state the number of times the work of cleaning digging and desilting of the Hodal Distributary, Hasanpur Distributary, Gochhi Drain, Ujina Drain, Siya Minor and Dadka Minor has been done since the year 2009 till date?

वित्त मन्त्री (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) : श्रीमान् जी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सन् 2009 से 2013 तक होडल रजबाह, हसनपुर रजबाह, सीया माइनर व डाडका माइनर में उगी हुई घास-फूस की सफाई का कार्य हर साल करवाया गया है। परन्तु उपरोक्त चैनलों की खुदाई और गाद निकालने का कार्य 2009 से अब तक नहीं करवाया गया, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

Arms License

540. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Arms License issued in financial year 2013-14 in Jind district ; and

(b) the total number of Arms License issued in financial year 2013-14 in Julana Assembly Constituency ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : क एवं ख श्रीमान् जी, वित्त वर्ष 2013-14 में 13.02.2014 तक जिला जीन्द में कुल 42 शस्त्र लाईसैंस व जुलाना विधान सभा क्षेत्र में कुल 6 शस्त्र लाईसैंस जारी किये गये हैं।

Installation of Meters under the Pillar Box Scheme

545. Master Dharampal Obra : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Pillar Box Scheme has been started by the Power Sub-division of Behal in village Mandoli Kalan, Sorda Karim including the villages Mandoli Khurd and Siwach of Siwani Sub- division falling under the Loharu Constituency ;

(b) whether it is also a fact that the new electronic Meters installed under the abovesaid Pillar Box Scheme are creeping 5 to 10 times fast in comparison with the old Meters and the electricity is being

[मास्टर धर्मपाल ओबरा]

supplied only 10-12 hours per day in these villages against the declared 24 hours electricity supply; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for replacing the abovesaid new electricity meters and also to supply electricity 24 hours in the abovesaid villages of Loharu Constituency ?

बिजली मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां यह तथ्य है कि लोहारू निर्वाचनक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले (परिचालन) उपमंडल सिवानी के गांव मंढोली खुर्द तथा सिवाच और (परिचालन) उपमंडल बहल के गांव मंढोली कलां, सोरडा करीम में पिल्लर बॉक्स स्कीम शुरु की गई है।

(ख) यह तथ्य नहीं है कि पिल्लर बॉक्स में स्थापित नए इलैक्ट्रोनिक मीटर पुराने मीटरों की तुलना में 5 से 10 गुणा ज्यादा तेज सरक रहे हैं। स्थापना से पहले इलैक्ट्रोनिक मीटरों की जांच विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुसार की जाती है। यद्यपि, पुराने इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर समय बीतने के साथ धीमी गति से चलने (चलित पुर्जे वाले) के कारण उनको सही इलैक्ट्रोनिक मीटर के साथ बदला जा रहा है। गांव मंढोली खुर्द और सिवाच में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है और मंढोली कलां तथा सोरडा करीम गांवों में भी (पिल्लर बॉक्स) कार्य पूरा होने पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।

(ग) सही/ठीक-ठाक चलने वाले इलैक्ट्रोनिक मीटरों के बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, जबकि केवल सही मीटर ही पिल्लर बॉक्स में स्थापित किए जा रहे हैं। खराब मीटर, यदि कोई है तो उसे मौके पर ही बदला जा रहा है। पिल्लर बॉक्स कार्य पूर्ण होने पर गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।

Development of Morni Hills as Tourist Spot

556. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the Morni Hills as Tourist Spot; if so, the time by which it is likely to be developed?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : "श्रीमान् जी, मोरनी हिल्स पहले से ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है। जहां पर निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं :-

(क) 16 अतिथि-कक्ष जन-सुविधाओं सहित एवं दो अति महत्त्वपूर्ण कक्ष।

(ख) 60 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक रैस्तरां।

(ग) 60 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक समिति कक्ष तथा बड़ी पार्टियों/सम्मेलन हेतु रेस्तरां एवम् समिति कक्ष को जोड़ा जा सकता है क्योंकि इन दोनों को बीच में धुमावदार व फोल्डिंग पार्टीशन का प्रावधान है।

(ध) कमरों के पीछे टैरस पर बैठ कर पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखने की सुविधा उपलब्ध है।

(ङ) 10 वाहन चालकों की क्षमता की डोरमेटरी।

(च) स्वागत कक्ष/लॉबी।

(छ) स्त्री एवं पुरुषों के लिए जन सुविधाएं।

(ज) रसोई घर/पैन्टरी/स्टोर इत्यादि।

उपरोक्त के अतिरिक्त, टिक्करताल पर निम्नलिखित पर्यटक सुविधाएं विकसित की गई हैं :--

(क) जन सुविधाओं सहित 8 कमरे।

(ख) कैम्पिंग/ट्रेकिंग/साहसिक गतिविधियों हेतु आने वाले समूहों के लिए 2 डोरमेटरी।

(ग) 100 व्यक्तियों की क्षमता वाला बहुउद्देश्यीय हॉल।

(ध) 70 व्यक्तियों की क्षमता वाला कैफेटीरिया जहां से टिक्करताल झील का दृश्य अति शोभनीय बन पड़ता है।

(ङ) 16 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुकूलित भोजनालय।

(च) रसोई/पेंट्री/स्टोर।

(छ) जन-सुविधाएँ।

(ज) वाहन चालक डोरमेटरी।

(झ) प्राकृतिक दृश्यों के लिए झील में स्थल।

(ट) कैम्पिंग साईट"।

Bridge on Western Yamuna Canal

552. Dr. Bishan Lal Saini : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the bridge being constructed at Jathlana Road on the Yamuna Canal is likely to be completed ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी। इस कार्य के जून, 2014 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Re-opening of Cut Between Sector 7 & 8

565. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-open the cut between Sector 7 & 8 of Panchkula ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी;

Damage to Land Due to Bottom Ash Disposal Pond

586. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware that more than 350 acre fertile land of 100 farmers has gradually turned barren in Sutana village of district Panipat due to bottom ash disposal pond of Panipat Thermal Power Station;

(b) if so, the reasons for disposal of untreated effluents from the Plant; and

(c) the steps being taken by the Government to stop seepage of toxic effluents into the fields from the power plant togetherwith the steps taken by the Government to give compensation to the affected farmers due to loss of their crops for the last several years?

बिजली मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान्,

(क) ऐश डाईक के निर्माण के बाद कोई भी जमीन बंजर घोषित नहीं की गई है। यद्यपि ऐश डाईक के निर्माण से पहले वहां पर 53 एकड़ जमीन बंजर थी और आज भी वही स्थिति है। पानीपत के राजस्व अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि ऐश डाईक ऐरिया के आसपास वाटर लागिंग के कारण 229 एकड़ जमीन जोती नहीं गई है। वॉटर लागिंग की समस्या को लेकर गांव सुताना के किसानों ने सूचित किया तथा इस समस्या को ठीक करने के लिए 31.01.2014 को पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारियों तथा सुताना गांव के निवासियों (सरपंच सहित) की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया।

समस्या का विश्लेषण करने के लिए समिति की सहमति से कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय संस्थान के डॉ० बलदेव सतिया को उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सलाहाकार के रूप में नियुक्त किया गया है ग्रामीणों की मांग और सलाहाकार की सिफारिश के बाद एच०पी०जी०सी०एल० द्वारा भूमि के जल स्तर कम करने के लिए परीक्षण के आधार पर एक ट्यूबवैल स्थापित किया गया है।

(ख) गांव सुताना के किसानों की निजी जमीन पर संयंत्र द्वारा कोई भी बहि:स्राव नहीं डाला गया। संयंत्र से बहि:स्राव को शोधन करने के बाद ही उंटला ड्रेन में छोड़ा जाता है। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड विभाग द्वारा 28.12.2013 को उंटला ड्रेन से पानी के नमूने एकत्र किए गए जिसके रिजल्ट निर्धारित सीमा में ही है। इससे पहले 09-03-2012 और 01.02.2013/14.02.2013 को उंटला ड्रेन से लिए गए पानी के नमूने के रिजल्ट भी अपनी निर्धारित सीमा में ही पाए गए थे।

ऐश डाईक से रिसाव/ओवरफलो के पानी को सुताना गांव की ड्रेन में छोडा जा रहा है। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड विभाग द्वारा 17.1.2014 को ड्रेन के

विभिन्न स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए थे जिसके रिजल्ट निर्धारित सीमा में ही है। इससे पहले, 20.03.2012 और 28.03.2013 को लिए गए पानी के नमूनें भी अपनी निर्धारित सीमा में ही पाए गए थे।

(ग) ऐश डाईक से रिसाव का पानी और उंटला ड्रेन का पानी विषाक्त बहि:स्राव से युक्त नहीं है (जैसा की ऊपर पैरा ख में सूचित किया है)

ऐश तो ऐश डाईक में डालने के लिए वेस्टर्न यमुना केनाल का पानी केरियर के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है तथा पानी के नुकसान को कम करने के लिए ऐश डाईक एरिया में लगे वाटर रिकवरी सिस्टम द्वारा लगभग 50% पानी को पुन: प्राप्त किया जा रहा है और दोबारा प्रयोग में लाया जा रहा है, लगभग 10% पानी वाष्पित हो जाता है, लगभग 35% रिसा हुआ पानी सुताना गांव की ड्रेन के माध्यम से जाता है तथा बाकी बचा हुआ 5% पानी जमीन में चला जाता है। जैसा कि ऊपर पैरा (क) में बताया गया है ऐश डाईक से पानी के नजदीक निजी भूमि में पानी के रिसाव की समस्या को संयुक्त समिति की सिफारिश तथा सलाहाकार के परामर्श के अनुसार हल कर लिया जायेगा अब तक किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

To Open an University

599. Shri Subhash Chaudhary : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister on 1.4.2012 at the Palwal rally to open an University and to open a separate Hostel for the Scheduled Castes Students therein; if so, the action taken by the Government in this regard; and

(b) the time by which the aforesaid University and the Hostel are likely to be opened ?

राजस्व मन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान जी हां।

(क) माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा ने वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के द्वितीय परिसर की स्थापना हेतु जिला पलवल में भूमि उपलब्ध कराने हेतु घोषणा दिनांक 01-04-2012 को की थी।

विभाग द्वारा पांच स्थानों का सर्वे किया गया तदोउपरान्त उक्त पांच स्थानों के तुलनात्मक गुणवत्ता और उनमें से प्रत्येक की उपयुक्तता का मूल्यांकन उपरान्त एक उपयुक्त स्थान का अंतिम चयन शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

क्रम संख्या	गांव का नाम	भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी-2	वाई०एम०सी०ए० कैम्पस की दूरी	स्थलाकृति
1.	फुलतारी	154 एकड	03 कि०मी०	35 कि०मी०	समतल भू-स्थान
2.	डुढोला	164 एकड़	07 कि०मी०	16 कि०मी०	समतल भू-स्थान
3.	चांदहट	155 एकड़ (दो टुकड़ों में 34+81)	25 कि०मी०	56 कि०मी०	प्रस्तावित स्थल समतल है परन्तु खारे पानी की समस्या है
4.	धुधेड़ा	37 एकड़	04 कि०मी०	40 कि०मी०	समतल भू-स्थान
5.	धातिर	32.5 एकड़	14 कि०मी०	50 कि०मी०	समतल भू-स्थान

अनुसूचित जाति की लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया हुआ है।

(ख) वाई०एम०सी०ए० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के दूसरे परिसर के निर्माण तथा इसके पूरा होने की कोई समय सीमा तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक की इसके लिए स्थल का चयन तथा अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाती। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों के छात्रावास का निर्माण भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही शुरु हो पायेगा।

Electricity Connections to the Tubewells

518. Rao Bahadur Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the electricity connections are not being released to the tubewells installed by the Government in Khatauli Jat, Budhwal, Kamania, Bhugarka etc. villages in Nangal Chaudhary; if so, the time by which the electricity connections are likely to be released ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्रीमती किरन चौधरी) : श्रीमान जी, नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के दौरान नलकूपों को चालू करने के लिए 59 बिजली के कुनैक्शनों के आवेदन किए गए थे। इनमें से अब तक 39 बिजली के कुनैक्शनों को जारी किया जा चुका है और शेष 20 कुनैक्शनोंको जारी करने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य अगले दो महीनों में पूरा हो जाएगा। गांव खतौली जाट, बुढवाल, कमानिया, भुगारका में बिजली के कुनैक्शनों की स्थिति निम्न अनुसार है :--

खतौली जाट	बिजली का कुनैक्शन एक महीने के अन्दर जारी कर दिया जाएगा।
बुढवाल	नलकूप अभी लगाया जाना है।
कमानिया	जन स्वास्थ्य विभाग का नलकूप मौजूद नहीं है।
भुगारका	बिजली का कुनैक्शन जारी कर दिया गया है।

नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र के लंबित बिजली के कुनैक्शनों बारे एक स्टेटमैंट अनुबन्धित की गई है।

विवरण

नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र के लंबित कनैक्शनों का विवरण

क्रम सं०	गांव के नाम/नलकूप	नलकूपों की संख्या
1	2	3
1.	ढाणी भाटडां (नया गांव)	1
2.	ढाणी भुजापसली (मसनोटा)	1
3.	ढाणी दौलतराम की (नरहेड़ी)	1
4.	ढाणी गोपा साधकी (मसनोटा)	1
5.	ढाणी पदमावाली (मसनोटा)	1
6.	ढाणी रामेश्वर की (मसनोटा)	1
7.	ढाणी साधां की (नंगल दरगू)	1
8.	खतोली अहीर	1
9.	अमरपुरा	1
10.	ढाणी जागरात (मुकंदपुरा)	1
11.	इकबालपुर नंगली	1
12.	मोहनपुर	1
13.	श्योनाथपुरा (सिलारपुर)	1
14.	हमीदपुर	1
15.	खतौली जाट	1
16.	बलाहा खुर्द	1
17.	रामबास	1
18.	बसीरपुर	1
19.	भाखरी	1
20.	चिलरो	1
	कुल	20

Pending Tubewell Applications

524. Shri Sampat Singh : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the status of the pending tubewell applications under departmental and self financing schemes as on 31.12.2013; and

(b) the districtwise status of released as well as pending tubewell connections under self financing scheme and departmental scheme during FY 2013-14 ?

बिजली मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान्, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) 31.12.2013 को विभागीय तथा स्व वित्त योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित नलकूप कनैक्शन निम्न प्रकार हैं :--

दिनांक 31.12.2013 को लम्बित नलकूप कनैक्शन

विभागीय योजना	स्व वित्त योजना	कुल
11768	4665	16433

उन आवेदकों से संबंधित नलकूप कनैक्शनों की पेन्डेंसी जिन्होंने अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.12.2011 तक जारी किए गए डिमांड नोटिसों की अनुपालना में 31.12.2013 तक पूरी धनराशि जमा करवाई है।

(ख) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विभागीय योजना तथा स्व वित्त योजना के अन्तर्गत जारी किए गए तथा लम्बित नलकूप कनैक्शनों की जिला वार स्थिति निम्न प्रकार है:–

जिला का नाम	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए नलकूप कनैक्शन (दिसम्बर-2013 तक)		31.12.2013 को लम्बित नलकूप कनैक्शन (दिसम्बर-2013 तक)	
	स्व वित्त योजना	विभागीय	स्व वित्त योजना	विभागीय
अम्बाला एवं पंचकूला	134	253	30	280
यमुनानगर	718	324	0	1736
कुरुक्षेत्र	213	159	44	107
कैथल	367	742	254	614
करनाल	618	397	171	1320
पानीपत	152	186	142	901
सोनीपत	783	252	514	1830
रोहतक	78	173	90	580
झज्जर	147	436	10	370
योग (उ०ह०बि०वि०नि०)	**3210**	**2921**	**1255**	**7438**
फरीदाबाद	49	146	100	82
पलवल	181	276	736	414
गुड़गांव	156	166	261	334
मेवात	201	228	70	179
महेन्द्रगढ़	44	800	210	23
रेवाड़ी	220	337	94	282
भिवानी	973	1715	845	224
हिसार	282	765	152	476
फतेहाबाद	362	832	146	192
सिरसा	702	1120	259	1221
जीन्द	1010	746	537	903
योग (द०ह०बि०वि०नि०)	**4180**	**7151**	**3410**	**4330**
कुल योग (उ०ह० + द०ह०)	**7390**	**10072**	**4665**	**11768**

Anomaly in the Pay Scale of Ayush Doctors

538. Col. Raghbir Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant the equal salary and the ACP to the Ayush Doctors of State as is being to the Allopathic Doctors; if so, the time by which the abovesaid anomaly in the pay scale of Ayush Doctors is likely to be removed?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Number of BPL Card Holders

526. Dr. Hari Chand Middha : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year wise number of BPL card holders in district Jind during the period from 2009 to year 2014; togetherwith the total number of BPL card holder families in the year 2005; and

(b) whether any rules or criteria have been framed to register the name in the BPL list ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी

(क) जिला जींद में बी०पी०एल० कार्ड धारकों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है :--

बी०पी०एल० कार्ड धारकों की संख्या

क्र. सं.	खण्ड/ नगरपालिका का नाम	वर्ष 2005 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार	वर्ष 2009 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार	वर्ष 2010 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार	वर्ष 2011 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार	वर्ष 2012 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पारित किए गए वर्ष 2013 में CWP 1581 of 2010 आदेशों के उपरान्त पुन: सर्वेक्षण के अनुसार पहचान किए गए परिवार	वर्ष 2014 में पहचान किए गए कुल बी.पी.एल. परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण क्षेत्र								
1.	जीन्द	10087	9426	9426	9426	9423	8226	8226
2.	जुलाना	6195	8194	8194	8194	8192	6567	6567
3.	अलेवा	6105	5168	5168	5168	5167	4496	4496
4.	सकीदों	8171	8036	8036	8036	8022	7612	7612
5.	पिल्लूखेडा	4586	5904	5904	5904	5888	5180	5180
6.	नरवाना	11836	13609	13609	13609	13609	10854	10854
7.	उचाना	10251	10104	10104	10104	10103	8491	8491
	कुल	**57231**	**60441**	**60441**	**60441**	**60404**	**51426**	**51426**

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी क्षेत्र								
1.	जीन्द	6992	13191	13191	12972	12838	9204	9202
2.	सुलाना	0	2183	2183	2121	2056	1142	1141
3.	सफीदों	2647	3399	3399	3390	3381	1790	1792
4.	नरवाना	2622	4753	4753	4723	4723	3969	3973
5.	उचाना	687	1530	1530	1525	1520	1167	1166
	कुल	**12948**	**25056**	**25056**	**24731**	**24518**	**17272**	**17274**
	कुल योग	**70179**	**85497**	**85497**	**85172**	**84922**	**68698**	**68700**

(ख) गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है :--

1. **ग्रामीण क्षेत्रों का मापदण्ड**

वर्ष 2007 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया गया था। परिवारों की पहचान निम्नलिखित मदों पर की गई थी :--

(क) भूमि

(ख) मकान

(ग) घरेलु उपकरणों की स्थिति

(घ) शिक्षा स्तर; तथा

(ङ) आजिविका का साधन एवं रहन-सहन का स्तर

प्रत्येक मद को 0 से 10 अंक दिये गए हैं एवं शिक्षा को 0 से 5 अंक दिये गए। प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर बी0पी0एल0 परिवारों हेतु निर्दिष्ट प्राप्तांक रखा गया । परिवारों को इन मदों पर मापदंड के अनुसार अंक दिए गए। अंकों का मापदंड विवरण संलग्न किया गया है। इसी मापदण्ड के आधार पर बी0पी0एल0 परिवारों की अन्तिम सूची जारी की गई थी। बी0पी0एल0 सूची में परिवार को सम्मिलित करने अथवा काटने के लिए उपरोक्त वर्णित मदों पर परिवार के स्थिति की पुष्टी करने एवं उसे सुनवाई का अवसर देने उपरांत निर्णय करने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर अधिकारियों की कमेटी बनाई गई।

2. **शहरी क्षेत्रों का मापदण्ड**

वर्ष 2007 में शहरी क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई। राज्य आपेक्षिक गरीबी रेखा 443.21 रुपये प्रति सदस्य प्रति माह के आधार की गई थी। इसके पश्चात राज्य सरकार के निर्णयानुसार, वर्ष 2009 में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित कर बी0पी0एल0 परिवार की सूचियों को पुन: अपडेट किया गया।

फिर भी जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अक्तूबर-2010 में जिला स्तर पर सम्बन्धित एस०डी०एम०, संयुक्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर निगम/परिषद/पालिका, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी गठित की गई इस कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/पुष्टी करने की उपरांत की गई। सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित जिले का उपायुक्त पात्र परिवार का नाम शहरी बी०पी०एल० सूची में जोड़ने के लिए अधिकृत है।

हिदायतें

1. सर्वे आरम्भ करने से पूर्व आपको अलाट किए गए गांव से सबंधित शीट जिसमें परिवार का फार्म नम्बर, मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम पहले से ही दर्ज है आपने केवल इन परिवारों की सही-सही जानकारी शीट में दिए गए कालम में भरनी है।

2. अलाट किए गए गांवों के सभी परिवारों का सर्वे सम्पन्न होने उपरान्त मूल सर्वे शीट व अतिरिक्त सूचना यदि कोई है तो सम्बन्धित बी०डी०पी०ओ० के पास जमा करवानी है।

3. सर्वेक्षण कार्य के दौरान गांव के पटवारी, नम्बरदार, स्कूल हैडमास्टर, ग्राम सभा एवं चौकीदार की मदद ली जाए।

4. सर्वे कार्य आरम्भ करने से पूर्व गांव के चौकीदार द्वारा मुनियादी करवाई जाएगी ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी रहे।

5. सर्वे शीट के कालम नम्बर 4 में प्रत्येक परिवार का मकान नम्बर दर्ज किया जाये तथा इस मकान की फोटो का नम्बर कालम नम्बर 13 में लिखे।

6. परिवारों के सामाजिक वर्गीकरण का ब्यौरा कालम नं० 5 में दिया जाये। अनुसूचित जाति के लिए (S), पिछड़ी जाति के (B), तथा अन्य जातियों के लिए (O) कोड भरे जायें।

7. अल्पसंख्यक परिवारों का ब्यौरा कालम नं० 6 में दिया जाना है। मुस्लिम के लिए (M), ईसाई के लिए (C), बोद्ध के लिए (D) सिख के लिए (N) अंकित करना है।

8. गांव के सभी परिवारों से सम्बन्धित निम्न 5 मदों पर सूचना नए सिरे से घर-घर जाकर एकत्र करनी लाजमी है:—

   (क) भूमि

   (ख) मकान

   (ग) घरेलू उपकरणों स्थिति

   (घ) शिक्षा स्तर

   (ङ) आजीविका का साधन एवं रहन-सहन का स्तर

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

9. उपरोक्त मदों की हिदायतें इस प्रकार हैं:--

(क) भूमि:- कालम नं० 7 व 8 में परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों के नाम आने वाली भूमि को उनके हिस्से के अनुसार दिखाया जाएगा। चाहे भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम न भी दिखाई गई हो। भूमि की तसदीक पटवारी से करवाई जाए। भूमि का आकार एकड़ एवं कनाल में शीट के कालम नम्बर 7 में भरा जाए एवं इस मद पर अंक कालम नम्बर 8 में निम्न प्रकार से भरे जायें:--

* यदि भूमिहीन हैं तो शून्य अंक सर्वे फार्म में भरा जाना चाहिए।
* एक एकड़ से कम असिंचित या आधा एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को 2 अंक दिए जाएंगे।
* एक एकड़ से 2 एकड़ असिंचित भूमि या आधा से एक एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को को 5 अंक दिए जाएंगे।
* दो एकड़ से 5 एकड़ असिंचित भूमि या एक एकड़ से ढ़ाई एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को 7 अंक दिए जाएं।
* पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि या ढ़ाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार को 10 अंक दिए जाए।

(ख) मकान से सम्बन्धित सूचना कालम नं० 9 में निम्न प्रकार से दर्शाई जाये :--

* यदि किसी परिवार के पास मकान नहीं है तथा बेघर है तो उसे शून्य अंक दिया जाएं।
* यदि परिवार के पास मकान कच्चा है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग गज़ से कम है तो ऐसे परिवार को 1 अंक दिया जाए।
* यदि परिवार के पास मकान कच्चा है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग गज़ से अधिक है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिया जाए।
* यदि परिवार के पास मकान पक्का है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग गज़ है तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिया जाए।
* यदि परिवार के पास मकान पक्का है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग गज़ से अधिक है तो ऐसे परिवार को 10 अंक दिया जाए।

(ग) घरेलू उपकरणों की स्थिति बारे सूचना कालम नं0 10 में भरी जाये।

* यदि परिवार के पास रंगीन टी०वी० फ्रिज, रसोई गैस व कपड़े धोने की मशीन तथा मोबाइल फोन/टोलिफोन में से कोई भी उपकरण नहीं है तो उस परिवार को शून्य अंक दिया जाए।
* यदि परिवार के पास उपरोक्त पांच उपकरणों में से एक या दो हों तो उसे 2 अंक दिए जाएं।

- यदि परिवार के पास तीन या सभी पांच उपकरण हैं तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिए जाएं।
- यदि परिवार के पास दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन, कम्प्यूटर, ए०सी०, ट्यूब वैल, पावर टिल्लर, कम्बाईन्ड थ्रेशर हार्वेस्टर में से कोई एक भी उपकरण हो तो उस परिवार को 10 अंक दिए जाएं।

(घ) शिक्षा स्तर का ब्यौरा कालम नं० 11 में दिया जाये :--

- यदि किसी परिवार के सभी सदस्य अनपढ़ हैं या कोई भी सदस्य दसवीं कक्षा तक पास है तो ऐसे परिवार को शून्य अंक दिया जाए।
- परिवार में कोई सदस्य दसवीं कक्षा पास से उपर है लेकिन बी०ए० से कम है तो ऐसे परिवार को 2 अंक दिए जाएं।
- परिवार में यदि कोई सदस्य बी०ए० तक पढ़ा-लिखा है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिए जाएं।
- यदि परिवार का कोई सदस्य बी०ए० से अधिक शिक्षित है तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिए जाएं।

(ङ) आजीविका का साधन, रहन-सहन का स्तर, अनुमानित आय के आधार पर कालम नम्बर 12 में अंक प्रदान करें :--

- यदि किसी परिवार की आजीविका किसी भी किस्म की मजदूरी से चल रही है तो ऐसे परिवार को 0 अंक दिए जाएं।
- यदि परिवार अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति से हैं तथा आजीविका परम्परागत व्यवसायों पर निर्भर है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिए जाएं।
- यदि किसी परिवार की आजीविका पूर्णतया खेती पर, छोटे व्यवसाय, छोटी दुकानदारी एवं गुजारे लायक व्यापार पर आधारित है तो ऐसे परिवार को पांच अंक दिये जाएं।
- यदि उपरोक्त सभी साधनों के इलावा परिवार का गुजारा, सम्पन्न व्यापार के माध्यम से, सम्पन्न किसान, सम्पन्न वेतनभोगी इत्यादि पर निर्भर है तो ऐसे परिवारों को 10 अंक दिए जाएं।

नोट : प्रत्येक फार्म पर निरीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

प्रत्येक सर्वेयर अपना नाम, पता एवं सम्पर्क नम्बर सर्वे फार्म पर अवश्य लिखें।

घर में शौचालय की स्थिति बारे हिदायतें

गांव के सभी परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों से सम्बंधित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा के कालम नं० 15 में भरी जानी है। घर में शौचालय है या नहीं, के बारे में सम्बन्धित सूचना एकत्र करने बारे निम्नलिखित कोड बनाए गये हैं :--

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

		कोड संख्या
1.	यदि घर में शौचालय नहीं है।	0
2.	यदि घर में शुष्क शौचालय है।	1
3.	यदि घर में लीचपीट/सेप्टिक टैंक शौचालय है।	2

फार्म में सूचना भरते समय उपरोक्त कोड का प्रयोग किया जाना है।

व्याख्या

1. *शौचालय नहीं है*-- इसका तात्पर्य है कि परिवार के पास शौच जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा परिवार के सभी लोग खुले में शौच जाते हैं। सर्वेक्षण फार्म भरते समय इस प्रकार की स्थिति में 0 कोड का प्रयोग किया जाना है।
2. *शुष्क शौचालय* -- शुष्क शौचालय उसे कहते हैं जिसमें मानव मल के सुरक्षित ढंग (स्वत:) ठिकाने लगाने की प्रक्रिया नहीं है तथा मानव मल को व्यक्तिगत तौर से उठा कर बाहर ले जाया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में कोड संख्या 1 का प्रयोग किया जाना है।
3. *लीचपीट/सेप्टिक टैंक शौचालय*-- इसका अर्थ है कि गड्ढे का निर्माण ईंट या पत्थर इत्यादि से जालीदार (हनीकोम्ब) ढंग से किया गया है या फिर पक्के गड्ढे का निर्माण किया हुआ है। इन दोनों स्थितियों में कोड संख्या 2 का प्रयोग किया जाना है।

Rate of Compensation

541. Shri Parminder Singh Dhull : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the rate of compensation given to the land owners of Jullana Constituency whose land have been acquired for the purpose of widening the highway from Rohtak to Jind ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, जुलाना निर्वाचनक्षेत्र में भूस्वामियों को, जिनकी जमीन रोहतक से जीन्द राजमार्ग को चौड़ा करने के उद्देश्य के लिए अर्जित की गई है, मुआवजे की दर निम्न प्रकार से दी गई है :--

क्र. सं.	गांवों का नाम	भूमि अधिग्रहण अधिनियम अधिकारी द्वारा अपनाई गई मूल दर प्रति एकड़ (रुपये में)	हर्जाना @ 30% (रुपये में)	ब्याज @12% (रुपये में)	@30% हर्जाना व @12% ब्याज सहित मुआवजे की दर प्रति एकड़ (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	अनूपगढ़	25,00,000/-	7,50,000/-	3,93,699/-	36,43,699/-
2.	किनाना	30,00,000/-	9,00,000/-	4,82,301/-	43,82,301/-
3.	गोसाईं खेड़ा	22,00,000/-	6,60,000/-	3,47,178/-	32,07,178/-

1	2	3	4	5	6
4.	गतौली	20,00,000/-	6,00,000	3,12,986/-	29,12,986/-
5.	जय जयवन्ती	22,00,000/-	6,60,000/-	3,43,652/-	32,03,652/-
6.	करसोला	20,00,000/-	6,00,000/-	3,20,219/-	29,20,219/-
7.	जुलाना	25,00,000/-	7,50,000/-	3,99,452/-	36,49,452/-
8.	शादीपुर	15,00,000/-	4,50,000	2,37,699	21,87,699/-
9.	ब्राह्मणवास	15,00,000/-	4,50,000/-	2,38,192/-	21,88,192/-
10.	बूढ़ा खेड़ा	20,00,000/-	6,00,000/-	3,16,274/-	29,16,274/-
11.	किला जफरगढ़	25,00,000/-	7,50,000/-	3,73,151/-	36,23,151/-
12.	पौली	25,00,000/-	7,50,000/-	3,73,151	36,23,151/-

Extension of Devsar Feeder up to Sudhiwas

546. Master Dharampal Obra : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Devsar feeder from Lilas to village Sudhiwas passing through the Sainiwas, Jhumpa Kalan, Matani and Garwa villages of Loharu Constituency ; if so, the details thereof ?

वित्त मन्त्री (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : नहीं, श्रीमान् जी। उपरोक्त गांव की जलघर की टैंकियों को मौजूदा प्रणाली द्वारा संतोषजनक ढंग से भरा जा रहा है। सिवाए सैनीवास गांव के जिसका जलघर निर्माणाधीन है और उसको मोतीपुरा रजबाहा द्वारा भरा जाएगा।

Shifting of School Out Side Raipur Rani Town

557. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that a Girls School is situated in the middle of Raipur Rani town; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Girls Senior Secondary School out side of the town togetherwith the time by which the aforesaid school is likely to be shifted outside the town ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : हां, श्रीमान् जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त स्थान होने के कारण राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को स्थानांतरण करने की योजना है और यह दोनों विद्यालय पारस्परिक स्थानांतरण के लिये सरकार के विचाराधीन है।

Opening of ITI in Village Golni

551. Dr. Bishan Lal Saini : Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether it is a fact that an ITI Vocational Institute in village Golni of block Mustfabad has been closed; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in the same building ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी।

Implementation of Conversion Policy

566. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to implement the Conversion Policy in Panchkula Industrial Area ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं श्रीमान्।

Children Fell Ill on Consuming IFA Tablets

581. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Health Minister be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that a large number of school children of Sirsa and Fatehabad districts fell ill in May-June, 2013 after consuming iron and folic acid (IFA) tablets distributed under Indira Bal Swasthya Yojna;

(b) If so, the details thereof alongwith reasons thereof ;

(c) Whether Government has conducted any enquiry to find out the cause of illness of the students ;

(d) Whether Government had also tested the quality of IFA tablets before issuing them to schools for human consumption; if so, the details thereof ; and

(e) The steps taken by the Government to avoid such incidents in future ?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं, यह तथ्य कि मई-जून 2013 में सिरसा तथा फतेहाबाद जिलों के विद्यालयों के बहुत से छात्र इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के अधीन वितरीत आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियों के उपभोग करने के पश्चात बीमार पड़ गये, सही नहीं है क्योंकि फतेहाबाद में केवल 176 बच्चों और सिरसा में केवल 181 बच्चों में मामूली दुष्प्रभाव जैसे पेट में दर्द, जी मितलाना, उल्टी इत्यादि हुए। जून 2013 में इस कार्यक्रम को रोक दिया गया।

(ख) बच्चों में मामूली दुष्प्रभाव निम्नलिखित कारणों से हुए :—

गोली का सेवन तोड़ कर करना, खाली पेट करना, बिना पानी के करना।

आमतौर पर 5 प्रतिशत तक सेवन के पश्चात यह दुष्प्रभाव पाए जा सकते हैं।

(ग) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिनमें राज्य के एन०एच०एम० कार्यालय से राज्य विफस कॉर्डिनेटर एवं जिला स्वास्थ्य विभाग से जिला स्कूल चिकित्सा अधिकारी,

ए०एन०एम० एवं एम०पी०एच०डब्ल्यू० सम्मिलित रूप से इन स्कूलों में गये एवं प्रभावित विद्यालयों, अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों से कारण जानने के लिए मुलाकात की।

(घ) इन दवाइयों की यू०एन०ओ०पी०एस०; संयुक्त राष्ट्र परियोजना सर्विसिज कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई जिसके द्वारा इन गोलियों को खरीदा गया था। इसके अतिरिक्त इनकी जांच उत्पादक मेडिकामेन आर्गनिक्स लिमिटिड की प्रयोगशाला में की गई। इसी तरह इन दवाईयों के नमूने सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला-एनालिस्ट हरियाणा, सैक्टर 11, चण्डीगढ़ में की गई। एन०आर०एच०एम० के राज्य कार्यालय द्वारा इन दवाईयों को सरकार से मान्यता प्राप्त लैब में/स० इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर पंचकूला में भी जांच करवाया गया।

(ङ) भारत सरकार एवं युनिसेफ के सहयोग से एक राज्य स्तरीय मीडिया सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सहयोग कार्यशाला एवं अंर्तविभागीय विचार विमर्श प्राधानाध्यापक के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। व्यापक स्तर पर आई०ई०सी० प्रचार प्रसार, माता-पिता एवं समुदाय के लिए एनीमिया पर एफ०ए०क्यू० (फ्रिक्वेंटिली ऑसक्ड कोशच्टन) पुस्तिका (हिंदी एवं अंग्रेजी में) के द्वारा किया गया। विफस पर हेल्प लाइन, प्रचार पत्र, विभिन्न समाचार पत्रों एवं विभिन्न टी०वी० चैनलों पर विज्ञापन दिए गए। चिकित्सक टीमों को विफस (डब्ल्यू०आई०एफ०एस०) दिनों के लिए नियुक्त किया गया है।

आई०एफ०ए० प्रतिपूरन के सम्भावित हल्के दुष्प्रभावों प्रभावों (Mild side effects) प्रबन्धन (शिक्षा विभाग को भेजी गई)

* गोली को खाना खाने के कम से कम एक घंटे बाद एक गिलास पानी के साथ लेना चाहिए।
* गोली को चबा कर या तोड़ कर नहीं लेना चाहिये।
* आयरन को जल्दी पाचन के लिए विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए।
* आयरन का पाचन रोकने वाले पदार्थ जैसे चाय, कॉफी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।
* मीट, हरी पत्तेदार सब्जी आदि का उपयोग करे।

Cases of Riots

520. Prof. Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of riots that took place in Haryana during the calendar years 2010, 2011, 2012 and 2013 togetherwith the loss of life and property suffered in each of such riots alongwith the action taken against the rioters ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

वर्ष	दर्ज मुकदमें	जान की हानि	सम्पत्ति का नुकसान	दंगा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही
2010	5	शून्य	27,63,248/- रुपये (सभी अभियोग दंगों के दौरान रेलवेज की सम्पत्ति के नुकसान से सम्बन्धित है रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे सम्पत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है)	दंगाईयों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं। चार मुकदमें अनुसंधानधीन है और एक मुकदमा न्यायालय में विचारधीन है।
2011	16	शून्य	2,93,82,368/- रुपये (सभी अभियोग दंगों के दौरान रेलवेज की सम्पत्ति के नुकसान से सम्बन्धित हैं।	दंगाईयों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं। सभी मुकदमें अनुसंधानधीन हैं।
2012	8	शून्य	18 वाहन जिसमें रोडवेज बस, सरकारी/निजी वाहनों, गढ़ी बोलनी (रेवाड़ी) की पुलिस चौकी के दस्तावेज, एक वॉकी-टॉकी यन्त्र और एक कैमरा शामिल।	दंगाईयों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं। सात दंगाईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है सात मुकदमें अनुसंधानधीन हैं और एक मुकदमा न्यायालय में विचारधीन है।
2013	9	3	117 वाहन जिसमें रोड़वेज बस, सरकारी/निजी वाहनों, फर्नीचर, टेलिविजन, दो राईफल, 84 कारतूस, एक पिस्तौल, एक वॉकी-टॉकी यन्त्र, सरकारी/निजी सम्पत्ति का नुकसान, पैट्रोल पम्प, शराब का ठेका और स्कूल।	दंगाईयों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं। तेईस दंगाईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है चार मुकदमें अनुसंधानधीन हैं, एक मुकदमा अदमपता और चार मुकदमें न्यायालय में विचारधीन हैं।

Reconstruction of Road

529. Dr. Hari Chand Middha : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from village Barsola to Narwana road upto village Khatkar falling under the Jind Constituency; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from the village Barsola to village Jhanjh Kalan; if so, the time by which it is likely to be metalled ?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी। इस सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 42.68 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रशासकीय स्वीकृति 13.12.2013 को दी जा चुकी है। इस कार्य की निविदाएं पहले ही आमन्त्रित की जा चुकी हैं तथा विभाग इस कार्य को दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Revenue from Tourism

542. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the total revenue generated by the State Government from Tourism and related activities including fairs and festivals in the year 2012-2013 ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, पर्यटन विभाग सीधे तौर पर कोई पर्यटन गतिविधि नहीं चलाता है। फिर भी, राज्य के उपक्रम, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 42 होटलों एवं 14 पैट्रोल पम्पों की श्रृंखला का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान, हरियाणा पर्यटन निगम को मेलों एवं त्यौहारों की आय/व्यय सहित 631.92 लाख रुपयो का घाटा उठाना पड़ा।

Appointment of Gynecologist

547. Master Dharampal Obra : Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Gynecologists have not been posted in the General Hospital Loharu, Siwani, Behal and CHC Nakipur of Loharu Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint gynecologists as well as to appoint Pharmacists against the posts lying vacant in the abovesaid Hospitals; if so, the time by which Gynecologists are likely to be appointed and vacant posts of Pharmacists are likely to be filled up in the aforesaid Hospitals ?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी। यह तथ्य है कि राज्य में स्त्री रोग विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण, लोहारु निर्वाचनक्षेत्र के सामान्य अस्पताल लोहारु, सिवानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहल, नकीपुर में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है। फिर भी एक महिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहारु में नियुक्त है।

(ख) जैसे ही पर्याप्त संख्या में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे, जरूरत अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी जायेगी। जैसे ही नई भर्ती की जायेगी, सामान्य अस्पताल सिवानी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नकीपुर में औषध-कारकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भर दिया जायेगा।

Construction of Building of Community Centre

558. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Community Centre of Raipur Rani town is lying in dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct the building of community centre in Raipur Rani town togetherwith the time by which it is likely to be re-constructed?

उद्योग मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी। सामुदायिक केन्द्र खस्ता हाल में है जिसका पुनर्निर्माण अनुमानित लागत 41.47 लाख रुपये से करवाया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण सूचना की स्वीकृति / बैठक का स्थगन

15.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No.1 from Shri Ram Pal Majra regarding malnutrition of Children in Haryana. Shri Ram Pal Majra may read his Calling Attention Notice.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने सी.डी. इश्यू के बारे में एक काम रोको प्रस्ताव दिया था उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप बैठिए, पहले माजरा साहब को कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ लेने दें। माजरा जी, आप अपना कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़े। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप पहले इनकी बात सुन लीजिए (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था उसके बारे में बताईये। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

Mr. Speaker: Let me give a ruling on that आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप सुनना तो चाहते ही नहीं, आप प्लीज पहले बैठिये। Listen to me then you may say. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले यह बताईये कि आप उस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाओगे या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले बैठिये तो सही, उसके लिए पहले आपको बैठना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, जीन्द में किसान धरने पर बैठे हुये हैं और वहाँ पर मेरे हलके के एक किसान की मौत भी हो गई है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कलीराम जी, पहले आप अपनी सीट पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, तोशाम में राकेश मलिक को उसके दफ्तर में अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप पहले बैठिये। Hon'ble Members please resume your seats, let me speak आप मन बना रहे हैं कि आप अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे। आप सुनना नहीं चाहते। Hon'ble Member is raising another issue and he is raising another issue. There are ten issues being raised by the party Members. At least listen to me. आप प्लीज बैठिये। I am asking you to please sit down. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded which is said without my permission. (शोर एवं व्यवधान) मैं सभी की बात एक साथ नहीं सुन सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (शोर एवं व्यवधान) पहले आप सभी अपनी सीटों पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) You are making a mockery of Parliamentary democracy. Is it a laughing matter? You are not ready to listen to me.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था पहले उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपका काम रोको प्रस्ताव 1 बजकर 15 मिनट पर कार्यालय में रीसीव किया है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमने काम रोको प्रस्ताव 12.30 बजे दे दिया था।

Mr. Speaker : This is under my consideration. Let me come out with something. Let me consider it Mr. Arora. Hon'ble Members I have received it today only, let me examine it. There is Calling Attention Motion. मैंने ऑनरेबल मैंबर से रीसीव किया हुआ है it is a serios matter.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आज सरकार को काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी चर्चा कर लेंगे लेकिन पहले कालिंग ऐटेंशन मोशन हो जाए। इस बात को तो आप फिर भी कह सकते हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अभय सिंह चौटाला : सर, पहले हमने आपको काम रोको प्रस्ताव दिया है उस पर चर्चा कराई जाए। कालिंग अटेंशन पर तो इसके बाद भी चर्चा हो सकती है। हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है वह बड़ा अहम ईश्यू है। पिछले विधान सभा स्तर में जब हमने एक सी.डी. रीलीज की थी उस सी.डी. को लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में हाऊस के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस की तरफ से उस सी.डी. को लोकायुक्त के पास जांच के लिए भेजा गया और लोकायुक्त ने अपने फैसले में यह लिखा है कि रामकिशन फौजी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुक्दमा दर्ज किया जाए। सरकार ने उस पर मुक्दमा दर्ज करने की बजाय वापिस भेज दिया। आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा है इसलिए हमने आपको काम रोको प्रस्ताव दिया है पहले उस पर चर्चा कराई जाए। सरकार उस पर अपनी तरफ से वक्तव्य दे, मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब दें कि वह रामकिशन फौजी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा उन्होंने फिर रिजैक्ट करके भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह इस पर चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष : आपका काम रोको प्रस्ताव मुझे 1 बजकर15 मिनट पर मिला है। इसलिए पहले मुझे कालिंग अटेंशन पर चर्चा कराने दीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : सर, यह तो ठीक नहीं है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि आप हमें किसी बहाने से बाहर निकालना चाहते हैं और बाद में इन लोगों को छूट देना चाहते हैं फिर चाहे वह किसी तरह से अपनी बात को रखते रहें, चाहे किसी को कुछ बोलते रहें। आपका तो हमें बाहर करने का सीधा-सीधा विचार है। यह एक आदमी का ईश्यू नहीं है इसमें 10 आदमी शामिल हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, यह कैसा माहौल बना हुआ है कि मंत्रियों के खिलाफ एफ.आई.आर. के ऑर्डर होते हैं। * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री अभय सिंह चौटाला : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश सेलवाल : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय संसदीय सचिव श्री रामकिशन फौजी, माननीय सदस्य श्री नरेश कुमार बादली तथा विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गये और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगे।)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर,* * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर,* * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर,* * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये जो कुछ कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों का इस हाउस के अंदर एक रिस्पॉसिबल बिहेवियर होना चाहिए। Please sit down.(Noise & Interruption) प्लीज बैठिये-प्लीज बैठिये।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: स्पीकर सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ढुल साहब, प्लीज आप बैठिये (शोर एवं व्यवधान) Please sit down everybody. (Noise & Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

मौहम्मद इलियास: स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब हाउस को 15 मिनट के लिए एडजर्न किया जाता है।

*15.12 hrs. (The Sabha then *adjourned at 3.12 P.M. and re-assembled at 3.27 P.M.)

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब,आप अपना कालिंग अटेंशन नोटिस पढ़िए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है, पहले आप उसका फेट बता दें।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा साहब, आप अभी बैठिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है, उसका क्या फेट है, पहले आप यह बता दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा साहब, आप अभी बैठिए। पहले श्री रामपाल माजरा जी को अपना कॉलिंग अटेंशन नोटिस पढ़ने दीजिए (शोर एवं व्यवधान) It is also an important issue. He has touched upon a very important issue. Let him speak. श्री अशोक अरोड़ा प्लीज, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है (शोर एवं व्यवधान) I will give my ruling on this अरोड़ा जी, आपने अपना एडर्जन मोशन 1-15 मिनट पर मुझे दिया है Please wait for some time प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) I will give my ruling on this. (Interruptions) I will give my ruling on this. (Interruptions) Not to be recorded anything. (Interruptions) I will give my ruling on your adjournment motion after Mr. Majra Ji's matter is finished. प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो भी माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड न की जाए। Nothing is to be recorded. आप सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, * * * * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, * * * * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राम पाल माजरा जी, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि आप अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आप पहले रामकिशन फौजी और नरेश प्रधान जो माननीय सदस्य खड़े हैं उनको तो बिठा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राम पाल माजरा जी, आप भी अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को समझाये। आप भी इनको चुप करवाईये।

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप लोग बैठ जाइये। आपकी ही पार्टी का मैम्बर बोल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल): स्पीकर सर, इनेलो के सदस्य हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। कल तो ये माननीय सदस्य सदन की अवधि बढ़ाने के लिए कह रहे थे। आज इनके पास सदन में बोलने के लिए कोई मैटर ही नहीं है। ये लोग केवल सदन के अन्दर सी.डी.-सी.डी. चिल्ला रहें हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सोच ये रखा है कि हाउस को चलने नहीं देना है। ये लोग माइंड बनाकर आते हैं कि सदन की कार्यवाही चलने नहीं देनी है। अध्यक्ष महोदय, अशोक अरोड़ा जी और माजरा जी सीनियर मैंबर्ज हैं कम से कम इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे बार बार के अनुरोध के बावजूद आप अपनी अपनी सीटों पर नहीं बैठ रहे हैं। मेरा पुन: अनुरोध है कि आप सभी सदस्यगण अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। इस बारे में मैं अपनी रूलिंग दे दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा कालिंग अटैंशन मोशन है उसको आप ऐडमिट करो और सरकार को उस पर अपना जवाब दे देने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब आप हाउस की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) You do not want to run the House. (Interruption) राम पाल माजरा जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़िए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राम किशन फौजी ने खुद कहा है ********** (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, गवर्नर ऐड्रस बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सारी सरकार की साल भर की करनी पर आधारित होता है और आगे क्या करना है उस पर चर्चा होती है, उसमें आप सबको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। इसके बाकायदा अलग- अलग चैप्टर हैं इसमें ला एंड ऑर्डर भी है और अन्य सभी चैप्टर भी हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सारे देश की जनता आज जो कांस्टीच्यूशनल इंस्टीच्यूशंज हैं, उनको बड़े शक की निगाह से देख रही है। ऐसा समय भी आ सकता है कि लोगों का विश्वास शायद इस संस्था से उठ जाए। ऐसा हो, इससे पहले हम सबको अपने आप को समझाना होगा। यहां हम चर्चा के लिए आए हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, लोग आपकी तरफ भी तो देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब सदन का अध्यक्ष बोल रहा है उस समय आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, यह आप स्वयं सोचिए। अगर आपका यही कंडक्ट है तो ठीक नहीं है। You are trying to be too smart. It is not good. (शोर एवं व्यवधान) आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होने दें। जो कालिंग अटैंशन मोशंस हैं उसके बारे में जितना आपको पता है वह सब को पता है। I am respecting your seniority. प्लीज आप बैठिये। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होने दें। इस प्रकार का व्यवहार आप सदन में न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, हम भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, अगर मिस्टर विज चेयर की बात नहीं मानते और वैसे ही अनापशनाप बोलते रहते हैं तो मैं इनके खिलाफ एक रैजोलूशन लाना चाहता हूं। यह कोई तरीका थोड़ा ही है। मिस्टर विज, आप अपने आपको स्पीकर से भी बड़ा समझते हैं। मैं यह बात चेयर से कह रहा हूं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, ये क्या है कोई भी सदस्य अनापशनाप बोलता रहता है। ये किस बात के लिए रैजोलूशन लाना चाहते हैं ? (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।(विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, पहले आप हमारी बात तो सुन लीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रामपाल माजरा जी, आप अपने कालिंग अटैंशन मोशन को पढ़िये। You can't force me to take up your agenda, I have an agenda to run this House. Nobody can force me to take up his agenda. Mr. Ram Pal Majra ji, you read your Calling Attention Motion.

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, *********

Mr. Speaker : You are not allowed to speak. Nothing is to be recorded. You don' want to run this House. आप यह नहीं चाहते कि यह सदन चले। क्या आपका कण्डक्ट ऐसा है कि यह सदन चले ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, आप सैंवधानिक संस्थानों की बात करते हैं। हम भी आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं। *********

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, *********

श्री अध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते। मुझे सारी बातों का पता है। आप प्लीज, अपनी सीट पर बैठ जाईये। Don't try to teach me anything. Shri Ram Pal Majra ji, if you want to read the Calling Attention Motion, read it. Otherwise I will give it a miss.

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, हमने एक एडजर्नमैंट मोशन दे रखा है उसका फेट तो बता दें।

Mr. Speaker: Shri Ram Pal Majra ji, I am giving you last chance to read your calling attention motion. You are not reading it.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Alright, I will take next agenda. अगर आप अपना नोटिस नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं इसको रिजैक्ट करता हूँ and I am taking next agenda.

वॉक-आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। आपने हमारा काम रोको प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और श्री रामपाल माजरा जी का कालिंग अटेंशन मोशन भी रिजैक्ट कर दिया है हम इसके विरोध में सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य काम रोको प्रस्ताव मंजूर नहीं किये जाने तथा श्री रामपाल माजरा का कालिंग अटेंशन मोशन रिजैक्ट किये जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गये।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना/वॉक-आउट

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने सी.डी. कांड के बारे में कालिंग अटेंशन मोशन दिया था, उसका फेट क्या है? आज लोकायुक्त को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालिंग अटेंशन मोशन है क्योंकि सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप बैठिए, आपका यह कालिंग अटेंशन मोशन डिस्अलाऊ हो चुका है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारा कालिंग अटेंशन मोशन अलाउ नहीं करते हो तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सी.पी.एस. श्री रामकिशन फौजी के खिलाफ लोकायुक्त की सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर्ड न किए जाने के संदर्भ में दिए गये कालिंग अटेंशन मोशन को डिस्अलाऊ किए जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121, regarding nomination of various Committees.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233,235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :—

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2014-2015 के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014-2015 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the:-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2014-2015 be suspended.

AND

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2014-2015, keeping in view the proportionate strength of various parties/ groups in the House.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस मे आपको अथोराइज्ड कर दिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन लोक सभा में भी, राज्य सभा में और सभी जगह पी.ए.सी. का चेयरमैन जो होता है वह अपोजीशन पार्टी का होता है। It is in a good tradition कि हमारे यहां भी पी.ए.सी. का चेयरमैन अपोजीशन पार्टी का बनाया जाए चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो। It is all over in India सिर्फ हरियाणा को छोड़कर। हरियाणा में रूलिंग पार्टी का मैम्बर पी.ए.सी. का चेयरमैन बनाया जाता है। मुझे नहीं पता कि कब से यहां पी.ए.सी. का चेयरमैन रूलिंग पार्टी का बनता आ रहा है।

Mr. Speaker: There is a rule in this regard which has been in-existence before I became a Speaker.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी परम्पराओं को चालू करते हुए पी.ए.सी. का चेयरमैन अपोजीशन पार्टी से बनाएं।

Mr. Speaker: Question is —

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the:—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 2014-15 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2014-15, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Anand Singh Dangi, MLA may move the motion of thanks to the Governor. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अभी आप कह रहे थे कि मैं हमारे काम रोको प्रस्ताव पर रूलिंग दूंगा लेकिन आपने हमारा एडजर्नमैंट मोशन डिसअलाउ कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं इसलिए आप बैठिए क्योंकि गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन शुरू हो गई है।(शोर एवं व्यवधान) आप सब लोग बैठ जाइए। गवर्नर एड्रैस पर आप सब अपनी बात कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा एडजर्नमैंट मोशन डिसअलाउ कर दिया है। आप अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, सी.एल.यू. के नाम पर सरेआम पैसे मांगे जा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय,.....

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

Mr. Speaker : Mr. Majra, I asked you 10 times to read out your notice but you did not do so. I do not want to enter into any arguments. No argument requires now. Please let him speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, सरकार सी.डी. कांड के बारे में ब्यान दे दे इसमें क्या दिक्कत है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आप बैठिए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आप अपनी बात कह लेना।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा से पहले और भी एजैंडा था जैसे हमारा कालिंग अटैंशन मोशन था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Majra, it is very important issue but you are not allowing him to speak. Please sit down.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 बार पढ़ना शुरू किया है लेकिन आपने देख लिया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं।(शोर एवं व्यवधान) प्रदेश में जमीन की सी.एल.यू. के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, सी.डी. कांड पर मेरा कालिंग अटैंशन मोशन था उसका फेट बताया जाए।

श्री अध्यक्ष: विज जी, आप बैठिए, गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन चल रही है, उनको बोलने दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण इशू है।

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय.....

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अभी आपने हमारी क्लास लगाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आप बैठिए, let the Discussion on Governor's Address begin.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमारे कालिंग अटैंशन को अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप बैठिए आपका यह मोशन डिसअलाउ हो चुका है।(शोर एवं व्यवधान) अब गवर्नर एड्रैस पर चर्चा शुरू होने दें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक परम्पराओं पर हमें बोलने दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा।(शोर एवं व्यवधान) आप सदन को नहीं चलने दे रहे।(शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठिए। दांगी जी, प्लीज, आप बोलिए क्योंकि बहुत से लोगों को बोलना है।(शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो सच्चाई है आप उस पर चर्चा करवाएं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी का जो कालिंग अटैंशन मोशन था उस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनको नहीं रोका बल्कि इनकी ही साइड के लोगों ने ही इनको बोलने नहीं दिया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) माजरा जी, मैं बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी, प्लीज आप भी बैठें, गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन शुरू होनी है।(शोर एवं व्यवधान) मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक रिक्वैस्ट कर रहा हूं। (विघ्न) मैं अपनी बात समय आने पर प्रस्तुत करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब भी पर्चा दिखा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब ने मेरा कौन सा पर्चा देख लिया। मैं कौन सा पर्चा दिखा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटैंशन मोशन भी बिना किसी कारण के डिसअलाउ कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have the right to disallow. You can't question my ruling. प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) दांगी साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें। Please let him speak. Everybody will get a chance. Please let him start. (Interruptions)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश से आये जो लोग यहां सदन की दर्शक दीर्घा में बैठें हैं और विपक्ष के साथियों का व्यवहार देख रहे हैं। क्या ये लोग इसी शोर-शराबे को देखने आये हैं ? (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी आगे किस जिम्मेवारी के साथ जनता में जायेंगे ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सी.डी.के मामले पर लोकायुक्त की रिपोर्ट आई हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: The House is adjourned for 15 minutes.

*3.52 hrs. (The Sabha then *adjourned at 3:52 P.M. and re-assembled at 4:07 P.M.)

सदस्यों का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : श्री आनंद सिंह दांगी जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें और धन्यवाद प्रस्ताव का मोशन शुरू करें। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, अब मैं आपको 5 से 10 बार यह कह चुका हूं कि आप कृपया सदन को सुचारू रूप से चलने दें लेकिन आपने अभी तक मेरी बात नहीं मानी है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपसे एक बार फिर रिकवेस्ट करता हूं कि आप कृपया बैठ जायें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जयवीर सिंह) : स्पीकर सर, जब श्री आनंद सिंह दांगी जी बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए थे उस समय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने इनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये इस बात की चिंता नहीं करें। यह मेरा मामला है मैं इसको अपने आप सम्भाल लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आप कृपया करके बैठ जाईये मैं आपको यह बात 12वीं बार बोल रहा हूं इसलिए आप कृपया करके बैठ जाईये और हाऊस की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दीजिए Majra ji, I am left with no alternative but to name you. आप बैठ जाइये You are interrupting the House. माजरा जी, आप बैठ जाइये You are interrupting the House. आप प्लीज बैठ जाइये Otherwise you will be named. सदन की कार्यवाही को किसी को इंटरप्ट करने की इज़ाजत नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइये otherwise, I will name you. You are interrupting the House. Majra ji, please sit down otherwise, I am naming you. This is the last warning. आप सभी बैठ जाइये। This is not good. आप सभी बैठ जाइये। दांगी जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी स्पीच शुरू कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।)

I will name you, Shri Ram Pal Majra. Please sit down. Don't disrupt the proceedings of the House.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लें।

Mr. Speaker: Shri Ram Pal Majra is hereby named. He is asked to leave the House. (Interruption) He has been named for interrupting the House. (Noise and Interruption) Don't ask me again why he has been named? Mr. Majra, you are hereby named. (Interruption) Mr. Majra, you may please leave the House and other members may please sit down. (Interruption)

Shri Ram Pal Majra: Speaker Sir,... (Noise and Interruption)

Mr. Speaker: Mr. Majra, you have been named. Please leave the House otherwise I will suspend you.

Shri Ram Pal Majra: Speaker Sir,...

(At this stage, Shri Ram Pal Majra did not withdraw from the House and continuously obstructing the proceedings of the House.)

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That Shri Ram Pal Majra, MLA be suspended from the service of this House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That Shri Ram Pal Majra, MLA be suspended from the service of this House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Question is—

That Shri Ram Pal Majra, MLA be suspended from the service of this House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

The motion was carried.

श्री कली राम पटवारी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पटवारी जी, आप बैठिये, आप हाऊस को चलने दीजिए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको वार्न कर रहा हूं। I am warning you आप हाउस को चलने दीजिए। आप हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। I am warning you. I am warning all of you. Please sit down.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित कई सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल पार्टी के एक मात्र सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे)

Shri Randeep Singh Surjewala: They cannot disrupt the House in this fashion. There is no way that my friends from the opposition can disrupt the House in this fashion. It is unparliamentarly, it is unacceptable and it is completely wrong. Can a political party hold the House to a ransom in spite of issuing warning order.

श्री मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप हाउस को चलने दीजिए। I am warning you. (Interruption) I am warning all of you. Please sit down. (Interruption) Please let the House go on.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I am warning you . This is the third warning I have given you and this is the last warning.

डॉ. बिश्न लाल सैनी: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी सीट पर बैठिये। प्लीज आप बैठिये। Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

> That Sarvshri Ashok Kashyap, Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Harichand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh(Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal and Smt. Saroj, Members of the Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh, a Member of the Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That Sarvshri Ashok Kashyap, Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Harichand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh(Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal and Smt. Saroj, Members of the Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh, a

[श्री अध्यक्ष]

Member of the Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Question is—

That Sarvshri Ashok Kashyap, Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Harichand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh(Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal and Smt. Saroj, Members of the Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh, a Member of the Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

The motion was carried.

निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण की निंदा

श्री आनन्द सिंह दांगी: फौजी साहब, अब जबकि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्य को बाहर कर दिया गया हैं तो इससे आपको कुछ राहत तो महसूस हुई होगी? (हंसी)

संसदीय सचिव(श्री राम किशन फौजी): दांगी जी, मैंने क्या कसूर कर रखा है? ये लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि कितने पाक-साफ हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: दांगी जी, आप गवर्नर एड्रैस पर अपनी बात रखें। (विघ्न)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आदरणीय श्री आनन्द सिंह दांगी जी गवर्नर एड्रैस पर अपनी बात रखें, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सदन में जो आज हमारे विपक्ष के साथियों का अशोभनीय व्यवहार रहा है वह वास्तव में हम सबके लिए दुखदपूर्ण और अशोभनीय है। इस अशोभनीय व्यवहार की जितने भी कड़े शब्दों में निन्दा की जाये, वह कम होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने विधायिकाओं से लेकर संसद तक जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ साथियों का एक विशेष उत्तेजित करने वाला, व्यवधान डालने वाला, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला व्यवहार रहा है, उसके बारे में सदन के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था। मुझे नहीं लगता कि हमारे विपक्ष के साथियों पर इसका कोई असर पड़ा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देश की सर्वोच्च संस्था संसद में भी पैपर स्प्रे और चाकू तक का इस्तेमाल कुछ सांसदों द्वारा हाल ही में किया गया है। देश की कई और विधायिकाओं में भी इसी प्रकार का उत्तेजित और अशोभनीय व्यवहार किया गया है। आज सदन में आपके सुझाव, आपके धर्य तथा आपकी सूझबूझ के बावजूद भी जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार हमारे विपक्ष के मित्रों का रहा है, उस संबंध में मैं इस सदन से अनुरोध करूँगा कि एक स्वर से ऐसे

अशोभनीय व्यवहार की निंदा की जाये और कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाये। मैं सदन की ओर से आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जिस दिन गवर्नर एड्रैस हुआ उस दिन भी और आज भी असीम धैर्य का परिचय दिया है और बार-बार आपके सुझावों के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के मित्र केवल अखबार की सुर्खियों में बने रहने के लिए, एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार करके सदन की कार्यवाही को धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे सदस्य जिन्हें न मर्यादाओं की समझ है, न मर्यादाओं का ज्ञान है, न संसदीय कार्यप्रणाली के प्रति उनके मन में कोई सम्मान है, ऐसे व्यक्तियों के आचरण को मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता भी देखती है और वह समय आने पर इसका जवाब भी देगी। वर्ष 2004 से लेकर आज तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव/उप चुनाव में हरियाणा की जनता ने ऐसी ताकतों को माकूल जवाब दिया भी है और एक बार फिर से हरियाणा की जनता ऐसी ताकतों को माकूल जवाब देने जा रही है। मैं सदन की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए सारे सदन से सादर अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के इस अशोभनीय व्यवहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाये।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अखबारों में तथा टी.वी. चैनल्स में हर रोज विपक्ष के अशोभनीय व्यवहार पर टिप्पणियां आ रही हैं तथा डिबेट्स हो रही हैं। पार्लियामैंट में तथा राज्य की विधान सभाओं में विपक्ष का जो अशोभनीय आचरण प्रस्तुत हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि विधान सभा सदस्य बनने के लिए भी आदमी को पहले कई बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम विधान सभा में कुछ कंट्रीब्यूट कर पायेंगे। क्या इस तरह के लोग जो विधान सभाओं में अराजकता फैलाना चाहते हैं हमें जनहित के काम करने देंगे? स्पीकर सर, आपने दो-तीन बार हाउस को एडजर्न किया तथा इनको चेतावनी भी दी लेकिन यह लोग नहीं माने। यह विपक्ष के लोग सदन से सस्पैंड होने की कार्यवाही को अपनी शान समझते हैं। आपने हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको दस-दस बार चेतावनी दी और मजबूर होकर आपको विपक्ष के इन लोगों को सस्पैंड करना ही पड़ा। स्पीकर सर, मैं और श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तकरीबन एक साथ ही इस विधान सभा के सदस्य बनकर आये थे। सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी हमारे से पहले विधान सभा के सदस्य बनकर आये हुए हैं। अगर इस तरह से देखें तो सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी के बाद मैं और श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी ही इस सदन के सबसे ओलडस्ट सदस्य हैं। इतने सालों में हमने देखा है कि विधानसभा का स्टैंडर्ड दिन-प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। इस गिरते स्टैंडर्ड को देखकर कई बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली कितने दिन और चलेगी? प्रजातांत्रिक प्रणाली में अगर इस तरह के लोग विद्यमान रहेंगे तो स्वभाविक है कि फिर तो यह मुश्किल ही होगा। स्पीकर सर, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली को बचाये और इस प्रकार से यह कितने दिन तक चलेगी। जब ऐसे सदस्य चुनकर विधान सभा में आयेंगे तो स्वाभाविक है कि डैमोक्रेटिक सिस्टम को बचाना मुश्किल है। डैमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तरह-तरह के लोग इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। स्पीकर सर, आप कहीं भी बाजार में चले जाओ, वहां आप यह सुनेंगे कि ऐसे तो पंचायतों में भी झगड़े नहीं होते हैं, जैसे ये पार्लियामैंट में और असैम्बली में बैठकर करते हैं। स्पीकर सर, बाजार में तरह-तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। स्पीकर सर, सदन की मर्यादाओं का ध्यान न रखकर हाऊस में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

भी माननीय सदस्य 'तू' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हर माननीय सदस्य अपने आप को अरिस्टोक्रेट समझ रहा है। अपने आप को ऐसा दर्शाने की कोशिश करता है कि हम ही बड़े सांमती हो, शायद उनको इस बात का आभास नहीं कि देश में प्रजातंत्र आ गया है। आज अपने आप को सांमती कहते हैं। स्पीकर सर, जिस किसी भी माननीय सदस्यों को 'तू' शब्द का इस्तेमाल करके बोलते हैं। स्पीकर सर, आपको भी 'तू' शब्द का इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। ऐसी भद्दी जुबान इस्तेमाल करना इससे, फालतू मैं इस विषय पर और क्या निन्दा करूँ? क्या होगा ये बार-बार छोटी-छोटी चीजों के लिए कहते है कि इस्तीफा दे देंगे। स्पीकर सर, मैंने आपको एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रस्ताव से इन लोगों पर असर पड़ना है। असैम्बली यूनानिमसली रिजोल्व करे और कोई मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाये। कोड ऑफ कंडकट अभी भी हैं, लेकिन इनको और बढ़ाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि किस कार्य प्रणाली का क्या करना चाहिए, किस पर रिजाइन करें किस पर अपने पद छोड़े, किस पर क्या करें असैम्बली में एक मोरल कोड ऑफ कंडकट बनाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, जिनको 17-17 सालों की जेल हो गई है आज भी जेल में हैं। स्पीकर सर, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मंत्री के बराबर का पद होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को मंत्री के पद का बराबर दर्जा मिला हुआ है। स्पीकर सर, इनको सभी सुविधाएँ मिली हुई हैं, कोठी मिली हुई है, टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है और स्टाप की भी सुविधाएँ मिली हुई हैं। सरकार का खर्चा हो रहा है। वे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। हमारे माननीय सदस्य पर कोई चार्ज नहीं है, कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है। इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी पीढ़ियों को जेल के अंदर शिकंजों में दिखाकर, उनकी फोटो खिंच रहे हैं कि यस ये तो अंदर रहेंगे हमारी तीसरी पीढ़ी राजनीति में आने को तैयार हो रही है। स्पीकर सर,जब ये ऐसी बातें करते हैं तो बहुत ही अशोभनीय समझा जाता है। इससे फालतू और क्या निन्दा की जाये। स्पीकर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कितने टाईम के लिए सस्पैंड किये गये हैं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि काफी शोर था। मैं सुन नहीं पाया कि विपक्षी दलों के सदस्यों को कितने टाईम के लिए सस्पैंड किया गया है?

Mr. Speaker : For the remainder of the Session.

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, फिर तो उनको आना ही नहीं है। उनका यहां आने का मकसद ही नही था। They can not face. जो व्यक्ति हाऊस को फेस नहीं कर सकता तो यह होना स्वाभाविक है। इनकी शुरू से यही इच्छा थी। स्पीकर सर, ये तो इंतजार कर रहे थे कि कब इन्हें सस्पैंड किया जाये यह आपकी काबिल तारीफ है कि आपने इनको हाऊस में बैठने के लिए दो घंटे, तीन घंटे का इंतजार करवा लिया। अदरवाईज जब दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तभी उनकी इच्छा थी कि हमें सस्पैंड किया जाये। स्पीकर सर, ये सब अपना मन बनाकर सदन में उपस्थित हुये थे, कंट्रीब्यूट ये कर नहीं सकते, किसी प्रश्न पर इनको बोलना नहीं आता, किसी बिल पर इनको बोलना नहीं आता, किसी मोशन पर इनको बोलना नहीं आता, सदन की कार्य प्रणाली के बारे में इनको पता नहीं है। गाँवों की चौपालों में जो बातें की जाती हैं वहीं बातें इस सदन में बोलना चाहते हैं। स्पीकर सर, हाऊस के अंदर यह कैसे बात कर सकेंगे। इस किस्म के लोगों से राजनीति को खतरा है। स्पीकर सर, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ

कि अकेली निन्दा से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कोई, डैमोक्रेटिक सिस्टम बनाना होगा। आपको इस बारे में स्पीकर कान्फ्रैंस के माध्यम से या किसी और तरह से रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि अब इस किस्म के ऐलीमैंट आ रहे हैं जिससे पार्लियामैंटरी डैमोक्रेटिक सिस्टम खराब हो रहा है। मैं यह कहना कहना चाहता हूँ कि यह हमारे लिये बहुत बड़ी चुनौती है। पहले हमारे बुजुर्ग अनपढ़ होते थे लेकिन फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। स्पीकर सर, मैं आपकी परमिशन से 1966 से लेकर अब तक की विधान सभा की प्रोसिडिंग्स पर एक वैबसाईट बन रहा हूँ। मैंने देखा है कि उस टाईम में कितनी सुन्दर डिबेट होती थी लेकिन आज क्या हालात हो रही है? हालांकि उस समय एजुकेशन कम थी फिर भी डिबेट बहुत अच्छी हुआ करती थी जबकि आज एजुकेशन बढ़ रही है लेकिन डिबेट का स्तर गिरता जा रहा है। एजुकेशन तो अब नाम मात्र की बढ़ रही है क्योंकि लोग फर्जी डिग्रियाँ और नकली डिग्रियाँ लेकर आ रहे हैं और आकर विधान सभा में बैठ जाते हैं। विधान सभा में बैठने के बाद वे लोग जिस तरह के भाषण करते हैं, बोलते हैं तो हमें अफसोस होता है कि क्या हम इसी विधान सभा के सदस्य हैं, जिस विधान सभा में यह हाल हो रहा है? स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है वह आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी अगुवाई करें चाहे तो आप स्पीकर कान्फ्रैंस में करें या कोई और प्लेटफार्म अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप ये सारी बातें देखें ताकि ये चीजें बंद हो जिससे पार्लियामेंटरी डैमोक्रेटिक सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद सर।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion on the Governor's Address will take place. Shri Anand Singh Dangi, MLA may move the motion.

श्री आनंद सिंह डांगी (महम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि —

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुये हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 21 फरवरी, 2014 को 2.00 बजे (मध्याह्न) पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश का शांतिपूर्ण, समृद्ध, विकासशील और फूलप्रूफ आईना एक हकीकत के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आज पूरे हरियाणा की जनता के सामने एक पिक्चर की तरह साफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले नौ साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहनुमाई में और उनकी सरकार ने जो जनहित के कार्य किये हैं वे ईमानदारी और प्रदेश की जनता के प्रति निष्ठा से किए हैं, उससे प्रदेश का हर वर्ग उत्साहित है। स्पीकर सर, सभी की खुशहाली के लिए काम किए गए हैं चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, बुजुर्ग हैं, नम्बरदार हैं, चौकीदार हैं यानि हर वर्ग के हित की बात कही है। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश के लोगों को समानता के साथ चहुँमुखी विकास दिया है। यह विकास लोगों को सहन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि विपक्ष के लोग सच्चाई को सुन नहीं सकते। सच्चाई को दबाने के लिए अनाप-शनाप की बातें करके ये लोग इस सदन के समय को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन लोगों में सच्चाई को फेस करने की हिम्मत

[श्री आनंद सिंह डांगी]

नहीं होती है। सर, ये तू-तू कह कर बोलते हैं, ये संस्कार की बात होती हैं। ये संस्कार ऊपर से आकर नहीं पड़ते हैं। यह तो जिस प्रकार किसी के घर का माहोल होता है, माता-पिता का माहोल होता है और उसके परिवार का माहौल होता उसी के हिसाब से उसकी जुबान निकलती है। यह आज कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इस सदन के विपक्ष के नेता का रवैया भी इस प्रकार का रहा है। इन लोगों में बोलने की सैंस तो है ही नहीं। आपको तूं कहकर बोलते हैं, सदन के नेता को तूं कह कर बोलते हैं। इस तरह की भाषा बोलना अशोभनीय है। किसी भी प्रजातंत्र सैट अॅप में विशेष रूप से विधान सभा या पार्लियामैंट में जनता बहुत बड़ी आकांशाओं के साथ मैम्बर चुनकर भेजती हैं। कम से कम इन लोगों से इस तरह की अशोभनीय बातें कहना अपेक्षित नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को दर्द इसी बात का है कि जिस व्यक्ति का जहां स्थान है आज वह उसी स्थान पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्यक्ति यह कहता था कि जब तक सारी जिन्दगी जीऊंगा तब तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूँगा। आज वह कहां पर हैं ? जो व्यक्ति जनता के साथ विश्वासघात करता है, झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लूटने का काम करता है, जनता के साथ धोखा करता है, उसका वही हश्र होता है जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ है। निःसंदेह इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रदेश की जनता को झूठ और लूट से बचा कर के इस प्रदेश को चहुँमुखी विकास दिया है। लोगों में आपस में भाई चारा पैदा किया, आपस में प्यार प्रेम पैदा किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि पिछले नौ साल से हरियाणा प्रदेश का मनुष्य ही नहीं चाहे कोई भी जीव हो पेट भर कर खाता है और आराम की नींद सोता है। ऐसा वास्तव में किसी राजा का काम होता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का काम होता है और देश के प्रधानमंत्री का काम होता है जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश में कायम किया है। कोई भी कुछ कहता रहे लेकिन हकीकत यह है कि जिस इन्सानियत से, जिस नरमी से, जिस भाई चारे से चाहे कोई भी किसी प्रकार की बात सामने आई उसे बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का काम किया है उसमें चाहे हमारे कर्मचारियों की बात हो, आम लोगों की समस्याओं की बात हो। उसमें प्रतिशोध की भावना न रखते हुए व आपसी टकराव की भावना न रखते हुए सहनशीलता के साथ आपसी परामर्श, परिचर्चा व आम सहमति के जरिए एक स्वच्छ प्रशासन, राजनीतिक संस्कृति को प्रस्तुत करने का काम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश में किया है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सौहार्दपूर्ण तरीके से जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करके इस प्रदेश का नव निर्माण किया है। आज यही कारण है कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्तर की तरक्की को देखते हुए हरियाणा की विकास के एक रोल मॉडल के रूप में पूरे हिन्दुस्तान में सराहना होती है। हरियाणा प्रदेश के विकास का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक विरोधी दल गुजरात को रोल मॉडल कह कर एक ड्रामा बनाकर प्रदेश की जनता को बहकाने का काम करते रहें। लेकिन हमारे प्रदेश को सामने रखकर के जो जनहित के कार्य हमारे प्रदेश में हुए हैं उनके मुकाबले में गुजरात तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। (विघ्न) इस बात से स्पष्ट है कि जब 2005 में इस सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली उस वक्त का हरियाणा का बजट 2200 करोड़ का था आज वह बजट 18 से 20 हजार करोड़ रुपये का है इससे यह साबित होता है कि उन लोगों की क्या नीयत थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए कितना बड़ा काम किया है। खजाने को लुटाने के आरोप लगाए जाते हैं अगर जनहित में खजाने को लुटाना पड़ता है अगर

लोगों की सहूलियत और सुविधा के लिए खजाने को लुटाना पड़ता है तो मैं चाहूंगा कि ऐसा राजा बार बार हो और प्रदेश के खजाने को जनता के हित के लिए लुटाता रहे और जनहित के कार्य करता रहे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वह जनता की खुशहाली के लिए किए हैं चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हों, कर्मचारी हो, पिछड़ा वर्ग हो या युवा हो सभी वर्गों के लिए विकास के कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के माध्यम से किए हैं। यह एक अनूठा उदाहरण है और सबसे बड़ी बात है कि वह कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से और मेहनत से व लगन से किए हैं। हमारी सरकार का कार्यकाल बड़ा ही उल्लेखनीय रहा है। देश की और प्रदेश की जनता विकास के लिए वोट देती है और बाद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से विकास की आशा भी रखती है। हमेशा जो भी सरकार बनती है चाहे उसमें गांव का पंचायत मैंबर, बनता है, सरपंच बनता है चाहे हमारे जैसे लोगों का साथ देने के लिए

(विघ्न)

निलम्बित सदस्यों को वापिस बुलाने के लिए निवेदन/वाक आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज आपके रवैये से मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं तो प्रैस की लॉबी में बैठा था और आप मुझे यहां से निकाल रहे थे और वहां मुझे बताया गया कि आपको सदन से निकाल दिया गया है।

Mr. Speaker : You are misinformed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : एक हमारा सदस्य सुभाष चौधरी जो एम.एल.ए.पलवल है वह आज पलवल में ही है उसका नाम भी पढ़ दिया गया है। अगर हमारा नहीं पढ़ा गया तो 29 एम.एल.ए. कैसे बन गए। मेरे को सिक्योरिटी ऑफीसर ने कहा कि आप हाउस में नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : मैंने लिस्ट में जो निशान लगाए हैं वह अभी नहीं लगाए हैं ये निशान पहले से ही लगे हुए हैं और निशान लगाकर मैंने इनको ऐबसैंट शो कर रखा है। आप अपने सदस्यों से कहें कि वे आपसे इस बारे में माफी मांगें, उन्होंने आपसे गलत कहा है। तीन सदस्यों को मैंने नहीं निकाला।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सब्मीशन है कि हमारी पार्टी के सभी सदस्य यहां पर अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और यह भी ठीक है कि सबको नियमानुसार परम्पराओं में रहना चाहिए, परन्तु परम्पराएं अकेले एक तरफ से नहीं होती। आपने संवैधानिक पदों की बात की तो उस बारे में भी हम यही कह रहे थे कि लोकायुक्त एक संवैधानिक पद है उसकी बात पर सरकार जवाब देती कि हम कार्रवाई करेंगे। आज सदन में गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और हमारी पार्टी के सभी सदस्यों को आपने सदन से निकाल दिया। आज हाऊस की कार्यवाही चले, इसके लिए आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। अध्यक्ष महोदय, एक दिन के लिए सदस्यों को सदन से निकाल भी दिया जाए लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पूरे सत्र के लिए निकाल दो। विपक्ष को यदि आप हाऊस से निकाल देंगे तो हाऊस कैसे चलेगा ? मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे सारे सदस्यों को वापस सदन में बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे इस बारे में सैपरेटली चर्चा कर लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) उनके यहां आने के बाद यदि फिर भी सदन को न चलने दिया गया तो क्या होगा? Can you assure me की सदन को चलने दिया जाएगा ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी कभी मंशा नहीं है कि सदन की कार्यवाही न चले परन्तु हम अपनी बात तो रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : यदि आप हाऊस को ऐश्योर करेंगे कि हाऊस में गवर्नर ऐड्रेस पर चर्चा होगी तो ठीक है। लेकिन अगर आपका कंडक्ट यही रहेगा कि सदन को चलने ही नहीं देना और स्पीकर की बात माननी नहीं, तो सदन कैसे चल सकता है ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आप भी यह कहें कि आपकी बात नहीं मानते, ठीक नही है स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने हमें कहा कि श्री राम पाल माजरा जी की कालिंग अटैंशन मोशन पर आपने कोई रूलिंग देनी है। वह रूलिंग देने से पहले ही आपने उसे एक मिनट में डिसअलाऊ कर दिया। स्पीकर सर, अगर हमें भी अपनी कोई बात सदन में रखनी है तो स्पीकर सर, आपको हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। ये विपक्ष के लोग भी लोगों के द्वारा चुने हुए हैं इन्हे भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अरोड़ा जी को एक बात कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, आपने पहले ही सदन में यह कहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी उसमें लॉ एण्ड ऑर्डर का सबजैक्ट भी आयेगा। अगर इनको लॉ एण्ड ऑर्डर पर कोई बात कहनी है तो ये सदस्य उस समय अपनी बात रख सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीकर की तरफ से क्या एश्योरैंस दिया जायेगा। मैं अरोड़ा जी को बतलाना चाहूंगा कि ये न तो अपनी कोई बात करते हैं बल्कि सदन की कार्यवाही को इंसिस्ट करके इन्ट्रप्ट करते रहते हैं। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया जायेगा। मैं अरोड़ा जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर इनको समय नहीं दिया जायेगा तो हम स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट करेंगे कि हमारा समय भी इनको बोलने के लिए दिया जाए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम कालिंग अटैंशन मोशन और काम रोको प्रस्ताव नियम के तहत ही तो रखना चाहते हैं। क्या वह नियम के बाहर है ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझे यह बतायें कि क्या उसको रिजैक्ट करना नियम के बाहर है ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपने नियम के तहत ही रिजैक्ट किया है या आपने यह मन ही बना रखा है कि रिजैक्ट करना ही करना है।

श्री अध्यक्ष : वह कालिंग अटैंशन मोशन भी तो आपकी पार्टी के सदस्य का ही था। आपने उनको भी उसे पढ़ने नहीं दिया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, एक मंत्री खुद माननीय गवर्नर महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके बारे में हमारा यही कहना है कि सरकार इस बारे में जवाब दे दे और उस पर भी सरकार जवाब न दे तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी बात सुनी जाए और उस बारे में सरकार जवाब भी दे। स्पीकर सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी पार्टी के जिन सदस्यों को सदन से निलम्बित किया है उनको सदन में दोबारा से बुलाया जाए ताकि हम भी अपनी बात सदन में कह सकें।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला आँख दिखा कर मुझे डरा रहे हैं। मैं उम्र में इनसे बड़ा हूं और इन्होंने मेरे से यह कहा था कि सदन में आना

आपको देख लूंगा तब मैंने इनको यह कहा था कि तेरी छाती पर बैठ कर हाउस में आऊंगा। ये कौन होते हैं मुझे सदन में लाने वाले इनको बोलने का तरीका तो है नहीं। मैं बूढ़ा आदमी हूं इसलिए ये थोड़ी थोड़ी देर में मुझे अपनी आँखें न दिखाया करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जो बात श्री अरोड़ा जी ने कही है मैं भी आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप उस पर विचार करें और हमारी पार्टी के जो सदस्य आपने सदन से बाहर नेम करके निकाले हैं उनको दोबारा से सदन में बुलाया जाए ताकि वे भी अपने विधान सभा क्षेत्रों की बात और प्रदेश की बात सदन में उठा सकें। हमारी पार्टी के सदस्यों ने आपके साथ ऐसा कोई भी गलत आचरण नहीं किया जिसकी वजह से हमारी पार्टी के सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलम्बित किया गया है। जैसा कि अशोक अरोड़ा जी ने भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था कि सी.डी. की जाँच करायेंगे। वह जाँच होकर आ गई है और उस पर क्या कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। हम तो केवल मात्र यही बात जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सदस्यों को सदन से बाहर करना, हम तो यहीं रिक्वैस्ट करते हैं कि हमारी पार्टी के निलम्बित सदस्यों को दोबारा से सदन में बुलाया जाए। इससे पहले आपने हमें बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सदन में जब भी सस्पैंशन होती है तो उसके लिए सदन में रैजोल्यूशन आता है and I took the sense of the house. जब सदन से किसी सदस्य की एक्सप्लेनेशन होती है तो this is after the mandate of the house which the Speaker gets. It is not my decision alone. It is the decision of the entire house. Similarly, we have to take them back.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती तो हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुन रहा हूं Can you assure me?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मै एश्योर तो नहीं कर सकता।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन की वैल में आकर बोलने लग गए।)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको जो कुछ कहना है वह आप अपनी सीट पर जाकर कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात ध्यान से सुनी है अब मैं एक बात कहना चाहता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको अलाउ कर रखा है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक हित की बात कहना चाहता हूं। मेरी बात से पूरे प्रदेश को खुशी होगी। मैं न्याय की बात, प्रजातंत्र की बात और विधानसभा की मर्यादाओं की रक्षा की बात कहना चाहता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है ?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा हो रहा है। यह कोई सिस्टम नहीं है। एक इधर से बोलता है और एक उधर से बोलता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। मेरी बात प्रजातंत्र के हित की बात है और विधानसभा की मर्यादाओं की रक्षा करने की बात है। मेरे एक दलित साथी पर झूठ, मूठ और खसूट की सीडियां लहराई जा रही हैं। बेबाक तरीके से एक दलित का बेटा यहां अपनी बात रखता था, विधानसभा के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी बात कहता था और विपक्ष की मनगढ़ंत जो कहानियां होती थी और जो षडयंत्र होते थे उनसे बेबाक तरीके से पर्दा उठाने का काम करता था उसको डिमोरेलाइज करने के लिए और उस पर दबाव बनाने के लिए ये 30-30 विधायक षडयंत्र के तहत एक सुर में बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे अरदास है, विनती है और विनम्र प्रार्थना है कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला बहुत सीनियर लीडर है और हम उनके बेटे के समान है परंतु न्याय तो न्याय है। न्यायपालिका उनको 17 साल की सजा सुनी चुकी है। वे आज भी कोठी, बंगले और सरकारी गाड़िया लिए हुए हैं और कोई साथी न्याय की बात नहीं बोलता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके सुप्रीमो ने विधान सभा के साथ न्याय किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ न्याय किया है। ये कब रिजाइन देंगें और नहीं देंगें तो क्यों नहीं देंगें क्योंकि ये प्रजातंत्र का हनन है। पूरे हरियाणा प्रदेश के केवल ये साथी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता इनके कारनामों और षडयंत्रों को देख रही है कि किस तरह से ये दलितों के साथ जुल्मोसितम करते रहे, किस तरह से दलितों को दबाते रहे, किस तरह ये दलितों की आवाज दबाते रहे। ये केवल दलितों की आवाज ही नहीं दबाते थे बल्कि जब ये सत्ता में थे तो दलितों को जिंदा भी जला देते थे। विधान सभा के अंदर न्याय होना चाहिए चाहे इसके लिए अमरण अनशन क्यों न करना पड़े। जिन लोगों ने दलित के बेटे के खिलाफ षडयंत्र रचा है उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जी को जनहित में और प्रजातंत्र के हक में और विधान सभा की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए रिजाइन देना चाहिए नहीं तो विधान सभा सत्र के बाद मैं अमरण अनशन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमें न्याय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम गरीब घरों से चुनकर आए हैं। ये मेरे को भी धमका रहे हैं कि तेरी भी सीडी आएगी, पहले ही दबा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जब सीडी आएगी तो देख लूंगा। ये मेरे खिलाफ एक सीडी लाएं, दो लाएं, नौ लाएं या सौ लाएं क्योंकि घर की बही काका लिखणिया। इन्होंने कोई सीडी बनाने वाला पकड़ रखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नरेश शर्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि दलित के खिलाफ साजिश हो रही है और साजिश रचने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, हमने तो लोकायुक्त के सामने भी यही कहा और आज आपके सामने भी यही बात कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ साजिश हुई है या मैडम किरण चौधरी के खिलाफ साजिश हुई है तो जिसने साजिश की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने

चाहिएं। यदि साजिश नहीं हुई है और ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। लोकायुक्त ने भी यही कहा है कि इस केस में एफ.आई.आर. दर्ज करके इसकी जांच किसी अधिकारी से करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो इनकी बात का समर्थन करते हैं कि जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, प्लीज आप बैठें और इनको बोलने दीजिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी बात का समर्थन करता हूं कि साजिश का पता चलना चाहिए कि कौन साजिश कर रहा है। साजिश का पता कैसे लगेगा। सरकार को इस बारे में इन्क्वायरी करवानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन साजिश कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, फौजी साहब भी शायद अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं उन्हें भी मौका दिया जाये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वे भी बोल लें लेकिन मेरे माननीय साथी बार-बार साजिश का जिक्र कर रहे थे और हम भी उनका समर्थन करते हैं। उस साजिश का पता कैसे लगेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय,.....(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अरे तेरी बात नहीं कर रहा कुछ और कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यह तेरी क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किसी भी मैंबर के लिए तेरी शब्द न कहें बल्कि यह कहें कि आपकी बात नहीं कर रहा।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यही इनकी सभ्यता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किसी भी सदस्य को सम्मानजनक तरीके से संबोधित करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : क्या अब भी आप, आप कहने के लायक बचे हुए हो। (शोर एवं व्यवधान) यह भी चाहते हो कि हम आपको बड़ी इज्जत के साथ बुलायें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : आप क्या चीज हो, मैं आपके कहने से आप नहीं बन जाता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। आप बैठे-बैठे क्या तमाशा देख रहे हो। इन बातों का क्या मतलब है ? (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

प्रो. सम्पत सिंह : आप कहलाने का मैं भूखा नहीं हूं। आप चाहे मुझे आप न कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप कहलाने के लायक आप बचे ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी को आपके खिलाफ इन्क्वायरी करवानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Aroro Ji, is it proper कि एक दूसरे मैंबर को इस तरह से एड्रैस करें। Is it O.K.

प्रो. सम्पत सिंह : मैं अपराधियों से आप नहीं कहलवाना चाहता। (शोर एवं व्यवधान) क्या मैं ऐसे लोगों से आप कहलवाना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अपराधियों से मैं आप नहीं कहलवाना चाहता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने विधान सभा को अपनी जागीर बना लिया। (शोर एवं व्यवधान) क्या विधान सभा इनकी जागीर है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। ये अपोलोजाइज कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आप अपने कानों से सुन रहे हैं कि किस तरह की बातें यहां हो रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मेरी जिम्मेवारी है कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य की इज्जत आहत न हो। This is not the way, सभ्यता यह है कि किसी माननीय सदस्य को किस तरह से बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से किसी मैंबर को बोलना सभ्यता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाऊस को अपनी जागीर बना लिया। (शोर एवं व्यवधान) इन को मैं वोट की चोट मारूंगा, आना मेरे सामने। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने यह कहा है कि बैठ जा फौजी मैं तेरी बात नहीं कर रहा। (शोर एवं व्यवधान) यह हमारे प्रदेश की भाषा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रदेश की भाषा होगी, सदन की नहीं है। सदन में आप, आप शब्द भी कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सदन में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। This is not the way.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये फोटो खिचवा कर हीरो बनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के किसी भी सदस्य ने आज तक विपक्ष के साथियों को तू कह कर नहीं बोला है। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन ये जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : इनको अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) क्या यह सदन इनकी जागीर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, he will apologize.

श्री अभय सिंह चौटाला : किस बात के लिए ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यही जो आपने "तेरे" शब्द का यूज किया है इसके लिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इस तरीके से बोल रहे हैं इसका मतलब आप अपनी बात पर कायम हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब आपने जो कहा वह ठीक कहा है। (शोर एवं व्यवधान) I don't want to argue with you.

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये लोग दलितों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग दलितों का सम्मान नहीं करना जानते। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मन्त्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, इसका कसूर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी सांगवान साहब ने अभय सिंह जी के लिए इसका शब्द यूज किया है। यह हमारे प्रदेश की भाषा है। हमारा भाव किसी की इज्जत नहीं करने से नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे को आंख दिखाकर बात कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर सर, क्या यह विधान सभा और हरियाणा प्रदेश विपक्ष के साथियों की जागीर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी की मंशा किसी भी माननीय साथी को धमकाने की नहीं थी अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो वह सिर्फ देशी भाषा में ही बोला है।

श्री अध्यक्ष : अशोक जी, इस बारे में उनके एक्सपलेनेशन की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें अपने शब्दों को विद्ड्रा करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : स्पीकर सर, जैसी भाषा का इस्तेमाल इनके बाहर चले गये साथी करते रहे अगर ये भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनको उसके लिए माफी तो मांगनी ही पड़ेगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर आप हमें भी बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर तो हम अपने आप ही चले जाते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको हमारी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के दलित भाईयों का सम्मान सुरक्षित रहे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, दलित समाज के सम्मान की हमें सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि दलित समाज के सबसे ज्यादा विधायक हमारी पार्टी से हैं।

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर सर, मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधान सभा और हरियाणा प्रदेश विपक्ष के साथियों की जागीर है। ये विपक्ष के साथी सत्ता पक्ष के साथियों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम भी इस विधान सभा के सदस्य हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो यह विधान सभा विपक्ष के साथियों की जागीर है और न ही हरियाणा प्रदेश ही इन विपक्ष के साथियों की जागीर है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जो आपने बोला है आप उसको विद्ड्रा कर लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जब हम विधान सभा में आये तो हम दोनों ने आपसे यह बात कही थी कि जिन सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव दिया था जिसको आपने रिजैक्ट कर दिया जब इसके विरोध में वे खड़े हुए तो आपने उनको नेम करके सदन से बाहर निकाल दिया हमने आपसे रिकवैस्ट की थी कि आप उन सभी को वापिस बुलायें ताकि वे भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखने के बजाये इसके कि कोई और दूसरा नया विवाद खड़ा करके हाऊस का समय बर्बाद करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी साथी को यह लगा कि मैंने उसको कुछ गलत बात कही तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं लेकिन आप हमारे सभी सम्मानित साथियों को सदन में वापस बुलायें ताकि इस हाऊस की कार्यवाही सही ढंग से चल सके और लोग अपनी-अपनी बात कह सकें। यह कोई तरीका नहीं है कि कोई भी माननीय सदस्य अपनी सीट पर खड़ा होकर पर्सनल छींटा-कसी करे इसलिए हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को आप यह बात भी समझायें कि ये कभी भी पर्सनल छींटा-कसी न करें और हाऊस की मर्यादाओं में रहते हुए ही अपनी बात यहां पर रखें। यह ज्यादा अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री आनंद सिंह दांगी जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पहले आप हमारे साथियों को वापस बुलायें।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। आप एक सीनियर मैंबर हैं। मुझे इस बारे में कुछ एशोरैंस तो चाहिए। This House has to take a decision not me alone.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, दांगी साहब गवर्नर एड्रैस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हम भी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। हम इनकी बात सुनना और अपनी बात भी इनको सुनाना चाहते हैं।

Mr. Speaker : Arora ji, can you assure me about this? अरोड़ा जी, दांगी जी तो गवर्नर एड्रैस पर चर्चा शुरू कर चुके हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इस मामले में गारंटी किस बात की। हम यह कहते हैं कि हम रूल्ज़ के मुताबिक चलेंगे।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, एक बात इसमें यह भी जोड़ लें कि आप सभी सदन के अध्यक्ष की बात को नहीं मानेंगे। जब मैं आप सभी को बैठने के लिए कहता हूं तो मेरे कहने के बावजूद भी कोई बैठता नहीं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम आपकी सारी बातें मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैंने पूरी कोशिश की कि आपके दल के माननीय साथियों को सदन से बाहर न निकाला जाये लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम आपकी सारी बातें मानेंगे और अपनी बात भी यहां पर रखेंगे। आप पूरे हाऊस के स्पीकर हैं इसलिए आपकी बात मानने का कर्त्तव्य सभी का बनता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से निवेदन है कि यह हाऊस का रेज्योल्यूशन है इसलिए आपको अपनी बात हाऊस के सामने भी रखनी चाहिए। I can't take a decision alone.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम तो आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं कि आप हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को हाऊस में वापस बुलायें।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, यह बात तो हाऊस को डिसाइड करनी है।

वाक-आऊट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर आप हमारी बात नहीं मानते और हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को हाऊस में वापस नहीं बुलाते तो हम इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री अशोक कुमार अरोड़ा एवं श्री अभय सिंह चौटाला उनकी पार्टी के निलंबित किये गये सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में वापस न बुलाये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आऊट कर गये।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, आप कंटीन्यू कीजिए।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, प्रदेश की जनता हम सबसे बहुत अधिक आशाएं रखती है। हमारे लिए लोग लड़ते और झगड़ते हैं। इससे कई बार लोगों का आपसी भाई-चारा भी खराब हो जाता है और यह इसीलिए होता है कि उन्होंने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें यहां विधान सभा में भेजा हुआ है। इसके साथ जो उनकी भावनायें हैं और जो उनके विचार हैं प्रदेश और इलाके की समस्यायें हैं, विकास की बात है, पानी की बात, गलियों की बात है, सड़कों की बात है, रजबाहों की, माईनर की बात है तो इन सब बातों को उठाने के लिए हमें यहाँ पर यही 5, 7 या 10 दिन का समय मिलता है। उस सारे टाईम को हम इस तरह से घोल दें तो शायद यह हमारे इस प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कितने जबरदस्त तरीके से इस प्रदेश का नवनिर्माण किया है। किसी भी वर्ग की कोई भी समस्या है चाहे कर्मचारियों की बात हो, किसानों की बात हो या मजदूरों की बात हो तो 9 साल से हर क्षेत्र में एक भाईचारे के साथ, प्यार प्रेम के साथ हर किसी को भाई-बहन मान कर इस प्रदेश की समस्या को स्वीकार करके इस प्रदेश का नव-निर्माण किया है। 9 साल पहले जो हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के नक्शे पर 9वें स्थान पर था आज वही हरियाणा प्रदेश

[श्री आनंद सिंह दांगी]

हरियाणा सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से हिन्दुस्तान के नक्शे पर सबसे ऊपर पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, ये काम ऐसे ही नहीं हो जाते, इसमें नीति और नीयत की जरूरत होती है, इन्सानियत की जरूरत होती है, एक दूसरे का मान-सम्मान होता है और ठीक ढंग से जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने की लगन होती है जिसकी वजह से यह प्रदेश आगे बढ़ता है तथा प्रदेश को तरक्की और विकास देकर उसको हिन्दुस्तान में जो अग्रणी स्थान दिया है उसके लिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने विकास की अनेकों मंजिलें तय की हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति प्लान बजट और राजस्व संसाधन जुटाने में हरियाणा देश भर में सबसे अग्रणी राज्य है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। यह ऐसे ही नहीं हो जाती। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो हमारे प्रदेश की जनता ने हमारे प्रदेश के नौजवानों ने अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से प्रदेश को बहुत ऊंचा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आज हरियाणा गेहूं, बाजरा, सरसों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भारतवर्ष में सबसे ऊपर है। यह हमारे किसानों की मेहनत और लगन का नतीजा है तथा सरकार की नीतियों के अनुसार उनको सही डायरेक्शन देना और समय-समय पर उनको बीज-खाद आदि उपलब्ध करवाना तथा उनको सही राय देकर उनको प्रेरित करना है जिसकी वजह से आज हमारा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में अग्रणी है। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में हमारे जो मजदूर भाई हैं, खेतीहर भाई हैं, उनको जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है वह भी पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दी जाती है। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्गों, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों तथा विकलांगों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर वृद्धावस्था पैन्शन की बात की जाये तो 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश की बागडोर सम्भाली थी तो वृद्धावस्था पैन्शन 200/- रुपये प्रति माह थी और 100/- रुपये की वृद्धि प्रस्तावित थी लेकिन पिछली सरकार बढ़ा नहीं सकी क्योंकि वह इलैक्शन में लोगों को बरगलाने की कोशिश थी। वे वह नहीं बढ़ा सके और वे खाली हाथ चले गये। किसी को कुछ नहीं मिला क्योंकि किसी की कोई नीति और नीयत नहीं थी और न ही प्रदेश की जनता के साथ कोई लगाव था। उन लोगों ने केवल स्वार्थ की राजनीति की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इन 9 सालों में 1000/- रुपये वृद्धावस्था पैन्शन की है। इसी तरह से आप सबको पता है कि गोहाना में एक रैली का आयोजन हुआ था। उस रैली में हरियाणा प्रदेश की जनता के हर वर्ग ने हर कौम ने इतने उत्साह के साथ हिस्सा लिया कि आज तक शायद पूरे हिन्दुस्तान में इतनी बड़ी रैली नहीं हो सकी। उतने ही बड़े दिल के साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ही मंच से जो जनकल्याण की घोषणाएं की वह भी एक इतिहास है। आज तक जितने मुख्यमंत्री आए हैं वह सभी हर स्टेज से हर वर्ग के कल्याण के लिए पता नहीं क्या-क्या घोषणाएं करते रहे हैं लेकिन उन घोषणाओं को कार्यान्वित करना और उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। कहना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे हालात में आज मुख्यमंत्री जी ने एक जनवरी से जो कुछ कहा करके दिखा दिया। जितनी भी घोषणाएं की हर वर्ग के लिए, हर कर्मचारी के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर बहन बेटी के लिए , विद्यार्थी के लिए हमारे समाज में जिस प्रकार का जो भी सैटअप है आज हमारे हरियाणा में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी सरकार की तरफ से

आर्थिक मदद न जा रही हो। विपक्ष के सदस्य तो इसी तरह से अनाप शनाप की बातें कह कर सदन का समय बर्बाद करते हैं। उनमें सुनने की क्षमता नहीं है। छह साल तक राज करके चले गये लेकिन हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। झूठ और लूट के बल पर जनता को ठगने का काम किया है। इस प्रदेश को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। अब लोगों को बहका कर लोगों से वोट लेने की बात करते हैं। पहले जनता के साथ जो कुछ भी हुआ वह जनता जानती है। यह कहते हैं कि आपका यह आखिरी सैशन है सैशन तो नौ हो लिए और जो व्यक्ति यह कहता था कि जब तक जीऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा लेकिन वे आज यहाँ नहीं है। यह सदन किसी की बपौती प्रोपर्टी नहीं है। यह जनता के द्वारा दिया हुआ स्थान है। जनता उन्हीं का साथ देती है जो उनकी भावना के अनुसार और जनता को दिए गये वायदों के अनुसार पूरी जनता को अपना भाई - बहन मान कर कार्य करते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये लोग इसी तरह से नारेबाजी करते रहेंगे। जिन्दाबाद - मुरदाबाद करते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है जो जनता का प्यार हमारे मुख्यमंत्री जी ने अर्जित किया है उसी की वजह से आज ज्यादा समय दूर नहीं है केवल आठ-नौ महीने की बात है तीसरी बार फिर हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस का राज आएगा और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इसके मुख्यमंत्री होंगे। वह सपने लेने वाले भुंगेरी लाल तो खुद बने हुए हैं। उनमें तो सारे प्रदेश के लोगों को बहकाने की होड़ लगी हुई है। वह जगह-जगह जाकर लच्छेदार भाषण करते हैं जिसमें कोई नीति नहीं, जिसमें कोई आर्थिक योजना नहीं . बस यह कहते हैं राहुल गांधी ऐसा है, सोनिया गांधी ऐसी है , भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ऐसा है, इससे अलग इनके पास कोई दूसरी बात ही नहीं है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय.....(विघ्न)

Mr. Speaker : No Comments.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हाऊस में सारा शोर शराबा नरेश बादली जी के कारण होता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, इसी तरह से हमारी सरकार ने खेत और किसान को अपनी प्रगति का केन्द्र बिन्दु बनाया है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसान को समय पर पानी, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे हमारे किसान ने खेत में मेहनत करके हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर नाम कमाया है जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को दो बार राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला है। स्पीकर सर, अब मैं गन्ने की फसल के बारे में कहना चाहता हूँ। गन्ने की जो फसल है वह किसान की पूरे साल की फसल होती है तथा इसको किसान के लिए कमाई करने वाली एक सोलिड फसल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बावजूद भी यदि किसान को साल भर की इस गन्ने की फसल का ठीक भाव नहीं मिलता है तो मेहनतकश किसान अंदर से टूट जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को जिनकी सरकार ने इस मेहनतकश किसान को आज ही नहीं बल्कि लगातार यानी जब से इनकी सरकार अस्तित्व में आई है, पूरे देश के किसानों से सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को दिया है। हमारे विपक्ष के भाई जो अभी सदन में बैठे थे और अब चले गये हैं यदि इनके छह साल के शासन काल को देखें तो पायेंगे कि इनके शासन काल में किसान को गन्ने का रेट केवल मात्र 117 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया था। छह साल के अन्दर इन्होंने गन्ने के रेट में

[श्री आनंद सिंह दांगी]

केवल 17 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोत्तरी की थी। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने गन्ने का भाव तीन गुना बढ़ाकर किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया है (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इस बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप हमारे किसान भाईयों को कम से कम 500 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अब मैं पशुधन पर अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। किसान के पास खेत के साथ-साथ पशुधन भी अपनी रोजी-रोटी कमाने का एक दूसरा साधन होता है। पहले हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र एक वैटरनरी कॉलेज हुआ करता था लेकिन अब सरकार ने किसान के इस पशुधन की रक्षा व देखरेख के लिए हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए "दुधारू पशु योजना" के तहत एक पशु से 10 किलो से लेकर 20 किलो तक दूध के उत्पादन पर 20-20 हजार रुपये के ईनाम का प्रावधान किया गया है। इस तरह से यह किसान के लिए ऐसी बात हो गई है कि "आम के आम और गुठलियों के दाम" यानि जो अतिरिक्त दूध का उत्पादन होगा वह भी किसान को मिलेगा, पशुधन भी किसान का होगा और उसके साथ जो सरकार की तरफ से ईनाम प्राप्त होगा वह भी किसान को ही प्राप्त होगा। हमारी सरकार ने जितनी मदद आज खेतिहर किसान के साथ-साथ पशुपालकों को दी है वह उनके लिए खुशहाली की बात ही मानी जा सकती है। इसी प्रकार से कृषि से संबंधित जो टैक्नोलॉजी है, चाहे वह बागवानी से संबंधित टैक्नोलॉजी हो या फिर फल-फूल से संबंधित टैक्नोलॉजी हो, आज एक बहुत ही बढ़िया कृषि से संबंधित पद्धति किसानों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस पद्धति के तहत जो किसान पोली हाउसिज बनाकर के उसमें सब्जी उगाने का कार्य करते हैं उन किसानों को सरकार 65 परसेंट सब्सिडी पोली हाउसिज बनाने के लिए देती है। पोली हाउसिज लगाकर सब्जी व फल-फूल लगाने का तथा खेती करने का जो काम किया जाता है उसकी वजह से किसान को एक साल में प्रति एकड़ भूमि से छह लाख से लेकर सात लाख तक की आमदनी प्राप्त होती है। इस तरह से यह हमारे किसान भाईयों के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा सकती है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कल आपके हल्के में जो इंटरनैशनल लैवल की फल फूल व सब्जी की मंडी हरियाणा प्रदेश की जनता के सुपुर्द की है उससे भी हमारे किसान भाईयों को फायदा मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि प्रदेश के किसानों को अपने उत्पादन का सही रेट प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्रदेश के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेश के किसान को एक ही स्थान पर अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। स्पीकर सर, अब मैं जमीन अधिग्रहण पर भी अपने विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा। जमीन अधिग्रहण वाली बात हमारे विपक्ष के साथी भी करते रहते हैं। यदि हमारे विपक्ष के साथियों के समय की बात करें तो इनके समय में जमीन जबरदस्ती हथियाई/एक्वॉयर की जाती थी और कभी भी ढ़ाई-तीन लाख रुपये से ज्यादा हथियाई/एक्वॉयर की गई जमीन का मुआवजा किसान भाईयों को नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार के समय में यदि जमीन अधिगृहीत की जाती है तो एरिया के हिसाब से किसान को मुआवजा राशि दी जाती है। मान लो एन.सी.आर. का एरिया है और वहां पर 80 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन अधिगृहीत की जाती है तथा रॉयल्टी भी करोड़ों रुपये दी जाती है और इस तरह से किसान तथा उसके परिवार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी

अपना जीवनयापन करने का अच्छा इंतजाम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली से संबंधित अपने विचार भी सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी हाउस में बिजली से संबंधित विषय पर चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि प्रदेश के बिजली के कारखानें/थर्मल पॉवर प्लॉट्स ठीक तरह से नहीं चलाये जा रहे हैं या वे बंद पड़े हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में बिजली एक बहुत जरूरी चीज बन गई है। आज के जमाने में सब कुछ बिजली पर आश्रित है चाहे कोई किसान हो या साधारण आदमी हो। स्पीकर सर, पहले के जमाने में लोग घरों में हाथों से काम करते थे। वह सारा सिस्टम बंद हो गया है। पहले कुट्टी काटना, दूध बिलोना और आटा पीसना आदि काम हाथों के द्वारा ही होता था। पहले हमारी सभी माताएँ बहनें सुबह चार बजे उठ जाती थीं और घर के काम में व्यस्त हो जाती थीं और समाज में यह चर्चा चलती थी कि चाक्कियों का टाइम हो गया है उठ जाओ। सुबह चार बजे चाक्कियों के घर्राटें (जोरदार आवाजें) उठने लग जाते थे और सारे लोग चार बजे उठकर अपने-अपने काम धंधों में लग जाया करते थे लेकिन आज इस बिजली ने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि माताएँ, बहनें बिजली के बिना दूध बिलो ही नहीं सकती। आजकल बिजली का फ्यूज उड़ जाये या ट्रांसफार्मर में आग लग जाये तो चार दिन तक दूध पड़ा-पड़ा खराब भले ही हो जाये लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि हाथों से दूध को बिलो लिया जाये। आज के समय में बिजली की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और बिजली की उस खराब स्थिति को संभालने के लिए हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्पीकर सर, जब हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली तो उस वक्त सिर्फ 1687 मेगावाट बिजली पैदा होती थी लेकिन आज 5350 मेगावाट बिजली का उत्पादन विभिन्न संसाधनों से हरियाणा सरकार ने किया है। नई-नई योजनाओं के अनुसार प्लांट लगाये जा रहे हैं। वह चाहे थर्मल पॉवर प्लांट यमुनानगर का हो, चाहे थर्मल पॉवर प्लांट खेदड़ का हो, चाहे थर्मल पॉवर प्लांट झाड़ली का हो या फिर थर्मल पॉवर प्लांट खानपुर का हो। इसी प्रकार से परमाणु बिजली घर गोरखपुर का हो, जैसे 600 मेगावाट फरीदाबाद में गैस पर आधारित थर्मल पॉवर प्लांट को लगाया जा रहा है और इसके अलावा हरियाणा सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त राज्य के बाहर से बिजली क्षमता में बढ़ौतरी कर रही है। स्पीकर सर, 4 हजार 33 मेगावाट से बढ़कर आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग10000 मेगावाट हो जायेगी। चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे घर में प्रयोग लाने की बात हो, चाहे फैक्टरी लगाने की बात हो सभी जगह बिजली की जरूरत है और बिजली से रोजगार भी बढ़ेगा, काम धंधों को भी बढ़ाया जायेगा, बिजनैस को भी बढ़ाया जायेगा। हरियाणा राज्य में सभी काम सूचारू रूप से चलाये जा सकेंगे उसमें किसी भी प्रकार की रूकावट और दिक्कत हरियाणा प्रदेश में नहीं आयेगी। स्पीकर सर, इस प्रकार चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश ने बहुत थोड़े समय में जबरदस्त तरक्की की है हरियाणा प्रदेश में नये नये इन्डस्ट्रियल मॉडल टाऊनशिप स्थापित हो रहे हैं। पुराने इन्डस्ट्रियल स्टेट का विस्तार हो रहा है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे से तथा दिल्ली-बम्बई इन्डस्ट्रियल फ्रेट कोरीडोर से हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विकास में एक नई दिशा मिल रही है। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2005 से अब तक 64 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है और आने वाले समय में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो जायेगा। यह हरियाणा सरकार का रिकॉर्ड है। आई.टी. उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा ने लम्बे कदम भरे हैं। हरियाणा प्रदेश में आई.टी.आई. पार्क, आई.टी. पार्क, साइबर पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित

[श्री आनंद सिंह दांगी]

हो रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में बड़े पैमाने पर आई.टी.आई. साक्षरता सुविधाएँ विस्तार के लिए हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन बनाई गई हैं। इसी प्रकार से सड़क एवं रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सड़क और रेलवे लाइनों का किसी भी प्रदेश की तरक्की और विकास में विशेष योगदान है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे शरीर में दिल धड़कता है उसी प्रकार सड़कें और रेलवे लाइन हमारे इस तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। हरियाणा सरकार ने रेलवे लाइन भी मंजूर करवाई है। आज हरियाणा प्रदेश में 4 लेन, 6 लेन में राष्ट्रीय मार्ग तथा जगह जगह फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बने हैं। स्पीकर सर, गुड़गांव, मानेसर, बावल के लिए एक अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल फ्रेट कोरीडोर की योजना बनाई है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे बन रहा है। स्पीकर सर, उस काम को और अधिक तेज करवाने की आवश्यकता है क्योंकि कई जगह रुकावट व समस्याएँ आ रही हैं, पता नहीं क्या मसला है। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि काम में तेजी लाने की जरूरत है जिससे सारे देश को काफी फायदा होगा। स्पीकर सर, रोहतक-हिसार राष्ट्रीय मार्ग को भी 6 लेन किया जा रहा है और मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से एक निवेदन और करूँगा। स्पीकर सर, मैं एक दो बार दादरी से नारनौल जाने वाले रास्ते से गुजरा हूँ। जो रास्ता नेशनल हाईवे नम्बर 8 में जाकर मिलता है उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। वह रेलवे फाटक हैं जो घंटों-घंटों तक बंद रह जाता था, उसके समाधान के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रगति की है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) वर्ष 2005 से पहले प्रदेश में सिर्फ 16 आर.ओ.बी. थे। आज हरियाणा प्रदेश में 32 आर.ओ.बी. पूरे हो चुके हैं तथा 37 आर.ओ.बी. बनाने का कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज ये लोग रोहतक के विकास की बात कहते हैं कि रोहतक शहर में इतने आर.ओ.बी. बना दिये। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ जो सदन से उठ कर चले गये हैं कि सिरसा शहर के अंदर आर.ओ.बी. किसने बनाया? सिरसा का बाईपास किसने बनाया? इनके भैता श्री ओम प्रकाश चौटाला छह साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहकर चले गए लेकिन उन्होंने अपने इलाके की कभी सुध नहीं ली। अपने इलाके की सुविधा के लिए भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो बस आपसी प्रतिद्वंदता तथा द्वेष की भावना के कारण एक-दूसरे पर मुकदमें बनाकर समय बर्बाद कर दिया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, समय बड़ा बलवान होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पायेगा। उन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे प्रदेश के लोगों की आत्माएं रो रहीं हैं। वर्ष 1990 के अंदर महम में जो चुनाव हुआ था, वह एक तरह से विधान सभा का आम चुनाव था। उसमें कोई पार्टी जीते या हारे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हार जीत लोगों के हाथ में होती है। जनता के साथ जिसका प्यार और भाईचारा होता है जनता सदा उसका साथ देती है। आज के समय में जनता को दबाकर कोई चीज अर्जित नहीं की जा सकती। जनता के ऊपर गोलियाँ चलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का प्रयोग भारतीय संविधान ने दिया है चाहे वह वोट का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो और अपना जो भी कार्य हो उसे करने का अधिकार हो। यह किसी की बपौती नहीं है। ऐसे में कोई व्यक्ति कहे कि मेरा बस चले तो मैं इन बनियों को वोट डालने नहीं दूंगा, इन ब्राह्मणों को वोट डालने नहीं दूंगा तथा इन हरिजनों का ईलाज बांध दूंगा लेकिन ऐसे लोगों का क्या हश्र हुआ ? जो व्यक्ति जनता के साथ विश्वासघात करते हैं और जनता को धोखा देते

हैं उनके साथ वहीं हश्र होता है जो विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ हुआ। सर, एक बड़ी बात मेरे सामने आई और मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इनैलो पार्टी के सदस्यों का एक पोस्टर मेरे हाथ लगा। जिसमें सरियों के पीछे तीन विभूतियाँ बैठी हैं जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी अपने कर्मों की बुनादी कर रहे हैं। असली खानदान के असली बेटों और पोतों का क्या यही फर्ज होता है कि वह अपने दादा का और अपने बाप का इस तरह का इश्तिहार छपा कर जनता के बीच बांटते और कहें कि हमारा दादा और बाप जेल में हैं ? यही तो मैं कहता हूँ कि यह सब संस्कारों की बात होती है। संस्कार ही खानदान को बनाते हैं, संस्कार ही किसी परिवार को आगे बढ़ाते हैं। परम्पराओं के अनुसार जिस प्रकार पुराने बुजुर्गों के साथ हमारी बातें होती हैं कि संस्कार ही खानदान को बनाने में, बच्चों को बनाने में, परिवार को ठीक रास्ते पर चलाने में, बहन-बेटियों को एक सही दिशा देने में सबसे ज्यादा काम करते हैं। संस्कारों की बदौलत ही चाहे किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो अगर संस्कार सही होंगे तो वह परिवार कभी मरता नहीं। ऐसे लोग संस्कारविहीन लोग हैं। इनको बोलना ही नहीं आता। देहात में पौली पर बैठकर तो इस तरह से बात की जा सकती है वहां भी कोई किसान या मजदूर तो इस तरह की बात कर दे लेकिन उस तरीके से यहां नहीं बोल सकते हैं। यहां जो रिप्रजेंटेशन है यहां जो लोग बैठे हैं ये अकेले नहीं है। इनके साथ लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इनको मान सम्मान से बात करने की आवश्यकता है। इनको कम से कम तू तू मैं मैं करके बात नहीं करनी चाहिए। आप कहकर बोलने में क्या जाता है लेकिन ये चीजें खून में होती हैं और उन्हीं का जुबान से उभार आता है। ज्यादा न कहते हुए अब मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली से गुड़गांव तक मैट्रो रेल का विस्तार हो चुका है। दिल्ली से फरीदाबाद और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मैट्रो के विस्तार के लिए शिलान्यास हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के गठन से लेकर 39 साल तक सिर्फ एक रेलवे लाइन बनी थी और हमारी सरकार बनने के बाद से यू.पी.ए. सरकार ने हरियाणा के लिए अब तक 6 रेलवे लाइनें मंजूर की हैं उनमें रिवाड़ी-रोहतक, सोनीपत-गोहाना-जींद रेलवे लाइन, रोहतक-हांसी रेलवे लाईन मंजूर हो चुकी हैं। 2013-14 के रेलवे बजट में हरियाणा के लिए तीन और रेलवे लाइन मंजूर हुई हैं जिनमें दिल्ली-सोहना नूंह-फिरोजपुर-झिरका-अलवर लाइन जो कि हमारा मेवात का इलाका है उसके लिए मंजूर हुई है दूसरी रेलवे लाईनें हिसार सिरसा होते हुए अग्रोहा-फतेहाबाद रेलवे लाइन मंजूर हुई है। कुछ लोग देश के उपप्रधानमंत्री रह कर चले गए, कुछ मुख्यमंत्री रह कर चले गए, तब भी क्या इन साथियों ने सोचा था कि प्रदेश की जनता की तरक्की और उन्नति के लिए रेलवे लाइन की बात की जाए। उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें इतनी ताकत थी कि मुंह से बात निकले तो वही पूरी हो चाहे तो चाम के सिक्के चला ले। मुंह से शब्द निकले तो कानून बनने की बात होती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके मुंह से एक शब्द निकल जाए और उसको कोई मोड़ दे लेकिन उनका लोगों के साथ कोई लगाव और जुड़ाव नहीं था। वे सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते थे और अपने बेटों को सब कुछ बांट गए। मुख्यमंत्री बनाना है तो अपने बेटे को बना दो चाहे देश या प्रदेश कहीं भी पिसता रहे, लुटता रहे। इसी प्रकार से यमुनानगर वाया सढौरा नारायणगढ़ रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। यह सभी कार्य हमारी सरकार ने किए हैं रेलवे लाइन बिछाने का काम रेलवे विभाग का है लेकिन वहां से कोई कमी आई या कोई बाधा आई तो हमारे शेर ने कहा कि इसके लिए आधा खर्च हमारी सरकार देगी लेकिन हमारे प्रदेश की जनता को पूरी सुविधाएं दो। यह पूरे हिंदुस्तान में एक

[श्री आनंद सिंह दांगी]

आदर्श की बात है। इसी तरह से जो शहरी विकास की बात है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आउटर कालोनियों के नियमित न होने की वजह से आती थी तथा हम उनमें विकास के काम नहीं कर पाते थे। सरकार ने बड़ी ही सदभावना के साथ आउटर कालोनीज को नियमित करने का कार्य किया है। जबकि उन आउटर कालोनियों के लोग हमें वोट भी देते हैं पानी का टैक्स भी देते हैं। बिजली का टैक्स भी देते हैं लेकिन इस सबके बावजूद भी हम उनके यहां के रास्ते और सड़कें नहीं बना सकते थे अब उन कालोनियों के नियमित हो जाने से यह सारे का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। यह एक बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति में बढ़ौतरी की है और हर गांव को शहर के हिसाब से विकसित करने की योजना कार्यान्वित हो रही है। आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जैसे जनप्रतिनिधि यदि इंट्रस्ट न लें तो अलग बात है लेकिन यदि हम इंट्रस्ट लें तो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से गांव के विकास के लिए गलियों के लिए, नालियों के निर्माण के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और मैं यह भी कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कोई ढाणी, कोई गांव या कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिल सकता है जहां पर सरकार की तरफ से एच.आर.डी.एफ. या एम.पी.लैड स्कीम में या डी प्लान के तहत कोई भी छोटा या बड़ा काम न हुआ हो, यह एक रिकार्ड की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी जो बहुत गरीब जनता है उसके लिए मकान बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज मंहगाई के जमाने में जो बहुत मुश्किल बात हैं लेकिन सरकार ने जो कम लागत के मकान बनाकर गरीब लोगों को देने की बात की हैं उसके तहत 125000 लोगों को आवासीय ईकाई उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार से प्रदेश के लगभग 385000 गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार से सस्ती ग्रामीण आवास स्कीम 'प्रियदर्शनी आवास योजना' शुरू की है इस स्कीम के तहत एक गरीब ग्रामीण परिवार को मकान बनाने और शौचालय सुविधाओं के लिए 91000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही हैं और वर्ष 2013-2014 और वर्ष 2014-15 में दो लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के आवास बनाने की योजना है जिसमें कुछ तो मकान बन चुके हैं और कुछ पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों के 10.36 लाख परिवारों को मुफ्त पानी के कनैक्शन और 200 लीटर की टंकिया दी जानी हैं इस स्कीम का 10.16 लाख अनुसूचित जातियों के परिवारों को लाभ हो चुका है और शेष परिवारों को भी मार्च, 2014 तक यह सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावना है। इसी प्रकार से मनरेगा जो बहुत बढ़िया स्कीम है जिसमें आम के आम और गुठली के दाम हैं इस स्कीम के तहत अगर हम काम करना चाहते हैं तो इतनी बढ़िया स्कीम है जिससे गाँव का विकास होता है और जो गाँव की हमारी गलियां हैं उनमें मिट्टी डालने का काम हो या इसी प्रकार के दूसरे कार्य हैं उनको करने के लिए मनरेगा स्कीम जो देश में सबसे बढ़िया स्कीम हैं उस स्कीम के तहत हमारी सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा 214 रुपये की मजदूरी प्रति दिन के हिसाब से देने का काम किया है जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में यह 184 रुपये है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं। हमारी सरकार ने मेडिकल कालेज, अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश भर में खोले हैं। रोहतक मेडिकल कालेज पी.जी.आई. को हैल्थ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में 4 नये मेडिकल कालेज खोले गये हैं क्या कभी किसी ने यह सोचा

था क्योंकि वर्ष 1966 में जब हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था उस समय हरियाणा में केवल एक मात्र मेडिकल कालेज रोहतक पी.जी.आई. होता था दूसरा कोई मेडिकल कालेज नहीं था लेकिन आज हर इलाके की जरूरत को देखते हुए खानपुर महिला मेडिकल कालेज, गोहाना में खोला गया है, झज्जर में बाढ़सा में आल इण्डिया इंन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंसिज की दूसरी यूनिट खोली गई है और उसकी ओ.पी.डी. का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार से करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कालेज खोला गया है। फरवरी 2005 में प्रदेश में 49 अस्पताल थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 56 हो गयी है। इसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो 72 थे वे बढ़कर 109 हो गये हैं और प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़कर 467 हो गई है। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त दवाई दी जा रही हैं आज तक किसी भी सरकार ने इलाज के लिए गरीब लोगों को मुफ्त दवाई देने की घोषणा नहीं की थी। आज हमारी सरकार की तरफ से प्रदेश के हर नागरिक को इलाज के लिए मुफ्त दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए डैडीकेटिड फण्ड भी स्थापित किया गया है। सप्ताह के सातों दिनों में 24 घण्टे एम्बुलैंस की सेवा उपलब्ध है कहीं पर भी आप 102 नम्बर घुमायें तो 15 मिनट में आपको एम्बुलैंस की सेवा उपलब्ध हो जाती है। गर्भवती महिला या नव जात शिशु के लिए एम्बुलैंस की सुविधा दिया जाना जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से छोटी सी अवधि में हैल्थ इंडीकेटर संबंधी सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आने वाले समय में इसके बेहतरीन परिणाम सामने आयेंगे। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा की बात है। जो यू.पी.ए. सरकार का सपना साकार करने के लिए है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है, इस अध्यादेश के लिए यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह जी बधाई के पात्र हैं। यह जो योजना बनाई गई है इसके तहत जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है था जो एजैंडा बनाया गया है उसमें चाहे कोई किसान है, चाहे मजदूर है, दस्तकार है, चाहे कर्मचारी है उसको 3 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो मोटा अनाज देने की योजना के साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने दाल रोटी योजना शुरू की है जिसमें ढाई किलो दाल भी साथ देने का प्रोवीजन किया गया है। जिस दाल का भाव 100-125 रुपये किलो तक का है उसको 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारी सरकार ने गरीब लोगों को दिया है। यह दाल रोटी स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि परिवार की सबसे बड़ी महिला जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो उसको खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए घर का मुखिया माना जाए। इसी तरह बहुत सी योजनाएं हमारी भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं। 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को पका हुआ पौष्टिक खाना आंगनवाड़ियों के माध्यम से देने का प्रोवीजन किया गया है। 14 साल तक के गरीब बच्चों को मिड डे मील की योजना के तहत पौष्टिक भोजन मुहैया करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से जनसेवा का काम है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा किसी भी समाज और राज्य की तरक्की का एक मूल आधार होती है इसलिए हमारी सरकार ने शिक्षा के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए इसको सुदृढ़ करने का काम किया है इसलिए आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा एजूकेशन के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी शाई में स्थापित किया गया है। खानपुर कलां में महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, महेन्द्रगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, रोहतक में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

[श्री आनंद सिंह दांगी]

हिसार में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में आई.आई.एम., गुड़गांव में नैशनल डिफैंस यूनीवर्सिटी बन रही है। सोनीपत में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी स्थापित हो रही है। इसके पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा एजूकेशनल सैंटर होगा। इसमें 25 प्रतिशत सीटें हमारे हरियाणा के बच्चों को मिलेंगी। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये हमारे विपक्ष के साथी यहां नहीं बैठे है, इनके राज में इन्होंने सिरसा में चौधरी देवीलाल नाम से एक यूनीवर्सिटी बनाई थी। उसमें केवल 4 कमरे बनाकर खड़े कर दिए थे और उससे आगे ये नहीं बढ़े क्योंकि इनका काम स्वार्थ की राजनीति करना है। आज भी ये कोई प्रोग्राम करते हैं, कहीं भी आगे चलते हैं तो सबसे पहले चौधरी देवी लाल की फोटो लगा लेते हैं और उसके बाद सारा कुनबा आ जाता है। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे भाई हैं, साथी हैं जो उनके साथ लगे हैं ये उनको लूटने का काम करते हैं। एक एक हल्के में इन्होंने 20-20 को थापी मार रखी है कि बेटा इबकी बार टिकट तेरे को देंगें। हमारे इलाके में, करनाल और पानीपत में, गोहाना में अब की बार गन्ने का सीजन है। हमारे बहुत से नौजवान गन्ना मिल में डालते हैं और पेमैंट लेकर आते हैं और इन महारथियों को सौंप देते हैं कि लो जी, इस बार टिकट मुझे दे देना। धान और गेहूं के मौसम में भी इस तरह की बात करते हैं यानी इन्होंने एक एजैंडा बना रखा है। जिस इलाके में जिस फसल का उत्पादन होता है उस इलाके में रैलियां करते हैं, जलसे करते हैं व लोग बावले होकर इनके पीछे लगे रहते हैं। इस प्रदेश को इन्होंने एक सिस्टैमिटक तरीके से लूटने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके घर में कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है या कोई व्यापार करता है क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि इनके पास एक टूटी कार हुआ करती थी और दूसरी गाड़ी घर में नहीं होती थी लेकिन आज उनके परिवार के जो सदस्य पौतड़े में हैं वे भी मर्सीडीज में चलते हैं। इन लोगों ने जनता की खून-पसीने की कमाई को चूसकर प्रदेश को बरबाद करने का काम किया है। ये लोग जहां कहीं भी जाते हैं एकजुट होकर चले जाते हैं और हकीकत यह है कि प्रदेश की जनता में इनका कुछ भी नहीं है, यह बिलकुल क्लीयर बात है। यदि हम सब भी एकजुट होकर चलें तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह के कार्य हमारी सरकार ने प्रदेश में किए हैं वे जनहित में हैं। तकनीकी शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि तकनीकी संस्थाओं में 1.21 लाख सीटों की बढ़ौतरी की गई है। कुछ सालों पहले हमारे प्रदेश के बच्चे टैक्नीकल डिग्रियां लेने के लिए साऊथ के प्रदेशों में जाते थे और उस समय गरीब बच्चों के बस की बात टैक्नीकल शिक्षा लेनी नहीं होती थी क्योंकि वहां पर लाखों रुपये की डोनेशन एडमिशंज में ली जाती थी तब जाकर कुछ बच्चों को टैक्नीकल शिक्षा मिल पाती थी। हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने टैक्नीकल शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया और उसी का नतीजा है कि आज सभी वर्गों के बच्चों को अपने घर के नजदीक ही टैक्नीकल शिक्षा मिल जाती है जिससे वे अपने घर की रोटी खाकर अच्छी पढ़ाई करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे प्रदेश की लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश के खानपुर कलां में भगत फूल सिंह के नाम से महिला विश्वविद्यालय खोला गया है, तथा इसमें एक महिला मैडीकल कालेज भी खोला गया है जो पूरे देश में अलग से महिला मैडीकल कालेज कहलाता है। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को मुफ्त किताबें, वर्दी, वजीफा, प्रतिभाशाली लड़कियों को सम्मान व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अहम कदम सरकार ने उठाये हैं। हमारे

प्रदेश में लड़कियों से किसी भी आई.टी.आई., स्कूल, कालेज या टैक्नीकल संस्थाओं में फीस नहीं ली जाती है ताकि वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दूसरों की बहन-बेटियों को अपनी बहन-बेटी मानकर उन्हें अच्छी शिक्षा देने की योजनाएं तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा लेने के लिए बच्चों को शिक्षा ऋण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें इसमें 5 प्रतिशत की सबसिडी भी दी जाती है। इसी तरह से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आई.टी.आईज. में प्रवेश के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण और पोलिटैक्निक कालेजिज में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसी तरह से जो सरकारी अध्यापक, लैकचरर थानी कि सभी टीचर्स की भर्ती में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारी सरकार ने उन बहन-बेटियों की तरफ ध्यान देते हुए जो साधन-सम्पन्न न होने के कारण या दूसरी किसी मजबूरी के कारण उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं निकल पाती थीं प्रदेश में ही शिक्षा की हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं जोकि बहुत सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से महिलाओं की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने लाडली सामाजिक पुरस्कार योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सबसे पहले प्रदेश में चलाई है ताकि प्रदेश में लिंग अनुपात सुधर सके। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि घर में लड़की है तो सब कुछ है। हम सभी सदस्य सदन में बैठे हैं, हमारी माताओं ने भी एक कन्या के रूप में जन्म लिया था और बड़ी होकर हमारे पिताओं के घर में आकर हमें पैदा किया। आज कोई यदि भ्रूण हत्या की बात करता है और कोशिश करता है कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह समाज के साथ और इस वर्ग के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। यदि लड़की है तो सब कुछ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से परिवार में दूसरी लड़की के जन्म पर उसके लिए पांच वर्ष तक की अवधि तक पांच हज़ार रुपये प्रति वर्ष देने का जो कार्य सरकार ने किया है इससे उसके लालन-पालन का बोझ परिवार के ऊपर किसी प्रकार से न होकर पूरी तरह से सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है सरकार का यह बहुत सराहनीय काम है। इसके अलावा जिन परिवारों में सिर्फ लड़कियां ही हैं उन परिवारों के लिए हमारी सरकार ने लाडली पैंशन योजना नामक स्कीम की शुरूआत करके बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे माता-पिता में से जो आयु में बड़ा होगा 60 वर्ष की बजाये 45 वर्ष की आयु से उसकी पैंशन कर दी जायेगी। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसके तहत बी.पी.एल. और दूसरे गरीब भाईयों को उनकी लड़की की शादी के लिए 31000 रूपय की अनुदान राशि कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर कोई ज्यादा दिखावा न करना चाहे जैसे आज एक सिस्टम बना हुआ है कि चुनरी ओढ़ा कर अपनी लड़की की विदाई कर दें तो इतनी राशि से एक गरीब आदमी बड़ी आसानी से अपनी लड़की के हाथ पीले करके उसके नये जीवन की शुरूआत करवा सकता है और अगर कोई अनावश्यक खर्च करना चाहे तो उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अपनी लड़की के हाथ पीले करके उसके जीवन को आगे बढ़ाना चाहे तो यह 31000 रुपये की राशि गरीब भाईयों के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जो दूसरी बिरादरियों के गरीब भाई हैं उनकी लड़की की शादी के लिए सरकार की तरफ से अनुदान स्वरूप 11000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रदेश की जनता पर और अपनी सरकार पर भी पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमण्डल ने हम सभी के

[श्री आनंद सिंह डांगी]

सहयोग से हर किसी के लिए हर जन के लिए, हर जीव के लिए जो कल्याणकारी योजनायें देकर इस प्रदेश को विकास और तरक्की के नये आयाम प्रत्येक क्षेत्र में दिये हैं और प्रदेश के नवनिर्माण की तस्वीर पूरे हिन्दुस्तान के समक्ष प्रस्तुत की है उससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की चूक न करते हुए प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देगी और इस प्रदेश को स्वार्थी लोगों से बचाकर रखेगी क्योंकि इन स्वार्थी लोगों ने कभी भी प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं की। यहां पर जो अपनी और अपने इलाके की बात कहने का और अपने हल्के की समस्याओं को रखने का एक विशेष प्लेटफार्म है जिनको हम सरकार के ध्यान में लाकर उनका समाधान करवा सकते हैं वह कार्य करके हम अपनी जनता को सहूलियतें दे सकते हैं लेकिन यहां पर आकर हम उन बातों को न कहकर, लोगों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में न लाकर एक झूठी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करें तो यह गलत है। बाहर जाकर कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन यहां पर एक बंदिश है क्योंकि यहां पर यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाये और यदि प्रवेश किया जाये तो यहां पर स्पष्ट और सच बात कही जाये क्योंकि यहां पर न बोलने से और असत्य बात बोलने से दोनों परिस्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है लेकिन विपक्ष के साथियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे आलरेडी पापी हैं व आलरेडी जुल्मी है। इन्होंने प्रजातंत्र का हनन किया है, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लोगों के साथ धोखा किया है ऐसे लोग इस प्रकार की बातों को समझने के ही लायक नहीं हैं लेकिन यहां पर ये बातें नहीं हो सकती क्योंकि इस सदन में तो सारी की सारी बातें तथ्यों के आधार पर और सच्चाई के आधार पर ही कहनी पड़ेंगी। सदन से बाहर खुले मैदान में चाहे कोई कुछ भी क्यों न बोलता रहे कि फौजी ने यह कर दिया, फौजी ने करोड़ों रुपये हड़प लिये, बहन जी ने यह कर दिया, मानस मरवा दिये। ये जनता के बीच में जाकर कुछ भी कहें वहां कोई बंदिश नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको यह सब बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। इन लोगों में इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति या कोई करैक्टर नहीं है क्योंकि इस प्रकार के लोगों ने इस प्रदेश को लूटने और बर्बाद करने का ही कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो महामहिम महोदय ने सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यों का, जो कार्य किये गये और जो कार्य किये जा रहे हैं जो कुछ भी हमारी सरकार ने अपने प्रदेश और लोगों के विकास और तरक्की के लिए किया है उसकी एक सही तस्वीर इस सदन में प्रस्तुत की और उनकी इस प्रस्तुति के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का अति धन्यवादी हूं। इसके साथ ही मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि हम इन सब बातों पर मिलजुल करके, प्यार प्रेम के साथ, एकजुटता के साथ अपने प्रदेश को इसके विकास के लिए इसकी तरक्की के लिए, इसके भाई चारे के लिए, इसकी विभूति के लिए, इसके प्यार प्रेम के लिए पूर्णतया एकजुट होकर कार्य करें ताकि जो जिम्मेदारी हमें लोगों ने सौंपी है और जो लोगों के दिलों में हमारे प्रति भावनायें हैं उनको हम अपने मन और आत्मा में पिरो करके याद रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते हुए इस प्रदेश को हर प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। डिप्टी स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुन: धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (पंचकूला): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत

धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो वकतव्य सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो बातें अपने अभिभाषण में कही हैं वे हरियाणा प्रदेश की तथा हमारी सरकार की उपलब्धियाँ दर्शाती हैं। उस अभिभाषण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे मुख्य मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए कितने कार्य किये हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस तरह से कार्य किया है कि हमारी हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। उनके शासन काल में हरियाणा ने हर स्तर के लोगों के उत्थान में कामयाबी प्राप्त की है। कमजोर वर्ग की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष तवज्जो दी है ताकि हमारे कमजोर वर्ग का उत्थान हो और वह अपनी तरक्की और विकास के पूरे अवसर प्राप्त कर सके तथा समाज में समानता आ सके। इसी लक्ष्य के साथ हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए इतनी ज्यादा नीतियाँ बनाई हैं ताकि इस समाज में जागृति पैदा हो तथा उन्हें तरक्की और विकास का समान अवसर मिले। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से अगर शिक्षा की बात की जाये तो मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि आज हमारा हरियाणा ऐजूकेशन का हब बन कर उभर रहा है। शिक्षा के स्तर पर जो-जो नये प्रावधान आये हैं वे अपने-आप में न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा उदाहरण हैं। अगर हम अपने स्कूलों की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहली से दसवीं तक के बच्चों के लिए वजीफे का प्रावधान कर रखा है जिसके तहत 12 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इस तरह की सोच रखने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में अक्षम होने के कारण पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा से हटा लेते थे आज उन्हीं परिवारों के बच्चे स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और उनको किताबें तथा वर्दी भी मुफ्त मिलती हैं। उनको खाने की सुविधा भी मिलती है और साथ ही साथ उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है जिससे उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हुआ है। उनको आर्थिक मदद मिली है तथा उनकी सोच में परिवर्तन आया है। यह सोच माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन बच्चों के लिए रखी है जो इस देश का भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह से अगर विद्यालयों की बात की जाये तो 100 नये विद्यालयों को वोकेशनल एजुकेशन में शामिल किया गया है तथा 3122 विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर टीचरों का प्रबन्ध किया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज गुड़गांव में देश की पहली डिफैंस यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है जो अपने आप में गौरव की बात है। इसी तरह से झज्जर और रोहतक में आई.आई.टी. दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किये गये हैं। पंचकुला में भी राष्ट्रीय फैशन टैक्नॉलोजी संस्थान स्थापित किया जा रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्य के लिए 10 एकड़ जमीन मुफ्त तथा 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान स्थापित किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 39 हो गई है जिनमें से 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। सोनीपत के अन्दर भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखी है जिससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए दूसरी स्टेट्स में जाया करते थे, विदेशों में पढ़ने के लिए जाया करते थे, उन्हें अपने ही हरियाणा के अन्दर हर तरह से शिक्षा प्राप्त करने का हर मौका मिलेगा हर सार्थक साधन मिलेंगे और आने वाले समय में न केवल दूसरी स्टेट्स से बल्कि विदेशों तक के विद्यार्थी हमारे

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

हरियाणा के अन्दर पढ़ने के लिए आएंगे। हमारे हरियाणा ने एजुकेशन के स्तर पर इतनी बड़ी प्रगति और विकास प्राप्त किया है। वास्तविकता तो अब यही है कि हर राज्य के लिए, हर इलाके के लिए , हर देश के लिए जो प्रगति और विकास होता है उसका सबसे पहला आधार शिक्षा को माना जाता है। जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, जो कल के हमारे देश के कर्णधार हैं अगर वह पूरी तरह से शिक्षित होंगे तो वह हमारे प्रदेश को हर तरह से विकास और प्रगति की तरफ अग्रसर करने में सक्षम होंगे। अब हमने वह शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिया है और आने वाले समय के लिए भी हम पूरी तरह से जागरूक हैं। इसके साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कई ऐसे सार्थक कदम उठाए हैं जो अपने आप में एक आधार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह एक सोच रही है कि हम कमजोर वर्ग को सामान्य वर्ग के समान लेकर आएं। यह बात सोचकर उन्होंने हमारे बुजुर्गों के, विधवाओं के सम्मान को ध्यान में रखकर उनकी पैंशन बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी है। इसी के साथ-साथ हमारे कमजोर वर्ग के लगभग चार लाख परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए हैं। जिस परिवार में एक स्वप्न था कि हमें एक प्लॉट मिले हमें जिन्दगी गुजर करने के लिए एक जगह मिले उनके स्वप्नों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार किया है। इन चार लाख परिवारों के आजीवन में जो परिवर्तन आया है उसके लिए और हमारे पंचकुला में कमजोर वर्ग के लोग झुगियों में रहते थे, आजाद कालोनी में मातुराम कालोनी में रहते थे उन लोगों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1961 परिवारों को दो-दो कमरे के फ्लैट दिए हैं जिनमें 24 घण्टे पानी 24 घण्टे बिजली मिलती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा सदन के समक्ष यह बात कहने का मकसद यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल जुबानी मात्र भी जो कार्य कहा उस कार्य को भी पूरा करके दिखाया है। मैंने लोगों के दिल की बात सदन के समक्ष रखी है। तकरीबन चार लाख लोगों को प्लॉट दिए गये जिनकी रजिस्ट्रियाँ भी करा दी गई हैं। यह एक नेक कार्य हमारे जनता-दिली माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ-साथ हमारे गांव के अन्दर जो लोग चौकीदार का काम करते थे उनके मानदेय को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये तक बढ़ाया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे हरियाणा को और ज्यादा प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए 65 हजार नौकरियों को भरने का प्रावधान किया जिसमें विशेष तौर पर हमारे एस.सी. और बी.सी. कैटेगरी के 15 हजार 41 लोगों को भी नौकरियाँ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और हमारे नौजवानों को एक नया आयाम मिलेगा। हम अपने हरियाणा की कृषि की बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है यह बात कहते हुए कि 2012-13 में हमारा हरियाणा धान्य और गेहूँ के उत्पादन में पूरे भारत में अव्वल रहा है जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दो बार प्रसंशनीय पुरस्कार दिया गया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों और कृषि की तरफ विशेष ध्यान करते हुए यह योजना स्थापित की है कि हमारे किसानो को पूरी सुविधाएं मिलें, उनको कम दर पर ऋण मिलें, उनको अपनी फसल पैदा करने के सारे सक्षम साधन मिलें। उनका कहना है कि हमारा किसान भूमि का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है उनकी सुविधाओं के लिए सन् 2013-14 में 523 करोड़ रूपयों का प्रावधान रखा है। यह प्रावधान पिछले साल से तकरीबन 47 प्रतिशत ज्यादा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए विशेष सोच रखकर तरह तरह की ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे हमारे किसानों को लाभ मिले। हमारे

किसानों में सक्षमता पैदा हो। हमारा हरियाणा जो कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश की प्रगति और विकास में सहायक है इसलिए किसानों को भी पूरी तरह से लाभ हो, यही कारण है कि जो अब की बार गन्ने के रेट दिए हैं वह 300 रुपये, 295 रुपये और 290 रुपये यह रेट अलग - अलग किस्म के दिए हैं। यह गन्ने का रेट भी पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा है। डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं "फूड सिक्योरिटी बिल्ज के संबंध में सदन में अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा प्रदेश "फूड सिक्योरिटी बिल" को लागू करने वाला पूरे भारत वर्ष का पहला राज्य बन गया है। इस बिल के तहत वर्ष 2013 में 54 लाख तथा वर्ष 2014 में 1 करोड़ 26 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जायेगा। "फूड सिक्योरिटी बिल" के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो गेहूँ उपलब्ध करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री जी की यह भरपूर कोशिश रही है कि कमजोर वर्गों का उत्थान हो तथा उन्हें समाज में संघर्ष व उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त हों। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हरियाणा प्रदेश में "फूड सिक्योरिटी बिल" को पूरी तरह से लागू किया है। जिन गरीब लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ मिल सकती है उन्हें आज इस "फूड सिक्योरिटी बिल" के तहत सुचारू रूप से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ मुहैया करवाया जा रहा है। इस तरह के नेक काम के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच न सिर्फ गरीब लोगों को प्लॉट्स उपलब्ध करवाने तक या फिर "फूड सिक्योरिटी बिल" के तहत गरीब परिवारों को सस्ते रेट्स पर गेहूँ मुहैया करवाने तक सीमित है बल्कि ग्रामों के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हमारे प्रदेश में जो "प्रियदर्शनी आवास योजना" चलाई जा रही है, उसके तहत 90 हजार रुपये से ज्यादा की राशि का प्रावधान मकान और शौचालय के निर्माण के लिए रखा गया है। हमारे प्रदेश में ग्रामों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन ग्रामीण भाईयों के उत्थान के लिए तथा इनके जीवन में नये आयाम स्थापित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत दो किस्तें क्रमशः लगभग 75 हजार रुपये तथा लगभग 33 हजार रुपये की ग्रामीण भाईयों को दी जा चुकी है। इस के साथ ही साथ गांवों के सुधारीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तकरीबन 10 हजार से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी रखे गये हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सफाई कर्मचारियों व मजदूरों का जो मानदेय है वह 4800 रुपये से बढ़ाकर 8100 रुपये कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों व मजदूरों के लिए इतना ज्यादा मानदेय हरियाणा प्रदेश को छोड़कर हिंदुस्तान के दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं किया गया है। इस सबके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत वर्ष की जनसंख्या के मुकाबले लगभग दो प्रतिशत है। इसके बावजूद भी हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए न केवल भारत वर्ष में बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी की खेल से संबंधित कितनी ही ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण हमारे खिलाड़ियों को पूरी तरह से प्रोत्साहन मिला है। चाहे "स्पैट" (SPAT) की बात हो, चाहे "गुरू द्रोणाचार्य अवार्ड" की बात हो चाहे "पदक लाओ और पद पाओ" योजना की बात हो, इस तरह की योजनाओं ने हमारे

18.00 बजे

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

खिलाड़ियों के अन्दर एक उत्साह भर दिया है। प्रदेश के नौजवानों के लिए अलग-अलग गांवों में बनाये गये खेल स्टेडियम्ज से भी हमारे खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन व हौंसला मिला है। मुख्यमंत्री जी की इन्हीं नीतियों की वजह से हरियाणा प्रदेश का नाम हमारे खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब यह घोषणा की है कि ओलम्पिक गेम्ज में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी को प्रथम श्रेणी की नौकरी प्रदान की जायेगी और रजत तथा कास्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को व ऐशियाड खेल व राष्ट्र मंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को द्वितीय श्रेणी की नौकरी प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए कुछ अन्य प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है। इनका सुफल यह सामने आया है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के मन में, खेल के क्षेत्र में, हरियाणा का नाम न केवल भारत वर्ष में बल्कि पूरे विश्व में रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ी सोच बन गई है। डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं हैल्थ पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरियाणा प्रदेश में चलाई जा रही "मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना" पूरे भारत वर्ष में अपनी ही तरह की पहली और एक अनूठी योजना है। इस योजना के तहत हर तरह की दवाई, हर तरह की सर्जरी और यहां तक की ट्रांस्पोरटेशन यानी एंबुलेंस की सुविधा भी मुफ्त रखने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों की महिलाओं तथा बेटियों को बहुत लाभ पहुंचा है। इस योजना के फलस्वरूप आज हमारे हॉस्पिटल्ज में ओ.पी.डीज. में इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या एक करोड़ तथा इंडोर में इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या 15 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है। हरियाणा प्रदेश में "मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना" के तहत बहुत ज्यादा सुविधायें लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इस योजना के तहत पेशैंट्स को दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। पेशैंट्स की सर्जरी व ट्रीटमैंट भी मुफ्त किया जाता है। इतना बड़ा प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्कीम द्वारा किया है वह हमारे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए यह एक बड़ा आयाम है। इस साल भी तकरीबन 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत-बहुत आभारी हैं। जब हम पब्लिक हैल्थ की बात करते हैं तो हमारे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो कदम हरियाणा सरकार ने उठाये हैं उनमें से एक कदम ऐसा है जिसके तहत हमारे कमजोर वर्गों के लोगों को हमारे एस.सी. समाज के लोगों को और बी.सी. समाज के लोगों को, पानी के टैंक और इसके साथ-साथ पानी के कनेक्शन आदि मुफ्त दिये गये हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों को यह सुविधाएं दी गई हैं ताकि इन लोगों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े, जैसे कि पानी को स्टोर करने की सुविधाएँ हैं, इतनी बड़ी तादाद में 10 लाख से ज्यादा परिवारों को ये सुविधाएँ दी गई हैं। इसी के साथ-साथ जैसे मैंने अभी सदन के सम्मुख रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि कमजोर वर्गों का उत्थान हो। इसी बात को आधार मानते हुये 'इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' के तहत हमारे एस.सी. समाज की बेटियों की शादी के लिए 31 हजार रुपये का और दूसरी जाति की बेटियों के लिए 11 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर्स भी हैं। उनके उत्थान के लिए भी हरियाणा सरकार ने अहम कदम उठाये हैं, वे बहुत अधिक मेहनत करती हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य पहला ऐसा स्टेट है, जिसमें इनका मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया गया है। पूरे भारतवर्ष में आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय हमारे हरियाणा

में नम्बर वन पर है। उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ-साथ आंगनबाड़ी हैल्पर का भी मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सोच रखते हुये यह कार्य किया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स की रिटायरमैंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है ताकि हमारे कमजोर वर्ग के लोग जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, वे भी अच्छी तरह से अपना परिवार चला सकें और सक्षम रूप से कार्य कर सकें। इनको इतना मानदेय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है और जैसा कि मैंने सदन में अभी बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने न केवल एक कमजोर वर्ग के लिए, न केवल मध्यम वर्ग के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए हर तरह से कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी की सबसे ज्यादा एमाउंट दी जाती है। इन्डस्ट्री के उत्थान की बात करते हैं तो सन् 2005 से लेकर अब तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो पूरे विश्व में और यहां तक कि भारतवर्ष मे भी रिसैशन होने के बावजूद भी सन् 2005 से अब तक हरियाणा प्रदेश में करीबन 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का फॉरेन निवेश हुआ है। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ जैसे योकोहामा आटोमोटिव व लोटा जैसी कम्पनियों ने हमारे हरियाणा में इन्वेस्टमैंट की है हमारा एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रही है। फॉरेन करैंसी जो हमारे हरियाणा प्रदेश में प्राप्त हो रही है वह लगातार बढ़ रहा है। 2011-2012 के अंदर तकरीबन 55 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट था, जो इस साल में तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में चल रहे उद्योगों तथा वहां से कितना एक्सपोर्ट होता है उस पर निर्भर करती है उससे स्पष्ट होता है कि वह अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। हमारा एक्सपोर्ट भी इस बात को स्पष्ट करता है कि हरियाणा प्रदेश में उद्योग पूरी तरह से प्रगति और विकास की तरफ है। हमारे उद्योगों में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे उद्योगों में नई तकनीक आ रही है, और हमारे उद्योगों की तकनीक आज इन्टरनेशनल लेवल को मात दे रही है। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी इन्टरनेशनल मार्किट्स में हमारे प्रोडक्ट्स को तवज्जो मिलेगी और उसी के साथ ही साथ देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जिससे न केवल हमारा देश प्रगति करेगा, बल्कि हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था भी और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगी। अब मैं शहरी विकास से सम्बन्धित विषय पर अपने विचार रखना चाहूँगा, मुझे यह बात कहते हुये बड़ी खुशी हो रही है कि जिन लोगों का लम्बे समय से शहरों में रहने का सपना था, वे शहरों में गाँवों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे जिन कॉलोनियों में वे रहते थे, उनमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं थीं, उनके पास सड़कें, गलियाँ, लाइटें और पानी आदि की सुविधाएँ नहीं थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी बातों पर गौर किया, 875 अनअथॉराइज्ड कॉलोनियों को रैगुलराइज कर दिया लाखों लोगों के परिवारों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है। जिन लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, अब उन सभी को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। एक नया आयाम उनके जीवन में आयेगा। हरियाणा प्रदेश को और ज्यादा प्रगति और विकास की तरफ पहुँचने का नया आयाम मिला है, इसलिए मैं अपनी तरफ से ही नहीं बल्कि हरियाणा की जनता की तरफ से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से लाखों गरीब परिवारों का जीवन बदला है उनके दैनिक जीवन में बदलाव आया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान और प्लाट दिये है। जो कमजोर वर्ग के लोग सड़कों के किनारे बैठ करके अपना सामान बेचते थे, जिन्हें हम रेहड़ी फड़ी वाले बोलते थे, जिससे वे अपनी आजीविका

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

चलाते थे। उन्हें हर वक्त यह डर लगा रहता था कि आज हमारी रेहड़ी पता नहीं कौन उठा कर ले जायेगा ? आज हमारी फड़ी पता नहीं कौन उठा कर ले जायेगा ? जिनके दैनिक जीवन में तरह-तरह की दिक्कतें आती थीं और इतनी मेहनत करने के बाद और यही डर लगा रहता था कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उनके लिए एक नया फैसला लिया है जिसके अनुसार उनको सुचारू रूप से जगह दी जायेगी। आज रेहड़ी वाले हैं उनको एक निश्चित जगह दी जायेगी जहां वे उनका जो छोटा सा व्यापार है, उसको चला सकेंगे। इससे उनके जीवन में एक नया समावेश आयेगा। उन्हें अपना कार्य करने का एक आधार मिलेगा और कार्य करने का उनके जीवन में और ज्यादा तरक्की और विकास करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए हरियाणा का हर कमजोर वर्ग जिन्हें यह सुविधा मिलने जा रही है वह माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा आभारी रहेगा। यहां तक छोटे दुकानदार और खोखे वाले जिनकी दुकानों में आग लग गई, जिनके खोखे में आग लग गई और जिनके खोखे बाढ़ के कारण पानी में बह गये उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उन लोगों के लिए जो छोटी-छोटी दुकान चलाते हैं या छोटे-छोटे खोखे चलाते हैं उनके लिए पांच लाख रुपये कम्पनसेशन देने का प्रावधान किया है, जिससे उनके जीवन में एक उम्मीद पैदा हुई है कि यह सरकार ही उनका सहारा है। कोई लूटपाट हो जाती है, कोई आग लगने की बात हो जाती है तो उनका एक स्थान बना रहेगा उसके लिए उनको कम्पनसेशन भी दिया जायेगा। इसी तरह खेतों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यह प्रावधान हमारी सरकार ने किया है कि अगर खेत में काम करते समय किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो उसको भी कम्पनसेशन मिलता है। जहां तक गरीब लोगों के मकान बनाने की बात है, केवल मात्र ग्रामीण इलाके में नहीं बल्कि हमारे शहरी इलाके में भी मकान बनाने का प्रावधान भी हमारी सरकार द्वारा किया गया है। शहरों के अंदर तकरीबन डेढ लाख मकान बनाने का प्रावधान किया गया है। जो कमजोर वर्ग के तबके हैं उनके जीवन को एक नया आयाम देने के लिए एक नई सोच उनमें बनाने के लिए तकरीबन 32 हजार मकानों को बनाने का कार्य शुरू भी हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सदन में बताया कि उन 32 हजार मकानों के अंदर हमारा पंचकुला भी शामिल है। जहां पर हमने 1961 मकान बनाकर गरीब लोगों को कब्जा भी दे दिया है। ऐसे मकानों के अंदर 24 घंटे बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी। इसी तरह से जो हमारे डिफैंस परसोनल हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी या देश की आजादी के लिए अपने जीवन का एक लम्बा समय गुजारा है। जिन्होंने अपनी जिन्दगी का एक लम्बा हिस्सा देश को दिया है। उनके लिए भी cash amount to gallantry award देने का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन सैक्रीफाइस किया है, उनके लिए जो भी हेयरस (Heirs) हैं उनको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हमारे उन सोल्जर के लिए 50 हजार से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिज़ बनाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार ने महिलाओं को विशेष अधिकार और विशेष सम्मान दिया है। जब भी किसी मकान की रजिस्ट्री किसी महिला के नाम होती है तो उसका रेट कम रखने का प्रावधान किया गया है। चाहे कोई मकान की परचेज करने वाली बात हो, चाहे सरकार के किसी नये कंसैप्ट की बात हो। इन सारी

चीजों के लिए हमारी सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है ताकि हमारी महिलाओं को एक विशेष अधिकार मिले सके। जब भ्रूण हत्या की बात आई उस समय हरियाणा पहला राज्य था जिसने भ्रूण हत्या को खत्म करने लिए विशेष कदम उठाये। श्रीमती आशा हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में हर इलाके में, हर गांव में हर जिले में जा करके भ्रूण हत्या रोकने के बारे में लोगों को जागरुक किया। सरकार ने भी इस बारे में प्रचार करने के लिए लोगों को सुविधायें दी। यहां तक कि लाडली स्कीम के रूप में एक ऐसी स्कीम लेकर आए जिसके तहत जिन परिवारों में दूसरी बेटी हो वे उसको कर्स (अभिशाप) न मानकर वरदान मानें। उन परिवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसमें 5-5 साल तक 5 हजार रुपये की राशि का प्रावधान रखा, इस प्रचार से और इस सम्मान से हमारी बेटियों का सम्मान बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप भ्रूण हत्या के रेशो में हरियाणा में काफी फर्क आया है। इस प्रकार के प्रचार से बेटियों का सम्मान बढ़ा है और इसके फलस्वरूप हमारे यहां शहरों में और गांवों में जो लोग रहते हैं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हमारी बेटियां हमारे घर का अधिकार हैं ये दो परिवारों को जोड़ती हैं और आने वाले समय में हमारे भविष्य को सुंदर बनाती हैं। हमारी बेटियों ने हमारे घर का निर्माण किया है और वही बेटी दूसरे घर में जाकर उस घर का भी निर्माण करती हैं। इस सोच को इस सरकार ने पैदा किया है और इससे भी आज हरियाणा प्रदेश में भ्रूण हत्या के रेशो में कमी आई है। जिस तरह से लोगों को सुविधायें दी हैं और श्रीमती आशा हुड्डा जी ने जो प्रचार किया है कितनी ही ऐसी दुर्लभ जगहों पर मैंने उन्हें यह प्रचार करते हुए देखा है। वे इस प्रचार के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर गई हैं जहां कि आम आदमी का जाना भी संभव नहीं है उन्होंने मोरनी क्षेत्र के दुर्गम गांवों में जा जाकर के लोगों को इस बारे में जागरुक किया कि यह भ्रूण हत्या पाप है और इस पाप से आपको दूर रहना है। बेटियां हमारा भविष्य हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में जो कार्य किया है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और उससे आने वाले समय में भी इस बारे में बहुत सुधार होगा। आज इस सदन के अंदर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के पंचकूला में वैसे तो बहुत तरक्की हुई है। जिस तरह से पूरी स्टेट में प्रगति और विकास के काम हुए हैं उसी तरह से पंचकूला में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विकास के काम कराए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि पंचकूला ही एक ऐसा जिला है और उसमें मैं अपनी पंचकूला कांस्टीच्यूएंसी के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के निर्माण कार्य किए गए हैं। यहां ऐसी ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जो कि पूरे भारत वर्ष में नंबर वन हैं पंचकूला में जो किसान भवन बना है जिसके बारे में आज सदन में चर्चा भी हुई थी, वह पूरे देश में नंबर वन है। इस किसान भवन में बैठकर हम पूरे हरियाणा प्रदेश में वीडियो कांफ्रेस कर सकते है और पूरे हरियाणा की बिड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस किसान भवन को इतना हाइटैक बनाया गया है कि किसान भवन में बैठकर पूरे प्रदेश की किसी भी मंडी से सामान खरीद कर सकते हैं। किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा उनके ठहरने के लिए भी उसमें सुंदर भवन का निर्माण किया गया है। प्रौसीक्यूशन बिल्डिंग पूरे भारतवर्ष की नंबर वन बिल्डिंग है जो कि पंचकूला में बनाई गई है। बहुत सारी सुंदर इमारतें बनाकर पंचकूला को एक सुंदर आयाम दिया गया है। इसके साथ ही मैं अपने हल्के की एक मांग भी सदन में रखना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री महोदया यहां बैठी हैं मैं उनसे और मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पंचकूला में यदि एक यूनिवर्सिटी दे दी जाए तो जो हमारे

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

पंचकूला के निवासियों की जो सोच है वह अवश्य पूरी होगी। पंचकूला एक ऐसा शहर है जो ट्राइसिटी का हिस्सा है। वहां बहुत से इंटैलैक्चुअल बच्चे रहते हैं, तीस हजार से ज्यादा इम्प्लौयी वहां रहते हैं ये मिडिल फैमिलीज हैं। उनके बच्चे इंटैलीजैंट हैं, इंटैलैक्चुअल हैं। यहां से न जाने कितने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आई.ए.एस. और एच.सी.एस. बनते हैं। पंचकूला में यूनिवर्सिटी न होने की वजह से हमारे यहां के बच्चों को चंडीगढ़ जाकर के ऐडमीशन लेनी पड़ती है और उन यूनिवर्सिटीज में पूरे हरियाणा की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जिसमें हमारे पंचकूला का हिस्सा मात्र एक या दो प्रतिशत ही आता है। हमारे यहां के जो बच्चे 90-90 प्रतिशत मार्क्स लाते हैं उनको भी वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है। पंचकूला एक ऐसा शहर है जो कि नेशनल सिटी है और यूनीवर्सिटी के बिना यह सिटी हैडलैस काउंट होती है। किसी भी शहर की तरक्की का आधार ऐजूकेशन होती है। बड़ी खुशी है कि हमारे यहां पढ़ने वाले बहुत सारे काबिल बच्चे हैं उनका ज्यादातर समय आने जाने में वेस्ट होता है और उनको कंपिटीशंस में बैठना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ के डिस्टैंस पर होने की वजह से उनको आने जाने में बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं, बहुत सारे ऐक्सीडैंट्स हुए हैं और कितने बच्चे इन्जर्ड हुए और कितने बच्चे डिसएब्ल हुए हैं। इन सारी बातों को देखकर हमारे लोगों की डिमाण्ड है और पंचकुला का हक भी बनता है कि पंचकुला को एक यूनिवर्सिटी दी जाए ताकि हजारों कर्मचारियों और लोगों के इंटैलीजैंट बच्चे जो पंचकुला में रहते हैं वे तकरीबन पांच हजार से ज्यादा बच्चे हैं जिनको हर महीने या तो माइग्रेट होकर चण्डीगढ़ के लिए या अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है। वे यहां पर रहकर पढ़ेंगे तो सारे हरियाणा को उनके कैलीबर का बैनीफिट होगा। एक बात जो पिछले सदन में भी आई थी। जितनी भी सोसायटीज पंचकुला में या पूरे हरियाणा के अन्दर हैं उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचकुला की बात नहीं करता हूं बल्कि पूरे हरियाणा की बात करता हूं। सोसायटीज के लिए जो हाउस टैक्स का मामला है यह बहुत लम्बा डिस्प्यूट चल रहा है। हरियाणा में जो हाउस टैक्स लगाया गया है वह per square metre लगाया है जबकि सोसायटीज पर जो हाउस टैक्स लगाया गया है वह per square feet के हिसाब से लगाया है। पंचकुला में लगभग 150 सोसायटीज हैं जबकि पूरे हरियाणा में एक हजार से भी ज्यादा सोसायटीज हैं जोकि सोसायटीज के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोसायटीज के लोगों की न तो जमीन अपनी है और न ही छत अपनी होती है उसके बावजूद भी उन पर टैक्स जो लगाया गया है वह हाउस ओनर से तीन गुणा ज्यादा लगाया गया है। इसके लिए लाखों लोग सफरर हैं और हरियाणा के लाखों लोगों की डिमाण्ड हैं कि सोसायटीज के लोगों पर भी हाऊस टैक्स per square metre के हिसाब से लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सोसायटीज पर भी हाउस टैक्स per square metre के हिसाब से लगाया जाए। दूसरा, जो हमारी सोसायटीज हैं उन पर एपार्टमैंट एक्ट लगाया जा रहा है जबकि ये एपार्टमैंट्स मल्टी स्टोरी के बहुत पुराने बने हुए हैं और ये आलरैडी they are registered in the societies act, already they had paid the concerned and the required amount of the Court Fees, Stamp duties etc., इन मकानों पर दोबारा से 5-4 लाख रुपये कोर्ट फी, स्टाम्प ड्यूटी लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारी यह भी

मांग हैं कि this problem is not only relate to Panchkula but it is a matter of the complete Haryana कि इन मकानों पर एपार्टमैंट एक्ट न लगाया जाए क्योंकि ये सोसायटीज और एपार्टमैंट पुराने हैं। दूसरा लोगों में एक और रिजैंटमैंट है क्योंकि this matter also concern for the complete Haryana कितनी भी सोसायटीज हैं उनकी यह डिमाण्ड हैं कि उनको सिंगल मीटर रिडींग सिस्टम में डाला जाए उन लोगों का प्रोटैस्ट और डिमाण्ड के मुताबिक यह कहना है कि We are the consumer of the electricity. Why, will we provide the infrastructure for the Electricity Department for consuming the electricity कि जब हम इलैक्ट्रिसिटी की पेमेंट पर यूनिट दे रहे हैं तो इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट का इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रांसफार्मर हैं और दूसरे स्टाफ है वह हम क्यों अरेन्ज करके दें। क्योंकि अलग-अलग कन्जुमर्ज हैं और अलग-अलग कन्जुमर्ज की अलग अलग कन्जम्पशन है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कन्जुमर वहां पर रहता नहीं वह 4-6 महीने तक बाहर रहता है और कई बार कोई कन्जुमर अपने घर में एवेलेबल नहीं होता इस तरह से जो बिल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हैं और जो टोटल बिल का मनी है वह बड़ा हार्ड होता है। इन सारी बातों को देखते हुए if the demand of the public, which is going to be adopted and it is again the interest of every person living in the flats moreover जितने भी फलैट्स हैं उनके अन्दर हमारे छोटे-छोटे और मीडियम परिवार रहते हैं उनके लिए यह संभव नहीं हैं कि वे उनके बिल मल्टीप्लाई करके दें। इसके लिए लोगों की एक बड़ी डिमाण्ड हैं जिससे लाखों लोग एफैक्टिड हैं this is not only relate to the Panchkula but the complete Haryana इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान किया जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्लम एरिया हैं उनकी डिवलपमैंट और अपग्रेडेशन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर तरह के आदेश जारी किये हैं। मैं यह चाहूंगा कि पंचकुला में लगभग 50 हजार वोटर स्लम के अन्दर रहते हैं और एक लाख या इससे भी ज्यादा लोग स्लम के अन्दर रहते हैं। इन इलाकों के लिए हमने जो फण्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि ये जो हमारे रैजीडैंट्स हैं उनको पूरी तरह से बेसिक एमैनीटीज मिल जाएं। यहां पर प्रोपर सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां भी फैलती हैं। एम.डी.सी., सोसायटी नम्बर वन में दूषित पानी के इंफैक्शन से एक 10 साल का बच्चा मर गया और 20 से 30 लोग they are now confined to bed. उनकी हालत भी इसी वजह से ज्यादा खराब है क्योंकि प्रोपर प्यूरीफिकेशन आफ वाटर नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम भी हमारे यहां ठीक नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हमारे यहां के लोगों की रिक्वायरमैंट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, साफ सफाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर के वर्क जल्दी ही हमारे यहां कम्पलीट कर दिए जाएं उससे हमारे इलाके के लोगों को लाभ हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने बरवाला में बस स्टैंड के लिए दो साल पहले 70 लाख रुपये दे दिए थे। 70 लाख रुपये जमा भी हो गए हैं लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस बस स्टैंड का कार्य शुरू नहीं हो सका जिसकी वजह से हमारे यहां के लोग सफरर हैं इसलिए हमारा यह काम भी शुरू किया जाए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में हमारे हरियाणा ने जो प्रगति और विकास प्राप्त किया है यह पूरे भारत वर्ष के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे इस सदन में कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा हरियाणा कितने ही क्षेत्रों में नम्बर

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

एक बन गया है। हमारे हरियाणा में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं इसके लिए मेरा दावा है कि इतनी बड़ी सोच, इतने बड़े कदम और इतनी बढ़िया नीतियां पूरे भारत वर्ष में दूसरी किसी स्टेट में हमारे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए नहीं बनाई गई हैं। (विघ्न) आज हरियाणा का कमजोर वर्ग हर तरह से सक्षम है और हर तरह से प्रगति और विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। एक समय था जब इन लोगों की एक सोच थी कि हमारा अपना मकान हो और हमें अपनी अजीविका कमाने का साधन मिले, वे सारी चीजें आज हमारी सरकार ने हमारे सभी कमजोर वर्गों को दी हैं। केवल शहरों में नहीं, केवल गांवों में नहीं बल्कि हर इलाके में और हर जगह सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

Mr. Speaker : Motion moved—

That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in the Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 21st February, 2014 at 2.00 P.M.".

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : कविता जी आप अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करें और कल आप रिज्यूम करेंगी।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो घोषणाएं रैलियों में करके आते हैं उन्हीं को शब्दों में उतारा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा पोजिटव रिस्पोंस मिले ताकि मेरी बोलने के लिए हिम्मत बनी रहे।

Mr. Speaker : Kavita ji you will be encouraged. You are very good contributor to this House. You are very good contributor always. We are appreciate your contribution.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर हरियाणा के विकास की जो तस्वीर पेश की गई है क्या कारण है कि जो असलियत है वह इससे बिलकुल विपरीत है। हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष का तो काम ही यही होता है कि वह सरकार की खामियों पर प्रश्नचिह्न लगाएं लेकिन आज क्या कारण है कि हरियाणा में सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद भी हरियाणा के विकास पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब अभिभाषण के अंदर ये दावे किए गए हैं कि हर वर्ग चाहे वह किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या मजदूर हो वह खुश है लेकिन क्या कारण है कि वे लोग समय-समय पर आज भी धरने-प्रदर्शन कर रहे

हैं। इसी तरह से बिजली, पानी, कानून व्यवस्था आदि की समस्याओं को लेकर भी प्रदेश के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं।

Mr. Speaker : Kavita Ji, you will resume tomorrow and you can say the same things. Hon'ble Members, now the House is adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 26th February, 2014.

*18:30 hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Wednesday, the 26th February, 2014)

Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY ★ Haryana Chandigarh

52295—H.V.S., H.G.P., Chd.